मासिक समाचारपत्र • पूर्णांक 125 • वर्ष 14, अंक 1 • मार्च 2024 • दस रुपये

विशेष अंक
24 पृष्ठ

मज़दूर बिगुल

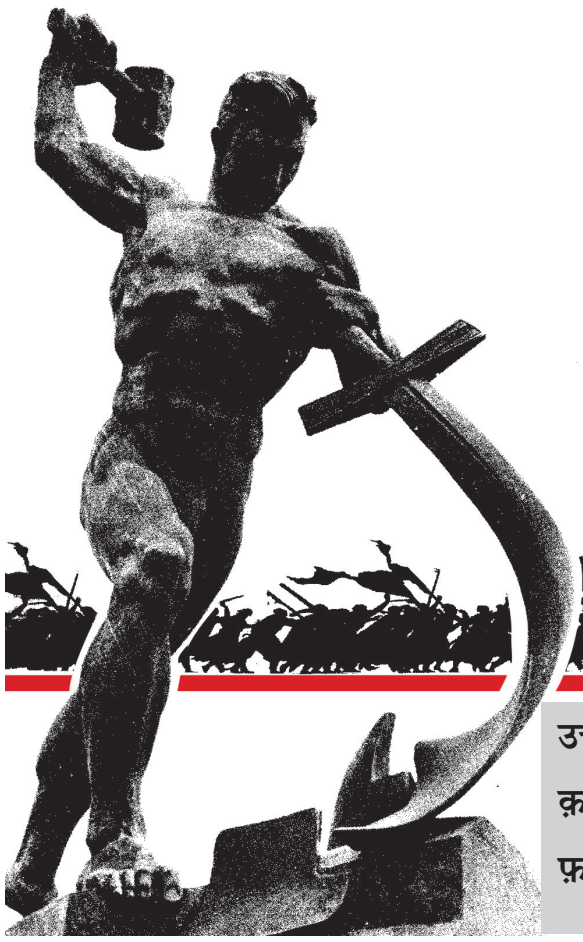

उत्तराखण्ड समान नागरिकता क़ानून : एक पितृसत्तात्मक फ़ासीवादी क़ानून 6

ईवीएम पर भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता! 17-20

जारी है फ़िलिस्तीनी जनता का संघर्ष! 21

मोदी सरकार का महाघोटाला : इलेक्टोरल बॉण्ड घोटाला

इलेक्टोरल बॉण्ड के ज़रिये पूँजीपतियों से चन्दे वसूलकर बदले में उन्हें लाखों करोड़ का मुनाफ़ा पहुँचाने का कुत्सित फ़ासीवादी षड्यंत्र :

चन्दा दो, मुनाफ़ा लो!

रामनाम और धर्मध्वजा के पीछे मोदी सरकार को यही कुकर्म तो छिपाने हैं!

सम्पादकीय अग्रलेख

इलेक्टोरल बॉण्ड महाघोटाले के बारे में अन्देशा तो सभी को था, मगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ने इलेक्टोरल बॉण्डों के ज़रिये चुनावबाज़ पार्टियों को हज़ारों करोड़ रुपये (2018 से कुल क़रीब 220000000000 रुपये, या 22 हज़ार करोड़ रुपये!) का चन्दा देने वाली कम्पनियों के नाम उजागर किये, तो इसके पीछे चल रहा महाषड्यंत्र और महाघपला दुनिया के सामने उजागर होना शुरू हो गया है। इसे समझना मज़दूरों-मेहनतकशों के लिए बहुत ज़रूरी है। अव्वलन तो इसलिए कि यह सारा धन उन्हीं की मेहनत से पैदा होने वाले मुनाफ़े को निचोड़कर पूँजीपतियों ने इकट्ठा किया है। और दूसरा इसलिए कि वह जान पाएँ कि रामनामी दुपट्टा ओढ़े, "मन्दिर-मन्दिर" चिल्लाते, और "नैतिकता" और "चाल-चेहरा-चरित्र" की डुगडुगी बजाते घूम रहे मोदी-शाह, भाजपा और संघ परिवार की असलियत क्या है। यह एक विशालकाय फ़ासीवादी फिरौती गिरोह है। यह अनायास नहीं है कि गुजरात कोर्ट ने अमित शाह को तड़ीपार घोषित करते हुए सबसे बड़ा फिरौती गिरोह चलाने वाला बोला था। अब यही फिरौती रैकेट पूरे देश में सरकारी माध्यमों से काम कर रहा है। कैसे? आइये समझते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सूचना छिपाने का बार-बार प्रयास करने और बार-बार डाँट खाने के बाद मोदी सरकार के इशारों पर काम करने वाले स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को कुछ सूचनाएँ उजागर करनी पड़ी हैं। अभी भी वह सूचनाएँ उजागर करने की प्रक्रिया में लगातार किसी न किसी बहाने से देर कर रहा है। लेकिन उसे उजागर करनी पड़ रही है। मोदी के ही इशारों पर काम करने वाला चुनाव आयोग भी इस देरी को अंजाम देने में पूरा साथ दे रहा है। 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक ख़रीदे गये चुनावी बॉण्डों की सूचना एस.बी.आई. ने जारी की है जिसके अनुसार इस अवधि में कुल 12,516 करोड़ रुपये के चुनावी बॉण्ड ख़रीदे गये और इसके ज़रिये चुनावी पार्टियों को चन्दा दिया गया। **इसका आधा अकेले रामभक्त मोदी जी और उनके हनुमान अमित शाह की पार्टी भाजपा को गया है**! देश में कुल 16 लाख पंजीकृत कम्पनियाँ हैं, जिनमें से केवल 1300 ने चुनावी बॉण्ड ख़रीदे। इनमें से भी 30 सबसे अमीर कम्पनियों ने लगभग 90 प्रतिशत कीमत के बॉण्ड ख़रीदे।

सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कैसे दिया? सबसे पहले इसलिए कि यह योजना इतना नंगा भ्रष्टाचार है कि इसे अनन्त काल तक छिपाना ही असम्भव

(पेज 9 पर जारी)

'भगतसिंह जनअधिकार यात्रा' का दूसरा चरण : समाहार रपट

देशभर में यात्रा को मिले व्यापक समर्थन से बौखलायी मोदी सरकार द्वारा दिल्ली में किये दमन ने इसके सन्देश को और व्यापक रूप से फैलाया! यात्रा अपने मकसद में बेहद कामयाब रही!

जैसा कि आप जानते हैं, मुख्य रूप से 'भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी' की अगुवाई और 'दिशा छात्र संगठन', 'नौजवान भारत सभा', 'स्त्री मुक्ति लीग', 'दिल्ली स्टेट आँगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हेल्पर्स यूनियन' समेत कई जनसंगठनों की अग्रणी भागीदारी के साथ चलायी जा रही 'भगतसिंह जनअधिकार यात्रा' (BSJAY) का दूसरा चरण 10 दिसम्बर 2023 से 3 मार्च 2024 तक जारी रहा। इस दूसरे चरण में पदयात्राओं के ज़रिये इस यात्रा ने 13 राज्यों के 85 से ज़्यादा ज़िलों को कवर किया और 8600 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय की। इसकी शुरुआत कर्नाटक के बेंगलुरु से हुई थी और यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में समाप्त हुई। इस बीच यात्रा ने कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखण्ड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़ और दिल्ली राज्यों का दौरा किया।

यात्रा का असर इस बात से देखा जा सकता था कि 3 मार्च को दिल्ली में यात्रा के समापन के तौर पर होने वाले विशाल प्रदर्शन को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने एड़ी-चोटी का पसीना एक कर दिया, बवाना औद्योगिक क्षेत्र में यात्रा के समर्थन में हुई हड़ताल को कुचलने के लिए गिरफ्तारियाँ और हिरासत में यातना तक का सहारा लिया, जन्तर-मन्तर से कई लहरों में हज़ारों लोगों को बार-बार हिरासत में लिया और शहर में जगह-जगह जत्थों में आ रहे मज़दूरों, मेहनतकशों, छात्रों-युवाओं को रोकने की कोशिश की और जन्तर-मन्तर पर कई दफ़ा लाठी चार्ज तक किया। लेकिन इससे भी वह प्रदर्शन को रोकने में कामयाब नहीं हो पायी। जन्तर-मन्तर पर तो बार-बार प्रदर्शन हुए ही, दिल्ली के करीब आधा दर्जन पुलिस थानों में भी प्रदर्शन होते रहे। प्रदर्शन का सन्देश सीमित होने के बजाय पूरे शहर में और भी ज़्यादा व्यापकता के

(पेज 13 पर जारी)

बजा बिगुल मेहनतकश जाग, चिंगारी से लगेगी आग!

नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) को रद्द करो!

(पेज 24 से आगे)

किया जा रहा हमला है।

जिस प्रकार तमाम मसलों पर आम जनता ने संघ परिवार के फ़ासीवादी एजेण्डे को समझा है, उसी प्रकार हमें समझने की ज़रूरत है कि यह क़ानून असल में पूँजीपतियों को मुफ़्त ग़ुलाम श्रम मुहैया कराने के लिए लाया जा रहा है। नागरिकता के दायरे से बाहर होने वाले तमाम लोगों को या तो देश से बाहर कर दिया जायेगा या डिटेंशन सेण्टरों में रखकर अम्बानी-अडानी के मुनाफ़े के लिए हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों को ही खटाया जायेगा। बेरोज़गारी और महँगाई से ध्यान भटकाने के लिए और पूँजीपतियों को मुनाफ़े के संकट से राहत दिलाने के लिए मोदी-शाह की तानाशाह सरकार सीएए-एनआरसी को लागू कर रही है। यही इनके तथाकथित "हिन्दू राष्ट्र" की असलियत है। आज हमें इनकी असलियत को समझने की ज़रूरत हैं और हर धर्म और हर जाति के तमाम मेहनतकशों की एकजुटता के बूते इस फ़ासीवादी मंसूबे को नाकाम करने की ज़रूरत है। जिस प्रकार 2019 में दिल्ली के शाहीन बाग की बहादुर औरतों ने एक ऐसा आन्दोलन खड़ा किया जो देशभर में संघर्ष की मिसाल बन गया था और उसकी तर्ज़ पर सैकड़ों जगहों पर शाहीन बाग जैसे ही दिनो-रात चलने वाले धरने शुरू हो गये थे जिसमें ना सिर्फ़ मुसलमान बल्कि हर धर्म और तबके के लोग शामिल थे, हमें ऐसे ही जन आन्दोलन को खड़ा करने की ज़रूरत है। यह जुझारू जन आन्दोलन की ही ताक़त थी जिसने मोदी सरकार की चूलें हिलाकर रख दी थीं।

इस आन्दोलन ने यह साबित कर दिया था कि फ़ासीवादी हुकूमत को चुनौती देने के लिए सड़कों पर जनता की लामबन्दी ही एकमात्र रास्ता है। जब-जब जनता ने एकजुट होकर मोदी सरकार के ख़िलाफ़ आवाज उठायी है, तब-तब फ़ासीवादी ताक़तों को झुकना पड़ा है। हमें यह बात गाँठ बाँध लेनी चाहिए कि यदि इस काले क़ानून को लागू होने से रोकना है, तो हमें नये सिरे से सड़कों पर जनता को लामबन्द करना होगा। अभी तक का इतिहास बताता है कि जनता की ताक़त ने ही फ़ासीवादी हुकूमत को परास्त करने का काम किया है। आज भी बिना सड़कों पर जनता को लामबन्द किये इस जन विरोधी क़ानून को लागू होने से नहीं रोका जा सकता। जैसा कि **राहुल सांकृत्यायन** ने कहा था **"यदि जनबल पर विश्वास है तो हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जनता की दुर्दम्य शक्ति ने फ़ासीवाद की काली घटाओं में आशा के विद्युत का संचार किया है। वही अमोघ शक्ति हमारे भविष्य की भी गारण्टी है।"**

प्रिय पाठको,

अगर आपको 'मज़दूर बिगुल' का प्रकाशन ज़रूरी लगता है और आप इसके अंक पाते रहना चाहते हैं तो हमारा अनुरोध है कि आप कृपया इसकी सदस्यता लें और अपने दोस्तों को भी दिलवाएँ। आप हमें मनीऑर्डर भेज सकते हैं या सीधे बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। या फिर QR कोड स्कैन करके मोबाइल से भुगतान कर सकते हैं।

मनीऑर्डर के लिए पता :

मज़दूर बिगुल,
द्वारा जनचेतना,
डी-68, निरालानगर, लखनऊ-226020

बैंक खाते का विवरण : Mazdoor Bigul
खाता संख्या : 0762002109003787,
IFSC: PUNB0185400
पंजाब नेशनल बैंक, अलीगंज शाखा, लखनऊ

QR कोड व UPI

UPI: bigulakhbar@okicici

मज़दूर बिगुल के बारे में किसी भी जानकारी के लिए आप हमसे इन माध्यमों से सम्पर्क कर सकते हैं :

फ़ोन : 0522-4108495, 8853476339 (व्हॉट्सऐप)
ईमेल : bigulakhbar@gmail.com
फ़ेसबुक : www.facebook.com/MazdoorBigul

अपने कारख़ाने, वर्कशॉप, दफ़्तर या बस्ती की समस्याओं के बारे में, अपने काम के हालात और जीवन की स्थितयों के बारे में हमें लिखकर भेजें। आप व्हॉट्सएप पर बोलकर भी हमें अपना मैसेज भेज सकते हैं। नम्बर है : 8853476339

"बुर्जुआ अख़बार पूँजी की विशाल राशियों के दम पर चलते हैं। मज़दूरों के अख़बार ख़ुद मज़दूरों द्वारा इकट्ठा किये गये पैसे से चलते हैं।" – **लेनिन**

'मज़दूर बिगुल' मज़दूरों का अपना अख़बार है।

यह आपकी नियमित आर्थिक मदद के बिना नहीं चल सकता।
बिगुल के लिए सहयोग भेजिए/जुटाइए।
सहयोग कूपन मँगाने के लिए मज़दूर बिगुल कार्यालय को लिखिए।

घोषणापत्र का प्रपत्र: प्रपत्र 4 (नियम 8 के अन्तर्गत)

समाचार पत्र का नाम	मज़दूर बिगुल
पत्र की भाषा	हिन्दी
आवर्तिता	मासिक
पत्र का खुदरा बिक्री मूल्य	दस रुपये
प्रकाशक का नाम	कात्यायनी सिन्हा
राष्ट्रीयता	भारतीय
पता	263, हरिभजन नगर, शहीद भगतसिंह वार्ड, तकरोही, इन्दिरानगर, लखनऊ-226016
प्रकाशन का स्थान	निशातगंज, लखनऊ
मुद्रक का नाम	कात्यायनी सिन्हा
पता	263, हरिभजन नगर, शहीद भगतसिंह वार्ड, तकरोही, इन्दिरानगर, लखनऊ-226016
मुद्रणालय का नाम	मल्टीमीडियम, 310, संजयगांधी पुरम, फैज़ाबाद रोड, लखनऊ-226016
सम्पादक का नाम	अभिनव सिन्हा
राष्ट्रीयता	भारतीय
पता	263, हरिभजन नगर, शहीद भगतसिंह वार्ड, तकरोही, इन्दिरानगर, लखनऊ-226016
स्वामी का नाम	कात्यायनी सिन्हा
राष्ट्रीयता	भारतीय
पता	263, हरिभजन नगर, शहीद भगतसिंह वार्ड, तकरोही, इन्दिरानगर, लखनऊ-226016

मैं कात्यायनी सिन्हा, यह घोषणा करती हूँ कि उपर्युक्त तथ्य मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार सत्य हैं।

हस्ताक्षर (कात्यायनी सिन्हा)
प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी

मज़दूर बिगुल की वेबसाइट
www.mazdoorbigul.net

इस वेबसाइट पर दिसम्बर 2007 से अब तक बिगुल के सभी अंक क्रमवार, उससे पहले के कुछ अंकों की सामग्री तथा राहुल फ़ाउण्डेशन से प्रकाशित सभी बिगुल पुस्तिकाएँ उपलब्ध हैं। बिगुल के प्रवेशांक से लेकर नवम्बर 2007 तक के सभी अंक भी वेबसाइट पर क्रमशः उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

मज़दूर बिगुल का हर नया अंक प्रकाशित होते ही वेबसाइट पर निःशुल्क पढ़ा जा सकता है।

आप इस फ़ेसबुक पेज के ज़रिए भी 'मज़दूर बिगुल' से जुड़ सकते हैं :
www.facebook.com/MazdoorBigul

'मज़दूर बिगुल' का स्वरूप, उद्देश्य और ज़िम्मेदारियाँ

1. 'मज़दूर बिगुल' व्यापक मेहनतकश आबादी के बीच क्रान्तिकारी राजनीतिक शिक्षक और प्रचारक का काम करेगा। यह मज़दूरों के बीच क्रान्तिकारी वैज्ञानिक विचारधारा का प्रचार करेगा और सच्ची सर्वहारा संस्कृति का प्रचार करेगा। यह दुनिया की क्रान्तियों के इतिहास और शिक्षाओं से, अपने देश के वर्ग संघर्षों और मज़दूर आन्दोलन के इतिहास और सबक़ से मज़दूर वर्ग को परिचित करायेगा तथा तमाम पूँजीवादी अफ़वाहों-कुप्रचारों का भण्डाफोड़ करेगा।

2. 'मज़दूर बिगुल' भारतीय क्रान्ति के स्वरूप, रास्ते और समस्याओं के बारे में क्रान्तिकारी कम्युनिस्टों के बीच जारी बहसों को नियमित रूप से छापेगा और 'बिगुल' देश और दुनिया की राजनीतिक घटनाओं और आर्थिक स्थितियों के सही विश्लेषण से मज़दूर वर्ग को शिक्षित करने का काम करेगा।

3. 'मज़दूर बिगुल' स्वयं ऐसी बहसें लगातार चलायेगा ताकि मज़दूरों की राजनीतिक शिक्षा हो तथा वे सही लाइन की सोच-समझ से लैस होकर क्रान्तिकारी पार्टी के बनने की प्रक्रिया में शामिल हो सकें और व्यवहार में सही लाइन के सत्यापन का आधार तैयार हो।

4. 'मज़दूर बिगुल' मज़दूर वर्ग के बीच राजनीतिक प्रचार और शिक्षा की कार्रवाई चलाते हुए सर्वहारा क्रान्ति के ऐतिहासिक मिशन से उसे परिचित करायेगा, उसे आर्थिक संघर्षों के साथ ही राजनीतिक अधिकारों के लिए भी लड़ना सिखायेगा, दुअन्नी-चवन्नीवादी भूजाछोर "कम्युनिस्टों" और पूँजीवादी पार्टियों के दुमछल्ले या व्यक्तिवादी-अराजकतावादी ट्रेडयूनियनों से आगाह करते हुए उसे हर तरह के अर्थवाद और सुधारवाद से लड़ना सिखायेगा तथा उसे सच्ची क्रान्तिकारी चेतना से लैस करेगा। यह सर्वहारा की क़तारों से क्रान्तिकारी भर्ती के काम में सहयोगी बनेगा।

5. 'मज़दूर बिगुल' मज़दूर वर्ग के क्रान्तिकारी शिक्षक, प्रचारक और आह्वानकर्ता के अतिरिक्त क्रान्तिकारी संगठनकर्ता और आन्दोलनकर्ता की भी भूमिका निभायेगा।

मज़दूर बिगुल

सम्पादकीय कार्यालय	: 263, हरिभजन नगर, शहीद भगतसिंह वार्ड, तकरोही, इन्दिरानगर, लखनऊ- 226016 फ़ोन: 8853476339
दिल्ली सम्पर्क	: बी-100, मुकुन्द विहार, करावलनगर, दिल्ली-90, फ़ोन: 9289498250
ईमेल	: bigulakhbar@gmail.com
मूल्य	: एक प्रति – 10/- रुपये वार्षिक – 125/- रुपये (डाक ख़र्च सहित) आजीवन सदस्यता – 3000/- रुपये

बवाना औद्योगिक क्षेत्र में हड़ताली मज़दूरों का दमन

● भारत

पिछली 3 मार्च को उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में 'बवाना औद्योगिक क्षेत्र मज़दूर यूनियन' द्वारा हड़ताल का आह्वान किया गया था। साथ ही मज़दूरों से 'भगतसिंह जन अधिकार यात्रा' के समापन कार्यक्रम के तहत जन्तर-मन्तर चलने की अपील भी की गयी थी, जहाँ देशभर से मज़दूर, छात्र अपनी माँगों को लेकर एकजुट हो रहे थे। हड़ताल का दिल्ली पुलिस द्वारा बर्बर दमन किया गया और यूनियन के कार्यकर्ताओं व मज़दूरों के साथ मारपीट की गयी और उन्हें तिहाड़ जेल तक भेजा गया। इसपर हम आगे बात करेंगे। 3 मार्च की हड़ताल के लिए पूरे इलाक़े में यूनियन द्वारा पर्चा वितरण, पोस्टरिंग से लेकर मज़दूर बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों मज़दूर शामिल हुए थे। औद्योगिक इलाक़े हड़ताल को सफल बनाने की अपील करते हुए यूनियन के नेतृत्व में बड़ी रैलियाँ भी निकाली गयी।

आइए, एक बार हड़ताल की पृष्ठभूमि पर नज़र डाल लेते हैं, जिस कारण मज़दूरों से हड़ताल करने की अपील की गयी थी। ज्ञात हो कि बवाना के पाँच सेक्टरों में लगभग 14,000 फैक्ट्रियाँ हैं, जिसमें क़रीब दो लाख तक मज़दूर काम करते हैं। सब जानते ही हैं कि आज बवाना से लेकर दिल्ली की किसी भी फैक्ट्री में कोई श्रम क़ानून लागू नहीं होता। कहने के लिए कुछ महीनों पहले केजरीवाल ने न्यूनतम वेतन में वृद्धि की है और अकुशल मज़दूर का वेतन अब 17,234 रुपये से शुरू है और कुशल मज़दूर का वेतन 20,903 रुपये। लेकिन हमेशा की तरह ये आँकड़े सिर्फ़ काग़ज़ों की ही शोभा बढ़ा रहे हैं। ई.एस.आई-पी.एफ. तो मुश्किल से ही किसी फैक्ट्री में मिलता है। सच्चाई यह है कि लोहे, प्लास्टिक, लकड़ी से बनने वाले सामान, कपड़े, मिठाई, श्रृंगार, आदि बनाने वाली किसी भी फैक्ट्री में काम करने वाला मज़दूर हो या सामानों को ढोने वाला मज़दूर, कोई भी महीने का औसतन आठ से दस हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं कमा पाता है। महिला मज़दूरों को पुरुषों के बराबर काम करने के बावजूद औसतन छह या सात हज़ार रुपये से ज़्यादा वेतन नहीं मिलता। आये-दिन फैक्ट्रियों में आग लगने की घटनाएँ सामने आती हैं। 2018 में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से लेकर ये सिलसिला आजतक जारी है और बवाना से लेकर अलीपुर, नरेला, वज़ीरपुर और देश भर में मज़दूर जलकर मर रहे हैं।

वर्ष 2015 में जारी आँकड़े के अनुसार आईएलओ का अनुमान है कि दुनियाभर में लगभग 23 लाख महिलाएँ और पुरुष हर साल काम से सम्बन्धित दुर्घटनाओं या बीमारियों का शिकार होते हैं; यह हर दिन 6000 से अधिक मौतों के बराबर है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक़, पिछले पाँच साल में सिर्फ़ राजधानी में 663 फैक्ट्री दुर्घटनाएँ दर्ज की गयीं, जिनमें 245 लोगों की मौत हो गयी। इन दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में केवल 84 लोगों को गिरफ़्तार किया गया। एक केन्द्रीय मन्त्री ने 2021 में संसद को बताया कि पाँच वर्षों में कारख़ानों, बन्दरगाहों, खदानों और निर्माण स्थलों पर काम करते समय कम से कम 6,500 श्रमिकों की मृत्यु हुई है। ये आँकड़े केवल रजिस्टर्ड कार्यस्थलों के हैं, जबकि बवाना में तो कई फैक्ट्रियाँ रजिस्टर्ड ही नहीं है, ऐसे इलाक़े में मरने वालों की कोई गिनती ही नहीं होती। हर जगह काम के दौरान फैक्ट्री के दरवाज़े में ताला इस कदर लटका होता है जैसे कि हम मालिक की सम्पत्ति चोरी कर कहीं भागने वाले हों। ऐसे में यदि फैक्ट्री के अन्दर आग लगती हो या कोई दुर्घटना होती हो तो हम बाहर भी नहीं भाग सकते। इस तरह की घटना कई जगहों पर घट चुकी है, जब आग के बाद गेट पर ताले लटके होने की वजह से फैक्ट्री के अन्दर ही मज़दूर जलकर ख़त्म हो गये।

श्रम क़ानूनों को लागू करने, फैक्ट्रियों में सुरक्षा के पुख़्ता इन्तज़ाम करने जैसी बुनियादी माँगों को लेकर मज़दूर हड़ताल पर गये थे। 3 मार्च के दिन सुबह से ही हड़ताली टोलियाँ पूरे बवाना इलाक़े में मज़दूरों को एकजुट कर काम बन्द करके हड़ताल में शामिल होने की अपील कर रही थीं। हड़ताल का असर ख़ासतौर पर सेक्टर-5 में था, जहाँ 90 प्रतिशत कारख़ाने बन्द थे और हज़ारों मज़दूर हड़ताल रैली में शामिल थे। अन्य सेक्टर में हड़ताल आंशिक तौर पर सफल रही। इसी सफलता ने मालिकों के अन्दर ख़ौफ़ पैदा किया और तुरन्त पुलिस हड़ताल को रोकने के लिए हरकत में आ गयी। सबसे पहले सेक्टर-3 में पुलिस ने मज़दूरों को रैली निकालने से रोका और जब मज़दूर जन्तर-मन्तर जाने के लिए निकल रहे थे, गाड़ी को रोककर उन्हें इलाक़े से बाहर जाने के लिए मना कर दिया गया। इसके बाद मज़दूरों ने सेक्टर-3 में ही हड़ताल सभा शुरू कर दी।

सबसे अधिक मालिक व पुलिस सेक्टर-5 के मज़दूरों से घबराए थे। लगातार मालिकों द्वारा दवाब बनाये जाने के कारण पुलिस बार-बार रैली को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर मज़दूरों व यूनियन ने रैली जारी रखी। यहाँ भी जब मज़दूर जन्तर-मन्तर के लिए गाड़ी में निकलकर रहे थे, गाड़ी को रोककर पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। महिला मज़दूरों तक को पुरुष पुलिसवालों ने पीटा और उनके साथ गाली-गलौच की। वहीं पर यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ भी पुलिस ने मारपीट की। इसके बाद मज़दूरों से भरी पूरी गाड़ी को लेकर पुलिस नरेला बॉर्डर पर छोड़कर आयी, ताकि मज़दूर दुबारा हड़ताल या सभा न कर सकें। इस दौरान यूनियन के 5 कार्यकर्ताओं जिसमें बवाना औद्योगिक क्षेत्र मज़दूर यूनियन के संयोजक भारत, आशीष व अंकित, मिराज, अंश को गिरफ़्तार किया। इसके अलावा 3 मज़दूरों (विकास कुमार, विकास झा, कमल किशोर) को भी गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार किये जाने के दौरान सभी के साथ मारपीट की गयी और चौकी में ले जाने के बाद सभी पुलिस वालों द्वारा मिलकर इन्हें पीटा गया और इसके बाद एक-एक कर अलग से ले जाकर सबको पीटा गया। इस पूरी मारपीट में आशीष और अंकित के कान के पर्दे फट गये और सबको चोटें आयी हैं। मारपीट के सबूत को छिपाने के लिए पुलिसवालों ने सबकी झूठी एमएलसी भी बनवायी। इसके बाद सभी साथियों पर 107/51 की धारा लगायी गयी और कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ आठों साथियों को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। हालाँकि जनदबाव के चलते सभी साथियों को 5 मार्च को ज़मानत मिल गयी। यूनियन द्वारा मारपीट करने वाले सभी पुलिसवालों के खिलाफ़ क़ानूनी कारवाई की जा रही है।

साथियों के जेल से छूटने के अगले ही दिन पूरे इलाक़े में रैली निकाली गयी और सभा की गयी। इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया कि यूनियन पुलिस व मालिकों के किसी भी दमन के आगे झुकेगी नहीं और आने वाले समय में मालिकों की हर चाल का मुंहतोड़ जवाब देगी। साथ ही मज़दूरों से भी अपील की गयी कि अधिक से अधिक संख्या में यूनियन की सदस्यता लें क्योंकि अकेले मज़दूर को तोड़ना मालिक के लिए बहुत आसान है, पर यूनियन की ताक़त से मालिक भी डरता है। 3 मार्च की कारवाई भी दिखलाती है कि मालिक व प्रशासन मज़दूरों की एकजुटता से कितना डरते हैं।

3 मार्च की हड़ताल ने साबित कर दिया कि मज़दूरों के अन्दर का ग़ुस्सा लावा बनकर धधक रहा है और यह सही रास्ता अख़्तियार करे तो आने वाले दिनों में यह ज्वालामुखी ज़रूर फूटेगा। साथ ही पुलिस और मालिकों का दमनकारी चेहरा भी मज़दूरों के सामने आ गया। साथ ही इस हड़ताल से यह बात और भी पुख़्ता हो गयी कि आज के दौर में मालिकों को झुकाने के लिए इलाक़ाई व सेक्टरगत यूनियन की ज़रूरत है, जो सभी मज़दूरों की लड़ाई को एक साथ लड़ सके। आने वाले दिनों में मालिकों व सरकार के खिलाफ़ इस लड़ाई को और मज़बूत किया जायेगा।

मोदी सरकार और बवाना के मालिकों से यूनियन ने ये निम्न माँगें रखी हैं, जिनपर आगे संघर्ष जारी रहेगा :

1. आज की महँगाई के हिसाब से न्यूनतम वेतन 25,000 रुपये प्रति महीना लागू किया जाये। सभी श्रम क़ानूनों को सख़्ती से लागू किया जाये। इसे लागू न करने वाले मालिक पर कठोर कारवाई की जाये।

2. कारख़ानों में सुरक्षा के पुख़्ता इन्तज़ाम किये जायें। मज़दूरों को सुरक्षा के सभी उपकरण मुहैया करवाये जायें। इसमें लापरवाही बरतने पर किसी फैक्ट्री में हादसा होता है तो मालिक के ऊपर कठोर कार्रवाई हो।

3. ठेका प्रथा को ख़त्म किया जाये। नियमित प्रकृति यानी रोज़ होने वाले कामों के लिए पक्की बहाली की जाये।

4. काम के घण्टे 6 किये जायें!

भगतसिंह जन अधिकार यात्रा की कुछ तस्वीरें। और तस्वीरें व रपट पेज 13-15 पर देखें।

दशकों से नासूर बनी हुई है, धारूहेड़ा क्षेत्र में फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल युक्त प्रदूषित पानी की समस्या !

● रवि

पिछले लम्बे समय से हरियाणा के धारूहेड़ा से सटे राजस्थान के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी गम्भीर समस्या बना हुआ है। इस प्रदूषित पानी की समस्या बरसात के मौसम में तो इतनी गम्भीर हो जाती है कि धारूहेड़ा के सोहना रोड व आस-पास के सेक्टरों में रहने वाले लोगों का घर से निकलना तक मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक की यह पानी राष्ट्रीय राजमार्ग 48 को पार कर आसपास के गाँवों में पहुँच जाता है, जिसके कारण न सिर्फ़ आये दिन एन.एच. 48 पर जाम की समस्या बनी रहती है, बल्कि साथ-साथ लम्बे समय से यह पानी कृषि योग्य भूमि में पहुँचने के कारण भूमि की उत्पादक क्षमता को भी ख़त्म करता जा रहा है। जहाँ-जहाँ से यह केमिकल युक्त पानी रास्ता बनाता हुआ गुज़रता है, वहाँ के क्षेत्र का पानी कुछ समय बाद पीने लायक भी नहीं रह जाता है। यह भूमि के नीचे के जल को भी बुरी तरह प्रदूषित कर रहा है। लम्बे समय तक दूषित पानी भरे रहने के कारण यह अनेक बीमारियों का भी कारण बनता जा रहा है। इस पानी की वजह से लोगों ने अपने रास्ते बदल लिये हैं। इसके कारण उस रूट पर स्थित दुकानों व बाईपास बाज़ार बुरी तरह प्रभावित है। लोगों को रोज़ी-रोटी के लाले पड़े हुए हैं। यह दूषित पानी की समस्या न सिर्फ़ धारूहेड़ा के वासियों को प्रभावित करती है बल्कि आसपास के कई गाँव मालपुरा, राजपुरा, खटावली, गढ़ी, महेश्वरी, अकेड़ा आदि को भी प्रभावित करती हैं। इसकी वजह से एन.एच. 48 से गुजरने वाले राहगीरों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ती है।

लेकिन इतनी गम्भीर समस्या होने के बावजूद यह आज तक सिर्फ़ दिखावटी चुनावी मुद्दा ही बना रहा। इसके समाधान के नाम पर नगर पालिका, विधायक व सांसद तक के चुनाव लड़े जाते हैं। परन्तु चुनाव के बाद न तो इसका कोई ठोस समाधान होता है और न ही जनता को किसी तरह की कोई राहत मिलती है। फिर अगली योजनाओं में वही मसला बना रहता है। पिछले लम्बे समय के दौरान नगर पालिका के अध्यक्ष से लेकर अलग-अलग पार्टियों के विधायक-सांसद तक बदले, दोनों राज्यों यानी हरियाणा व राजस्थान की सरकारें तक बदलीं, कभी कांग्रेस आयी तो कभी भाजपा। कई डीसी आये और चले गये, कई प्रशासनिक अधिकारी बदल चुके हैं। न जाने कितने ज्ञापन, एनजीटी कोर्ट के आदेश, फैक्ट्रियों पर जुर्माने तक हुए, मगर यह समस्या ज्यों कि त्यों बनी हुई है, अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ, यानी ढाक के तीन पात!

आखिर ऐसा क्यों?

ग़ौरतलब है कि भिवाड़ी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा व देश का तीसरा बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ 2,700 के लगभग छोटे-बड़े उद्योग स्थापित हैं। ज़ाहिरा तौर पर यहाँ से तमाम पार्टियों की सरकारें जीएसटी व वैट के रूप में कई सौ करोड़ रुपये बटोरती हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता के लिए ज़रूरी विकास कार्यों की बात करें तो ये एकदम फिसड्डी हैं! ये सिर्फ़ अपनों यानी कारखानों मालिकों, प्रापर्टी डीलरों, ट्रांसपोर्टरों व अन्य बिचौलियों व दलालों का ही पेट भरती हैं। आम जनता से इनका कोई लेना-देना नहीं है। दूसरी तरफ़ सत्ता तक पहुँचने वाली किसी भी पार्टी की सरकार ने आज तक इन फैक्ट्रियों पर कोई सख़्त कार्रवाई नहीं की है। प्रदूषण मानकों का उल्लंघन होने के बावजूद इनपर कार्रवाई करना तो दूर, इन कम्पनियों का निरीक्षण तक नहीं होता है, न ही कोई रिपोर्ट जारी होती है। वजह साफ़ है: इन्हीं फैक्ट्री मालिकों के चन्दों पर इन पार्टियों की राजनीति चलती है, तो ज़ाहिरा तौर पर ये मालिकों की पार्टियाँ मालिकों की ही सेवा करेंगी।

वास्तव में ये फैक्ट्रियाँ मनमाने ढंग से ख़तरनाक स्तर तक प्रदूषित पानी बाहर बस्तियों-मोहल्लों में बिना प्रशोधन (ट्रीटमेण्ट) के छोड़ देती हैं। नतीजतन, सैकड़ों फैक्ट्रियों से निकलने वाला यह केमिकलयुक्त पानी धारूहेड़ा पहुँचते-पहुँचते विकराल रूप धारण करता जाता है। कभी बरसात के बहाने, कभी बिना बरसात के भी, इसे धारूहेड़ा की तरफ़ बहा दिया जाता है और जनता को उसके हालात पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। बीच-बीच में जब प्रभावित आबादी बदहाल हो जाती है, तब वह आक्रोशित होकर स्वत:स्फूर्त ढंग से कुछ करने के लिए आगे बढ़ती है। तब इन पार्टियों के छुटभैया नेता लोग आगे आ जाते हैं। नेताओं और प्रशासन की मीटिंगों का सिलसिला चल पड़ता है। तब हवाबाज़ी करके ऐसे प्रचारित किया जाता है कि जैसे इस समस्या का इस बार पूर्ण समाधान होकर ही रहेगा! इस तरह तात्कालिक तौर पर जनता के गुस्से पर ठण्डा पानी डाल दिया जाता है। मगर इसके स्थायी समाधान के लिए इन सरकारों की तरफ़ से कभी कोई पर्याप्त या उचित कदम नहीं उठाये जाते हैं। जो दिखाने के लिए उठाये भी जाते हैं, वे ऐसे होते हैं जो दो राज्यों की जनता को ही आपस में लड़ा देते हैं और कभी स्थायी समाधान नहीं हो पाता। वैसे तो भाजपाई 'अखण्ड भारत' की बात करते हैं मगर ऐसे मसले के स्थायी समाधान की जगह यह दो राज्यों के बीच ही दीवार खड़ी कर देते हैं। फ़िलहाल इनके अभी तक किए गए समाधानों पर नज़र डालें तो लगता है जैसे दो राज्यों के बीच कुत्ता-बिल्ली की लड़ाई चल रही हो और इस समस्या के स्थायी समाधान का कोई आसार नज़र नहीं आता है।

अब चुनाव का मौसम चालू हो गया है और बरसात भी कुछ समय बाद चालू हो ही जायेगी। मगर अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है और यह फिर से विकराल रूप धारण कर लेगी। इससे पहले कि बरसात शुरू हो और धारूहेड़ा फिर से नरक में तब्दील हो, हमें समय रहते अपनी कमर कसनी होगी और जनता के बीच इस समस्या के असल कारण, यानी फैक्ट्री मालिकों और सरकार व सभी पूँजीवादी पार्टियों के छुटभैया नेताओं के गठबन्धन को बेनक़ाब करना होगा। चुनाव प्रचार के लिए आने वाली तमाम चुनावबाज़ पार्टियों के नेताओं से इस समस्या के स्थायी समाधान पर सवाल पूछने होंगे और जब तक इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं होता तब तक विशेष तौर पर सत्ताधारी भाजपा के बहिष्कार का नारा देना होगा।

यह बात भी ग़ौरतलब है कि इन पार्टियों के चुनावी ख़र्चे से लेकर नेताओं की अय्याशियों के ख़र्चे इन्हीं फैक्ट्रियों से मिलने वाले चन्दों के दम पर चलते हैं। अपने इन चन्दों के बदले में सत्ता में आने वाली सरकार न सिर्फ़ इन कम्पनियों को पर्यावरण को बर्बाद करने की छूट देती है बल्कि साथ-साथ हम मज़दूरों को सस्ते में खटाने का खुला अवसर प्रदान करती है।

अब हमें इस बात को साफ़-साफ़ समझ लेना चाहिए कि मालिकों के मुनाफ़े को बनाये रखने व उसके हितों की रखवाली करने वाली ऐसी किसी भी जनविरोधी सरकार से उम्मीद करना भ्रम पालने के बराबर है। हमें जल्द ही इससे मुक्त होना होगा। हम मेहनतकशों को ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए अपने एकजुट जनबल का रास्ता अपनाना होगा। यानी अपने साफ़ व स्वच्छ पीने के पानी और वातावरण के अधिकार के लिए इलाक़ाई आधार पर अपनी जन कमेटियों/समितियों/मंचों का गठन करना होगा, जिनमें तमाम प्रभावित, पीड़ित व जागरूक आबादी को शामिल करना होगा। जनता की क्रान्तिकारी पहलकदमी के ज़रिये ही सत्ता की उपेक्षा, उत्पीड़न और शोषण के ख़िलाफ़ लड़ा जा सकता है।

सरकार के ग़रीबी हटाने के दावे की असलियत

● ध्रुव

भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से देश की तमाम सरकारी एजेंसियों से लेकर मीडिया चैनल तक झूठ बोलने वाली मशीन में तब्दील हो चुके हैं। इस मशीन द्वारा ऐसा ही एक झूठ तब उगला गया जब पिछले दिनों नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने 25 फरवरी को 2022-23 के लिए घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) रिपोर्ट के हवाले से यह दावा किया कि देश में ग़रीबी 5 प्रतिशत से कम हो गयी है। उन्होंने बताया कि पिछले दस सालों में शहरी इलाक़ों में औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग में 33 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी है, जबकि गाँवों में यह बढ़ोत्तरी 40 प्रतिशत हो चुकी है। सरकार की तरफ से जैसे ही यह दावा किया गया, गोदी मीडिया इसका प्रचार करने में लग गयी कि भारत में अब एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी भयंकर ग़रीबी खत्म हो चुकी है। पूरा गोदी मीडिया मोदी सरकार की पीठ थपथापाने में लग गया। इस उत्साह में गोदी मीडिया ख़ुद एक महीने पहले के ही अपने दावे को भूल गया कि जब नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देकर यह बताया जा रहा था कि भारत में बहु-आयामी ग़रीबी 11.3 प्रतिशत हो गई है!

इस बात को पूरे ज़ोर-शोर के साथ प्रचारित किया जा रहा था कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को ग़रीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। लेकिन यह एक ही महीने में घटकर 5 प्रतिशत से भी कम हो गयी। ज़ाहिर है कि ये हवा-हवाई आँकड़े हैं और मोदी सरकार के कार्यकाल को अमृतकाल साबित करने में जुटा मीडिया अगले ही घण्टे देश से ग़रीबी को पूरी तरह ख़त्म करने का भी दावा करने लगे तो हमें इस पर आश्चर्य नहीं होगा।

यह केवल मोदी सरकार द्वारा अपनी पीठ थपथपाने के लिए मोदी सरकार द्वारा ही फैलाये गये तमाम झूठों में से बस एक झूठ ही है जिसका असलियत से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है। अगर हम "घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण" (एचसीईएस) के इस रिपोर्ट की ही थोड़ी पड़ताल करें तो सच्चाई खुलकर सामने आ जाती है।

'एचसीईएस' के अनुसार भारत में पाँच प्रतिशत सबसे गरीब आबादी की आय 46 रुपये प्रतिदिन, सबसे गरीब 10 प्रतिशत लोगों की आय 59 रुपये प्रतिदिन और सबसे गरीब 20 प्रतिशत लोगों की आय 70 रुपए प्रतिदिन है। दूसरी तरफ अगर चीज़ों के दाम पर ग़ौर करें तो प्रतिदिन उपभोग की जाने वाली वस्तुओं में आलू, प्याज और दूध के एक किलोग्राम की क़ीमत ही क्रमशः 20 रुपये, 40 और 68 के लगभग हो गये हैं। अगर इसमें आटा, दाल, तेल जैसी और ज़रूरी चीजों को जोड़ लें तो जो सबसे गरीब 20 प्रतिशत आबादी है जिसकी आय 70 रुपए प्रतिदिन है, उसके लिए इस आमदनी में पेट भर पाना भी मुश्किल होगा। तो ऐसे में क्या इस आबादी की गिनती एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी भयंकर ग़रीब में नहीं होनी चाहिए?

दरअसल मोदी सरकार को आँकड़ों में हेर-फेर करने और उसे दबाने में महारत हासिल है। भारत में ग़रीबी सम्बन्धित आधिकारिक आँकड़ा पहले नेशनल सैम्पल सर्वे जारी करता था। पर इसके द्वारा जारी किया गया अन्तिम आँकड़ा 2011-12 का ही है। **नेशनल सैम्पल सर्वे द्वारा 2017-18 में जो आँकड़ा जारी किया गया था उसे सरकार ने खुद ही ग़लत कह कर रद्द कर दिया क्योंकि उन आँकड़ों से से मोदी सरकार के दावों की पोल खुल रही थी।** सरकार के द्वारा जारी आँकड़ों से अगर अन्य सर्वेक्षणों के आँकड़ों की तुलना करें तो सरकार के इस दावे पर और भी गम्भीर सवाल खड़े होते हैं। प्यू, प्राइस, ऑक्सफैम, आदि एजेंसियों व खुद विश्व बैंक के 2021 के सर्वे बताते हैं कि कोविड महामारी के दौरान आय में असमानता बढ़ी है और 84 प्रतिशत परिवारों की आय घटी है। 2016 में नोटबन्दी के पहले काम की उम्र वालों में रोजगार दर 46 प्रतिशत थी, अब वह घटकर 40 प्रतिशत से नीचे है। सभी सर्वेक्षण कहते हैं कि 2012 के बाद ग्रामीण व शहरी दोनों इलाकों में नियमित व दिहाड़ी दोनों प्रकार के श्रमिकों की मज़दूरी घटी है या स्थिर रही है। 2017-18 से 2019-20 की अवधि में स्वरोजगार के 52 प्रतिशत, दिहाड़ी मज़दूरों के 30 प्रतिशत तथा नियमित मज़दूरों के 21 प्रतिशत की दैनिक आय 200 रुपये से कम थी। इनमें से क्रमशः 16, 36 व 19 प्रतिशत की आय 200 से 300 रुपये रोजाना थी। इस दौरान महँगाई तेजी से बढ़ी है जिसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव सबसे अधिक ग़रीबों पर ही पड़ता है। **तो ऐसे में बीवीआर सुब्रमण्यम का यह दावा की शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की उपभोग करने की क्षमता क्रमशः 33 प्रतिशत और 40 प्रतिशत बढ़ी है ,एक सफ़ेद झूठ के सिवाय और कुछ भी नहीं है।**

वास्तव में मोदी सरकार के पिछले एक दशक में आम मेहनतकश जनता की ज़िन्दगी नर्क बन गयी है। मज़दूर आबादी के लिए अपने बच्चों का पेट भर पाना, तन ढँक पाना, दवा-इलाज़ करा पाना हर दिन मुश्किल होता जा रहा है। स्पष्ट है कि टीवी-चैनलों, अख़बारों से लेकर तमाम सरकारी सर्वेक्षण एजेंसियाँ मौजूदा दौर की स्याह तस्वीर को झुठलाने के लिए देश की आम मेहनतकश जनता को गुलाबी सपने दिखाने में लगी हुई हैं। ज़रूरत है कि इस सच्चाई को समझते हुए इस हालात को बदलने की दिशा में आगे बढ़ा जाये। उसके लिए पहला कदम है मौजूदा जनविरोधी फ़ासीवादी मोदी सरकार के ख़िलाफ़ मेहनतकश जनता का रोज़गार, मज़दूरी और महँगाई के सवाल पर गोलबन्द और संगठित होना।

देश के निर्माण मज़दूरों की भयावह हालत, एक क्रान्तिकारी बैनर तले संगठित एकजुटता ही इसका इलाज

● आदित्य

निर्माण क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसके दम पर एक वीरान-सी दिखने वाली जगह भी कुछ दिनों में ही जगमगाने लगती है। वहाँ गगनचुम्बी इमारतें खड़ी हो जाती हैं, सड़कों का जाल बिछा दिया जाता है। असम्भव से लगने वाले इस काम को अंजाम देने का काम करते हैं इस क्षेत्र में लगे मज़दूर! अपनी अपार मेहनत के दम पर ही ये असम्भव को भी सम्भव बना देते हैं। लेकिन, इन इमारतों और अट्टालिकाओं को खड़ा करने वाले यही मज़दूर सबसे नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर होते हैं। और उनकी ऐसी ज़िन्दगी के लिए यह मुनाफ़ा-आधारित व्यवस्था ज़िम्मेदार है।

निर्माण मज़दूरों का नारकीय जीवन

अभी हाल ही में 'न्यूज़क्लिक' ने देश के कुछ राज्यों के निर्माण मज़दूरों पर एक सर्वे किया। इस सर्वे के अनुसार एक हफ़्ते के भीतर निर्माण कार्य में लगे 22 मज़दूरों की जान काम करते हुए घटित दुर्घटनाओं के कारण गयी। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इन मज़दूरों के पास पक्का काम नहीं होता और इन्हें ठेके पर काम कराया जाता है। काम करने के दौरान न तो सुरक्षा के कोई इन्तज़ाम किये जाते हैं, न ही इन्हें किसी भी तरह के सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जाते हैं। इसी कारण इस तरह की दुर्घटनाएँ घटती रहती हैं। वैसे देश में आज मज़दूरों के साथ किसी भी क्षेत्र में काम पर होने वाली घटनाओं में कमोबेश यही कारण होता है। उत्पादन बढ़ाने और सुरक्षा के ऊपर होने वाले खर्च को बचाने के लिए सुरक्षा के सारे उपायों को दरकिनार कर दिया जाता है। निर्माण स्थलों पर, खदानों में, या सीवेज की सफाई के दौरान, यदि सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराये जायें तो कई श्रमिकों की मौत को टाला जा सकता है। इसका दूसरा कारण काम के घण्टे निर्धारित न होना और मज़दूरों से हाड़-माँस गलने तक मेहनत करवाना भी होता है। जिस स्तर पर इनसे काम लिया जाता है, वैसी ख़ुराक इन्हें नहीं मिलती, जिसका असर इनकी ज़िन्दगी से लेकर काम करने तक में दिखता है।

अगर और आँकड़ों पर नज़र दौड़ायें तो एनआईटी सूरत और आईआईटी दिल्ली के 2016 के एक अध्ययन के अनुसार, भारत में हर साल काम से सम्बन्धित दुर्घटनाओं में मरने वाले 48,000 लोगों में से 11,614 निर्माण मज़दूर होते हैं (वैसे ये आँकड़े वास्तविकता से कम ही होते हैं क्योंकि बहुत-सी दुर्घटनाओं और मौतों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता)। इसका मतलब यह है कि भारत में कार्यस्थल पर होने वाली कुल मौतों में से 24% मौतें निर्माण स्थलों पर होती हैं। इन आँकड़ों के मुताबिक निर्माण क्षेत्र में प्रतिदिन 38 घातक दुर्घटनाएँ होती हैं। अन्तरराष्ट्रीय श्रमिक संस्थान (आईएलओ) के एक अध्ययन का अनुमान है कि भारत में निर्माण स्थलों पर होने वाली घातक दुर्घटनाओं की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। इनमें कई दुर्घटनाएँ या तो जानलेवा होती हैं, या फिर मज़दूरों को अपंग बना देती हैं, जिसके बाद इन्हें ज़िन्दगीभर काम मिल पाना मुश्किल होता है। यही नहीं, ऐसी किसी घटना के बाद मुआवजा मिलना तो दूर ज़्यादातर इलाज़ तक के पैसे भी इन्हें नहीं दिये जाते।

यह तो इन मज़दूरों की इस नारकीय जिन्दगी का एक पहलू है। असल में इन मज़दूरों पर दोहरी मार पड़ती है। पहले पर हम ऊपर बात कर चुके हैं। इसका दूसरा पहलू यह है कि देश में लगातार बढ़ती महँगाई ने इनके जीवन को दूभर बना दिया है। ऊपर से पक्का काम ना मिल पाने के कारण ये सामाजिक असुरक्षा के भी शिकार होते हैं। इन्हें हर रोज़ सड़कों पर रोज़गार की तलाश में खड़ा होना होता है। महीने में बमुश्किल 10 से 15 दिन ही इन्हें काम मिल पाता है। और मज़दूरी इतनी कम होती है (क़रीब 300 से 600, देश के अलग-अलग हिस्सों में यह अलग होती है) कि इनके लिए अपना और अपने परिवार को पालना बहुत मुश्किल होता है। इन मज़दूरों का एक बड़ा हिस्सा काम की तलाश में देश के अलग-अलग राज्यों से पलायन करके पहुँचा होता है। इसलिए अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उन्हें परिवार को भेजना पड़ता है। बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी करने वाले यही मज़दूर शहरों में खुद माचिस की डिब्बी जैसे छोटे कमरों में रहने के लिए मजबूर होते हैं, जहाँ एक ही कमरे में 3-4 लोगों को रहना होता है, ताकि रहने पर होने वाले खर्च को कम कर सकें। कई बार जीवन इतना मुश्किल हो जाता है कि हारकर उन्हें आत्महत्या का रास्ता चुनना पड़ता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की साल 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जिन 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की उसमें से 25.6 प्रतिशत दिहाड़ी मज़दूर थे। इसका मतलब यह है कि आज देश में आत्महत्या करने वाला हर चौथा व्यक्ति दिहाड़ी मज़दूर है।

निर्माण मज़दूरों की अहमियत

निर्माण मज़दूरों के मेहनत के कमाल और इसके परिणाम की बात हम लेख के शुरू में ही कर चुके हैं। देश में दिखने वाले 'विकास' को यह मज़दूर ही अंजाम देते हैं। आज देश में देशी-विदेशी पूँजीपतियों को अधिक से अधिक मुनाफ़ा कमाने का मौका देने के लिए जगह-जगह विश्वस्तरीय भवन, सड़कें, फ़्लाईओवर, बाँध इत्यादि का जाल बिछाया जा रहा है। इसके अलावा मध्यम वर्ग को सभी सुख-सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शॉपिंग मॉल, लग्ज़री अपार्टमेण्ट, प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि का निर्माण किया जा रहा है। इन लोगों की ज़िन्दगी को रौशन बनाने वाले इन मज़दूरों की ज़िन्दगी नर्क़ से भी बदतर होती है। इन बिल्डिंगों के निर्माण हो जाने के बाद इन्हें इनमें झाँकने तक नहीं दिया जाता।

नाइट फ्रैंक इण्डिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का निर्माण क्षेत्र देश का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र है, और 2023 तक क़रीब 7.1 करोड़ मज़दूर निर्माण क्षेत्र में कार्यरत थे। परन्तु इस कार्यबल का सिर्फ़ 19 प्रतिशत हिस्सा कुशल मज़दूरों का है। हम पहले ही बता चुके हैं कि इन मज़दूरों का एक बड़ा हिस्सा अलग-अलग राज्यों से पलायन करके पहुँचा होता है। 'न्यूज़क्लिक' के अनुसार सभी क्षेत्रों में श्रमिकों की मौतों का कोई एकत्रित आँकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन मृतकों में से अधिकांश प्रवासी मज़दूर ही होते हैं, जो सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभों से वंचित होते हैं। कुल मिलाकर आज देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इन मज़दूरों का ही है, जिनके दम पर पूँजीपतियों के लिए बड़े-बड़े कारखाने, गगनचुम्बी इमारतें, सड़कें आदि तैयार होते हैं और जिस वजह से अपनी पूँजी को ये धन्नासेठ और बढ़ा पाते हैं। उनके पूँजी के इस अट्टालिका का एक बड़ा हिस्सा इनका शोषण करके ही बन पाता है।

श्रम विभाग, श्रम क़ानून और सरकार की हकीकत

निर्माण कार्य में लगे मज़दूर असंगठित मज़दूर होते हैं। आज देश में लगभग 45 करोड़ संख्या इन्हीं असंगठित मज़दूरों की है, जो कुल मज़दूरों की आबादी का 90% के क़रीब है। लेकिन देश में बैठी मोदी सरकार ने आज पूरा इन्तज़ाम कर लिया है कि मज़दूरों का खून चूसने में कोई असर न छोड़ा जाये। आपको पता हो कि अभी पहले से मौजूद श्रम क़ानून इतने काफ़ी नहीं थे जो पूर्ण रूप से मज़दूरों के हकों और अधिकारों की बात कर सके, और किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर उनके लिए किसी भी तरह की त्वरित कार्रवाई करे। अभी कहने को सही, कागज़ पर कुछ श्रम क़ानून मौजूद होते हैं। थोड़ा हाथ-पैर मारने पर और श्रम विभाग के कुछ चक्कर काटने पर गाहे-बगाहे कुछ लड़ाइयाँ मज़दूर जीत जाते हैं। साल में एक या दो बार श्रम विभाग के अधिकारी भी सुरक्षा जाँच के लिए (जो बस रस्मअदायगी ही होती है) निकल जाते हैं। लेकिन अम्बानी-अडानी जैसे पूँजीपतियों के मुनाफ़े को और बढ़ाने के लिए सरकार पुराने सारे श्रम क़ानूनों को खत्म करके चार लेबर कोड लाने की तैयारी में है।

चार लेबर कोड में से एक 'व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल स्थिति संहिता' में असंगठित मज़दूरों को कोई जगह ही नहीं दी गयी है। केवल 10 से ज़्यादा मज़दूरों को काम पर रखने वाले कारख़ानों पर ही यह लागू होगा, यानी मज़दूरों की बहुत बड़ी आबादी जो दिहाड़ी पर काम करती है, इस क़ानून के दायरे से बाहर होगी। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि करोड़ों असंगठित मज़दूर पहले ही हर तरह की सामाजिक सुरक्षा से वंचित हैं। 'सामाजिक सुरक्षा संहिता' में त्रिपक्षीय वार्ताओं और मज़दूर प्रतिनिधियों की भूमिका को ही ख़त्म कर दिया गया है। इनकी जगह पर मज़दूरों के कल्याण की नीतियाँ बनाने और लागू कराने वाली संस्थाओं के रूप में राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा परिषद, केन्द्रीय बोर्ड और राज्यों के बोर्ड की बात रखी गयी है जिनमें ट्रेड यूनियनों की कोई भूमिका नहीं होगी। कुल मिलाकर 4 लेबर कोड घोर मज़दूर विरोधी क़ानून है, जिसका मक़सद सिर्फ़ और सिर्फ़ पूँजीपतियों को मुनाफा पहुँचाना और मज़दूरों के शोषण को बढ़ाना है।

मज़दूरों के सामने विकल्प क्या है?

आज देश में मजदूरों की हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है। सत्ता में बैठी फासीवादी मोदी सरकार इसको और भयावह बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसे में आज मज़दूरों की जुझारू जनएकजुटता ही इसका एकमात्र जवाब हो सकती है। आज क्रान्तिकारी नेतृत्व की ग़ैरमौजूदगी के कारण फ़िलहाल तुरन्त कोई बड़ा संघर्ष खड़ा करना मुश्किल है। ख़ुद को मज़दूरों का हिरावल बताने वाली सी.पी.आई, सी.पी.आई.(एम), और सी.पी.आई. (माले) जैसी संशोधनवादी नक़ली लाल-झण्डे वाली संसदीय वामपन्थी पार्टियों ने इस विशाल आबादी को संगठित करने की न तो कोई गम्भीर कोशिश की है और न ही उनसे आगे कोई उम्मीद की जा सकती है। कुछ सुधारवादी, अर्थवादी संगठन उनके बीच जगह-जगह काम कर रहे हैं। इसलिए क्रान्तिकारी मज़दूर संगठन के सामने इस आबादी को संगठित करते हुए वर्गीय एकता क़ायम करना एक चुनौती है। इसलिए आज सबसे पहले यह ज़रूरी है कि एक सच्ची क्रान्तिकारी यूनियन के बैनर तले मज़दूरों को संगठित और एकजुट किया जाये, स्थानीय स्तर पर (इलाक़ाई व सेक्टरगत) जुझारू यूनियनें बनायी जायें, उनकी लगातार पाठशालाएँ चलायी जायें तथा उन्हें सही राजनीति के तहत एक देशव्यापी लड़ाई के लिए तैयार किया जाये।

उत्तराखण्ड समान नागरिकता क़ानून: अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाला और नागरिकों के निजी जीवन में राज्यसत्ता की दखलन्दाज़ी बढ़ाने वाला पितृसत्तात्मक फ़ासीवादी क़ानून

● आनन्द

गत 7 फ़रवरी को उत्तराखण्ड सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक को प्रदेश की विधानसभा में पारित करवा दिया। लोकसभा चुनावों के ठीक पहले इस क़ानून को पारित करवाकर संघ परिवार ने अपने फ़ासीवादी मंसूबों को ज़ाहिर कर दिया है। यह इसी से स्पष्ट हो जाता है कि उत्तराखण्ड विधानसभा में इस क़ानून के पारित होते ही भाजपा के विधायकों ने सदन के भीतर "जय श्रीराम", "भारत माता की जय" और "वन्दे मातरम" के नारे लगाये। जैसीकि आशंका थी, इन फ़ासीवादियों द्वारा समान नागरिक संहिता के नाम पर हिन्दू पर्सनल क़ानून के तमाम प्रावधानों को ही अल्पसंख्यकों सहित प्रदेश की समूची आबादी पर थोपने की क़वायद की जा रही है। इसे समान नागरिक संहिता कहना बेमानी है क्योंकि देश के सभी नागरिकों के लिए प्रगतिशील आधुनिक क़ानून बनाने की बजाय यह संहिता तमाम प्रतिगामी प्रावधानों का पुलिन्दा है।

इस क़ानून के समर्थकों का दावा है कि यह महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में उठाया गया क़दम है, जबकि सच्चाई यह है कि इस क़ानून के तमाम प्रावधान ऐसे हैं जो स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं देते हैं और पितृसत्तात्मक समाज को स्त्रियों की यौनिकता, उनकी निजता को नियन्त्रित करने का खुला मौक़ा देते हैं। इस क़ानून के सबसे ख़तरनाक प्रावधान 'लिव-इन' से जुड़े हैं जो राज्यसत्ता व समाज के रूढ़िवादी तत्वों को लोगों के निजी जीवन में दखलन्दाज़ी करने का पूरा अधिकार देते हैं। इन प्रावधानों की वजह से अन्तरधार्मिक व अन्तरजातीय सम्बन्धों पर पहरेदारी और सख़्त हो जायेगी। इन तमाम प्रतिगामी प्रावधानों को देखते हुए इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है कि यह अल्पसंख्यक-विरोधी एवं स्त्री-विरोधी क़ानून आज के दौर में फ़ासीवादी शासन को क़ायम रखने का औज़ार है। इसमें क़तई आश्चर्य की बात नहीं है कि भाजपा शासित मध्य प्रदेश व गुजरात की सरकारों ने भी इस प्रकार के क़ानून बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

हिन्दू पर्सनल क़ानून को अन्य सभी धर्मों पर थोपकर मुस्लिमों को ख़ासतौर पर निशाना बनाने की साज़िश

पिछले कुछ समय से संघ परिवार द्वारा ज़ोर-शोर से समान नागरिक संहिता का मुद्दा उछालने के साथ ही धार्मिक अल्पसंख्यकों के बीच यह आशंका पैदा हो गयी थी कि समान नागरिक संहिता के नाम पर हिन्दू पर्सनल क़ानून के ही प्रावधानों को सभी धर्मावलम्बियों पर थोपने की कोशिश की जायेगी। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा बनाये गये नागरिक समान संहिता क़ानून के प्रावधानों पर नज़र दौड़ाने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह आशंका बिल्कुल सही थी। इस क़ानून के तमाम प्रावधान हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 से सीधे-सीधे उधार लिये गये हैं। यह सर्वविदित है कि हिन्दू धर्म के पर्सनल क़ानूनों में तमाम सुधारों के बावजूद अभी भी ये क़ानून पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना को ही पुष्ट करते हैं और महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा नहीं देते हैं। सच तो यह है कि कुछ मायनों में अन्य धर्मों के पर्सनल क़ानून महिलाओं को ज़्यादा अधिकार देते हैं, मसलन ईसाई, पारसी और मुस्लिम पर्सनल क़ानूनों में हिन्दू पर्सनल क़ानून की तुलना में महिलाओं को सम्पत्ति का ज़्यादा अधिकार दिया गया है। ऐसे में उत्तराखण्ड का क़ानून निर्विवाद रूप से एक प्रतिगामी क़दम है। समान नागरिक संहिता बनाने की कोई भी ईमानदार कोशिश हिन्दू पर्सनल क़ानूनों के आधार पर नहीं की जा सकती है, बल्कि ऐसी किसी भी समान नागरिक संहिता का आधार जनवाद और जेण्डर न्याय होना चाहिए। लेकिन फ़ासीवादियों से ऐसी ईमानदार कोशिश की उम्मीद करना बेमानी है।

यह आधुनिक जनवाद का तकाज़ा है कि अन्य क़ानूनों की ही तरह विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे विषयों में भी प्रगतिशील क़ानून होने चाहिए। लेकिन कोई भी समान नागरिक संहिता लागू करने से पहले देश के तमाम धार्मिक समुदायों के बीच सहमति बनाने की कोशिश किये बिना सभी समुदायों पर थोपना लोकतान्त्रिक उसूलों के ख़िलाफ़ है। सभी समुदायों को अपनी परम्पराओं का पालन करने का अधिकार होना चाहिए। हालाँकि अगर किसी समुदाय का कोई व्यक्ति इन परम्पराओं की बजाय आधुनिक तौर-तरीक़ों से विवाह या तलाक़ जैसे पर्सनल क़ानूनों के दायरे में आने वाले क्रियाकलाप करना चाहता है तो उसके लिए समान नागरिक संहिता का भी विकल्प होना चाहिए। लेकिन उत्तराखण्ड की भाजपा सरकार को जनवाद के इन उसूलों की नहीं बल्कि आगामी लोकसभा चुनावों में अपने हिन्दू वोट बैंक की परवाह थी और इसीलिए आनन-फ़ानन में इस प्रतिगामी क़ानून को पारित करवाया गया। इस क़ानून का एक अल्पसंख्यक-विरोधी पहलू यह भी है कि जहाँ एक ओर अल्पसंख्यकों पर हिन्दू पर्सनल क़ानूनों के प्रावधान थोपे गये हैं वहीं दूसरी ओर हिन्दू अविभाजित परिवार जैसे प्रावधान के नाम पर हिन्दुओं को मिलने वाली रियायतों से वे महरूम रहेंगे। ग़ौरतलब है कि भारत की कराधान व्यवस्था में हिन्दू अविभाजित परिवार के प्रावधान का लाभ उठाकर धनी हिन्दू घराने हर साल करों में भारी छूट पाते हैं। संघ परिवार जब समान नागरिक संहिता का मसला उछालता है तो इस भेदभावपूर्ण प्रावधान पर शातिराना चुप्पी साध लेता है।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पारित किये गये इस क़ानून के ज़रिये मुस्लिम समुदाय को मुख्य निशाना बनाया गया है क्योंकि संघ परिवार अपने हिन्दुत्ववादी प्रचारतन्त्र के ज़रिये यह झूठ फैलाता रहा है कि मुस्लिमों में बहुविवाह जैसी स्त्री-विरोधी प्रथाएँ आम बात हैं। हाल ही में 'इण्टरनेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ़ पॉपुलेशन स्टडीज़' द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आधार पर जारी डेटा संघ परिवार के इस झूठ का पर्दाफ़ाश करता है क्योंकि यह डेटा दिखाता है कि बहुविवाह की प्रथा केवल मुस्लिमों में नहीं बल्कि सभी धर्मावलम्बियों में प्रचलित है। यह डेटा इस सच्चाई को भी उजागर करता है मुस्लिमों सहित सभी धार्मिक समुदायों के बीच बहुविवाह की प्रथा तेज़ी से ढलान पर है। हिन्दुओं में बहुविवाह की प्रथा 1.3 प्रतिशत है जबकि मुस्लिमों के बीच इसका प्रतिशत 1.9 है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आन्ध्र प्रदेश व तमिलनाडु जैसे राज्यों में हिन्दुओं में बहुविवाह का प्रतिशत मुस्लिमों से अधिक है। कुल मिलाकर हिन्दू व मुस्लिम समुदायों के बीच बहुविवाह की प्रथा के प्रचलन के सन्दर्भ में बहुत ज़्यादा अन्तर नहीं है और दोनों ही समुदायों के बीच यह अब तेज़ी से प्रचलन के बाहर हो रही है। ग़ौरतलब है बहुविवाह की प्रथा सबसे ज़्यादा आदिवासी समुदायों के बीच प्रचलित है। परन्तु उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता क़ानून प्रदेश में रहने वाली आदिवासी आबादी पर लागू नहीं होगा। आदिवासियों को इस क़ानून के दायरे से बाहर रखना यह भी दिखाता है कि भाजपा सरकार की मंशा वास्तव में कोई समान नागरिक संहिता लाना या महिलाओं का सशक्तीकरण नहीं बल्कि मुस्लिम-विरोधी हिन्दुत्ववादी प्रचार को तेज़ करना है।

औरतों के लिए इन्साफ़ के नाम पर बढ़ती पितृसत्तात्मक जकड़बन्दी

उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता क़ानून के समर्थक इसे इस आधार पर जायज़ ठहरा रहे हैं कि इसके ज़रिये औरतों की बराबरी व इन्साफ़ की दिशा में उठाया गया क़दम है। हम ऊपर देख चुके हैं कि किस प्रकार सम्पत्ति के अधिकार जैसे मामलों में इस क़ानून में औरतों को बराबरी का दर्जा देने की बजाय हिन्दू पर्सनल क़ानून के प्रतिगामी प्रावधानों को ही समान नागरिक संहिता का हिस्सा बना दिया गया है। इसके अलावा इस क़ानून में लिव-इन सम्बन्धों के सन्दर्भ में जो प्रावधान जोड़े गये हैं वे न सिर्फ़ नागरिकों की निजता के अधिकार के विरोधी हैं बल्कि वे घोर स्त्री-विरोधी भी हैं।

इस क़ानून में यह प्रावधान है कि उत्तराखण्ड में यदि कोई स्त्री व पुरुष एक महीने से ज़्यादा समय से लिव-इन सम्बन्ध में रह रहे हैं तो उन्हें इस सम्बन्ध को प्रदेश के रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर कराना होगा अन्यथा उन्हें तीन महीने तक की जेल हो सकती है और रु. 10,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने के बाद रजिस्ट्रार जाँच-पड़ताल करेगा और प्रमाणपत्र देने से पहले अन्य गवाह को बुला सकता है। यही नहीं, ऐसे किसी लिव-इन सम्बन्ध की समाप्ति पर भी राज्यसत्ता को सूचित करना होगा। इस प्रकार यह क़ानून लिव-इन सम्बन्धों को आपराधिक नज़रिये से देखता है। यही नहीं 21 वर्ष से कम आयु के दो व्यक्ति अगर लिव-इन सम्बन्ध में रहते हैं तो उनके परिजनों को भी सूचित करना होगा। यानी दो वयस्कों को साथ रहने के लिए राज्ससत्ता की मंज़ूरी लेनी होगी और अगर वे 21 साल से कम आयु के हैं तो उन्हें अपने परिजनों की भी मंज़ूरी लेनी होगी। इस प्रकार यह क़ानून लोगों के निजता के अधिकार का खुला उल्लंघन करता है और उनके निजी जीवन में राज्यसत्ता, परिजनों और यहाँ तक कि पड़ोसियों को भी दखलन्दाज़ी करने और उन्हें परेशान करने की खुली छूट देता है क्योंकि यदि कोई स्त्री व पुरुष एक महीने से ज़्यादा समय एक छत के नीचे रहते हैं तो कोई भी पड़ोसी पुलिस को इसकी सूचना दे सकता है और उनपर आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। इन प्रावधानों के मद्देनज़र इस क़ानून के घोर मर्दवादी चरित्र पर कोई शक नहीं रह जाता है।

इन प्रावधानों का सबसे ज़्यादा असर धर्म, जाति, भाषा व क्षेत्र के बन्धनों को तोड़कर एक साथ रहने वाले प्रेमी युगलों पर पड़ेगा क्योंकि ये वे सम्बन्ध हैं जो पितृसत्तात्मक समाज की आँखों में किरकिरी के समान होते हैं। इस क़ानून के फलस्वरूप ख़ासतौर पर महिलाओं के लिए स्वतन्त्र रूप से अपने जीवन के फ़ैसले लेना और भी कठिन हो जायेगा क्योंकि यह क़ानून पितृसत्तात्मक राज्यसत्ता व समाज को उनकी यौनिकता और उनके निजी जीवन पर नियन्त्रण करने का औजार प्रदान करता है।

इस क़ानून के समर्थकों की ओर से इसके समर्थन में तर्क यह दिया जा रहा है कि लिव-इन सम्बन्धों को औपचारिक जामा पहनाने से ऐसे सम्बन्धों के तहत होने वाले स्त्री उत्पीड़न पर रोक लगेगी क्योंकि इन सम्बन्धों के तहत होने वाली हिंसा पर नकेल कसेगी और ऐसे सम्बन्ध से बाहर निकलने के बाद स्त्री को गुज़ारा भत्ता पाना आसान होगा। लेकिन सच तो यह है कि लिव-इन सम्बन्धों के तहत होने वाली हिंसा और गुज़ारा भत्ता का अधिकार पहले से ही घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की परिधि में आते हैं और उसके लिए ऐसे सम्बन्धों को पंजीकृत करवाना आवश्यक नहीं है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि लिव-इन सम्बन्धों को पंजीकृत कराकर स्त्रियों को इन्साफ़ दिलाने का तर्क बकवास है।

इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा सरकार ने यह प्रतिगामी क़ानून लोकसभा चुनावों के पहले अपने रूढ़िवादी हिन्दू वोट बैंक को सुदृढ़ करने के मक़सद से पारित करवाया है। यह फ़ासीवादी क़ानून अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने व स्त्रियों की यौनिकता पर काबू करने व नागरिकों के निजी जीवन में दखलन्दाज़ी करने वाली मजबूत राज्यसत्ता स्थापित करने की हिन्दुत्ववादी परियोजना का अभिन्न हिस्सा है। मज़दूर वर्ग, छात्रों, युवाओं, स्त्रियों व आम नागरिकों को इस फ़ासीवादी औज़ार का हर हाल में विरोध करना चाहिए।

दिल्ली के करावल नगर में जारी बादाम मज़दूरों का जुझारू संघर्ष : एक रिपोर्ट

● प्रियम्वदा

उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाक़े में पिछले 20 दिनों से बादाम मजदूरों की हड़ताल चल रही है। इस हड़ताल को तोड़ने के लिए बादाम मालिकों ने आरएसएस की गुण्डा फ़ौज, स्थानीय भाजपा विधायक, सांसद और पुलिस प्रशासन का साथ लिया है परन्तु बादाम मज़दूर करावल नगर मज़दूर यूनियन के नेतृत्व में मालिक-प्रशासन-संघ-भाजपा गठजोड़ का मुँहतोड़ जवाब देते हुए अपनी हड़ताल को जारी रखे हुए हैं।

इस हड़ताल के शुरु होने का कारण पिछले 12 सालों से मज़दूरों की मज़दूरी का न बढ़ना है, भयंकर कार्यस्थिति और मालिकों की गुण्डागर्दी है जिसके ख़िलाफ़ मज़दूर दिल्ली के एक कोने में अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मालूम हो कि साल 2012 में 15 दिनों तक चली ऐतिहासिक हड़ताल के बाद करावल नगर के मालिकों को यूनियन से बातचीत करके कई माँगें माननी पड़ी थी जिसमें एक माँग यह भी थी कि हर साल मज़दूरी में बढ़ोतरी की जायेगी। मगर पिछले 12 सालों में मज़दूरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इसीलिए मजदूरों को हड़ताल करनी पड़ी जिसकी वजह से करावल नगर के 90 फ़ीसदी गोदामों में काम बन्द है।

बादाम मज़दूरों की बदहाली और गोदाम मालिकों की चाँदी

जो बादाम बाज़ार में 700-1000 रुपये प्रतिकिलो की क़ीमत पर बिकता है उस बादाम की छँटाई और सफ़ाई का काम करने वाले मज़दूरों को प्रतिकिलो बादाम की छंटाई का मात्र 2 रुपये भुगतान किया जाता है। करावल नगर के इलाक़े में चल रहे 80-90 गोदामों में तकरीबन 5000 मज़दूर काम करते हैं जिसमें से अधिकांश महिला मज़दूर हैं। करावलनगर व दिल्ली के कुछ अन्य इलाक़ों में स्थित बादाम का यह उद्योग छोटे-छोटे ठेकेदारों और मालिकों द्वारा चलाया जाता है। रिहायशी इलाक़े में चल रहे ये गोदाम वास्तव में छोटे कारख़ाने के समान हैं। दिल्ली के कुल बादाम गोदामों का 60-70 प्रतिशत करावलनगर क्षेत्र में स्थित है। यहाँ के मालिक और ठेकेदार पूरी तरह ग़ैर-क़ानूनी हैं। इनके पास न तो कोई लाइसेंस है और न ही सरकार द्वारा प्राप्त किसी भी किस्म की मान्यता। दिल्ली के श्रम विभाग की नाक के नीचे कई करोड़ रुपये की कीमत का एक अवैध कारोबार पिछले लगभग तीन दशकों से जारी है। इस उद्योग में काम करने वाले मज़दूरों को बेहद कम मज़दूरी मिलती है और उनकी काम करने की स्थितियाँ अमानवीय हैं। धूल-मिट्टी और बुरादे से बचाव के लिए इन्हें कोई साधन नहीं दिया जाता है जिसकी वजह से आमतौर पर मजदूरों को साँस सम्बन्धी बीमारियाँ होती हैं। 14 से 16 घण्टे इन गोदामों में बादाम की छँटाई का काम करने के बाद इन्हें बमुश्किल 200-250 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं। यह हाल पिछले 12 से अधिक सालों से जारी है। ख़राब कार्यस्थिति के अलावा यहाँ के गोदाम मालिक अकसर औरतों के साथ छेड़खानी और बदसलूकी करते हैं। 2012 के बाद से स्थानीय दबंग गुर्जर आबादी ने भी बादाम के गोदाम शुरू किये हैं और ये लोग आये दिन मज़दूरों के साथ मारपीट और जानवरों सरीखा व्यवहार करते हैं। इन गोदाम मालिकों का विशेष तौर पर 2014 के बाद से संघीकरण हुआ है और स्थानीय आर.एस.एस. के लोग इन गोदाम मालिकों के समर्थन में खड़े हुए हैं। हालाँकि इनका चरित्र टुटपूँजिया ठेकेदार/मालिक का ही है जो असंसाधित बादाम खारी बावली के बड़े मालिकों से ले आते हैं। खारी बावली के बड़े मालिक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से असंसाधित बादाम आयात करते हैं और उनका संसाधन यहाँ करवाते हैं। वैश्विक असेम्बली लाइन का एक जीता-जागता उदाहरण हमें बादाम संसाधन उद्योग में मिलता है। खारी बावली के कई बड़े मालिकों के अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में अपने फार्म हैं जिनपर वे बादाम की खेती करवाते हैं। लेकिन संसाधन के लिए भारत को चुना गया है क्योंकि यहाँ जितना सस्ता श्रम और भ्रष्ट श्रम विभाग पूरी दुनिया में इन मालिकों को कहीं नहीं मिल सकता है।

हड़ताल की शुरुआत

"हड़ताल मज़दूरों को सिखाती है कि मालिकों की शक्ति तथा मज़दूरों की शक्ति किसमें निहित होती है; वह उन्हें केवल अपने मालिक और केवल अपने साथियों के बारे में ही नहीं, वरन तमाम मालिकों, पूँजीपतियों के पूरे वर्ग, मज़दूरों के पूरे वर्ग के बारे में सोचना सिखाती है। जब किसी फ़ैक्टरी का मालिक, जिसने मज़दूरों की कई पीढ़ियों के परिश्रम के बल पर करोड़ों की धनराशि जमा की है, मज़दूरी में मामूली वृद्धि करने से इन्कार करता है, यही नहीं, उसे घटाने का प्रयत्न तक करता है और मज़दूरों द्वारा प्रतिरोध किये जाने की दशा में हज़ारों भूखे परिवारों को सड़कों पर धकेल देता है, तो मज़दूरों के सामने यह सर्वथा स्पष्ट हो जाता है कि पूँजीपति वर्ग समग्र रूप में समग्र मज़दूर वर्ग का दुश्मन है और मज़दूर केवल अपने ऊपर और अपनी संयुक्त कार्रवाई पर ही भरोसा कर सकते हैं। अक्सर होता यह है कि फ़ैक्टरी का मालिक मज़दूरों की आँखों में धूल झोंकने, अपने को उपकारी के रूप में पेश करने, मज़दूरों के आगे रोटी के चन्द छोटे-छोटे टुकड़े फेंककर या झूठे वचन देकर उनके शोषण पर पर्दा डालने के लिए कुछ भी नहीं उठा रखता। हड़ताल मज़दूरों को यह दिखाकर कि उनका "उपकारी" तो भेड़ की खाल ओढ़े भेड़िया है, इस धोखाधड़ी को एक ही वार में ख़त्म कर देती है।" – लेनिन

पिछले 12 सालों से जारी लूट और मालिकों की मनमानी के ख़िलाफ़ मज़दूरों का ग़ुस्सा फूट पड़ा और बीते 1 मार्च को अपनी हड़ताल की घोषणा करते हुए मज़दूरों ने एक जुझारू जुलूस निकाला और इलाक़े में सभी गोदाम बन्द करवाये। 3 मार्च को दिल्ली के जन्तर-मन्तर पर इकट्ठा होकर पुलिस की तमाम दमनात्मक कार्रवाई के बावजूद अपनी माँगें उठायीं।

करावल नगर में कामबन्दी के कारण मुनाफ़े में आयी रुकावट से घबराये मालिकों ने पहले मज़दूरों को डराना-धमकाना शुरू किया और मज़दूरी बढ़ाने के बजाय कम करने की धमकी की। मालिकों की इन गीदड़भभकियों से डरे बिना मज़दूरों ने हड़ताल जारी रखी जिससे बौखलाए गोदाम-मालिकों ने मज़दूरों की हड़ताल को तोड़ने के लिए अफ़वाह फैलाने, दलालों को हड़ताल में भेजने और मज़दूरों को क्षेत्र के आधार पर बाँटने के प्रयास किये परन्तु हड़ताल इन सभी चालों को नाकामयाब कर आगे बढ़ रही है। हर दिन मज़दूर मंगल बाज़ार के पास हड़ताल चौक पर एकजुट होकर इलाक़े में मालिकों को मुँहतोड़ जवाब देते हुए जुलूस निकाल रहे हैं। मालिक मज़दूरों को यह धमकी देते रहे कि वो गोदाम बन्द कर देंगे और मज़दूर भूखे मारे जायेंगे परन्तु यूनियन ने हड़ताल कोष जारी कर हर हड़ताली मज़दूर के लिए सहयोग जुटाने का आह्वान किया जिसे देशभर से समर्थन मिल रहा है। दिल्ली में दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हेल्पर्स यूनियन, बवाना औद्योगिक क्षेत्र मज़दूर यूनियन, दिल्ली घरेलू कामगार यूनियन, दिशा छात्र संगठन और भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी ने भी हड़ताल का समर्थन किया है।

हड़ताल ने इलाक़े में "राष्ट्र निर्माण" का नारा लगाने वाले संघी चड्ढीधारियों को भी बेनक़ाब कर दिया है। स्थानीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट से लेकर शाखा जाने वाले संघियों ने हड़ताल में गोदाम मालिकों का साथ दिया है बल्कि असल में तो खुद कई गोदाम मालिक भी संघ और भाजपा से जुड़े हैं। यह बात यहाँ बिल्कुल स्पष्ट होती है कि फ़ासीवादी ताकतों का निशाना हमेशा ही मज़दूर आन्दोलन और प्रगतिशील विचार होते हैं। हड़ताली मजदूरों के ख़िलाफ़ गोदाम मालिकों के गुण्डों और दलालों की मौजूदगी यही दिखाती है। गोदाम मालिकों ने संघियों के साथ मिलकर स्थानीय नागरिक आबादी को भी हड़तालियों के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश की मगर इसके जवाब में यूनियन ने स्थानीय नागरिकों के नाम पर्चा निकालकर गोदाम मालिकों कि इस चाल को भी नाकामयाब किया। हड़ताल में बादाम मज़दूरों को स्थानीय मज़दूर आबादी भी समर्थन दे रही है।

इससे बौखलाकर ही गोदाम मालिकों और संघी गुण्डा फौज ने हड़ताल को ख़त्म करवाने के प्रयास में बादाम मज़दूर महिलाओं पर लोहे की रॉड, डंडों और पत्थरों से हमला किया। हमलावर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में खुलेआम घूमते रहे और पुलिस उल्टा यूनियन के कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार करने और मजदूरों को हड़ताल ख़त्म करने की धमकी देती रही। परन्तु मजदूरों ने मालिकों द्वारा किये गये इस कायराना हमले के जवाब में अगले दिन ही पूरे इलाक़े में एक जुझारू जुलूस निकालकर मालिक-संघ-पुलिस प्रशासन की हरकतों को चेतावनी दी। अपनी एकजुटता के दम पर पुलिस प्रशासन को हमलावर मालिकों के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज़ करने पर भी मजबूर किया। हालांकि पुलिस किसी भी तरह इस मामले में मालिकों के ख़िलाफ़ कोई भी कदम उठाने से बच रही है और तमाम प्रपंच कर उन्हें बचाने की कोशिश में लगी है।

अपनी हड़ताल के दौरान संघर्षरत बादाम मज़दूरों ने न सिर्फ़ मालिकों के मुनाफ़े के लिए काम कर रही इस व्यवस्था के नियमों को समझा है बल्कि पुलिस से लेकर श्रम विभाग जैसी संस्थाओं के मज़दूर-विरोधी चरित्र को भी करीब से देखा है।

हड़ताल ने बादाम मजदूरों के समक्ष यह साफ़ कर दिया है कि ***"क़ानून केवल अमीरों के हितार्थ बनाये जाते हैं, कि सरकारी अधिकारी उनके हितों की रक्षा करते हैं, कि मेहनतकश जनता की ज़ुबान बन्द कर दी जाती है, उसे इस बात की अनुमति नहीं दी जाती कि वह अपनी माँगें पेश करे, कि मज़दूर वर्ग को हड़ताल करने का अधिकार, मज़दूर समाचारपत्र प्रकाशित करने का अधिकार, क़ानून बनानेवाली और क़ानूनों को लागू करने के कार्य की देखरेख करने वाली राष्ट्रीय सभा में भाग लेने का अधिकार अवश्य हासिल करना होगा। सरकार ख़ुद अच्छी तरह जानती है कि हड़तालें मज़दूरों की आँखें खोलती हैं और इस कारण वह हड़तालों से डरती है तथा उन्हें यथाशीघ्र रोकने का प्रयत्न करती है।" (लेनिन)***

करावल नगर के इलाक़े में बादाम मालिकों का यह शोषण और अत्याचार यूँ ही नहीं चल रहा है। यह पूरा अवैध कारोबार और गुण्डागर्दी खुलेआम भाजपा के नेता-मंत्रियों के संरक्षण में

(पेज 8 पर जारी)

बादाम मज़दूरों का जुझारू संघर्ष

(पेज 7 से आगे)

चलाया जा रहा है। पुलिस-प्रशासन भी इस इलाक़े में मूकदर्शक बनी रहती है। भाजपा से जुड़े इन मालिकों के ख़िलाफ़ शिकायत तक दर्ज़ करने में स्थानीय पुलिस थाने के हाथ-पाँव सूज जाते हैं।

बादाम मज़दूरों ने अपने संघर्ष से दिखा दिया है कि वह मालिकों के सामने झुकने वाले नहीं हैं। अपनी एकता के दम पर मज़दूरों ने मालिकों से लेकर उनके गुण्डों, दलालों तक को पहले भी सबक सिखाया है और इस बार भी वो मालिकों के ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ मोर्चे पर डटे हैं। इस हड़ताल ने असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों के लिए एक मिसाल कायम की है और यह दिखा दिया है कि इलाक़ाई पैमाने पर मज़दूरों के संगठन खड़े करके असंगठित और बिखरे हुए मज़दूरों की लड़ाई को एक संगठित और विशाल रूप दिया जा सकता है।

यह हड़ताल आज भी जारी है। बिगुल मज़दूर दस्ता बादाम मज़दूरों के संघर्ष का समर्थन करता है और देशभर से मज़दूरों, छात्रों और इंसाफ़पसन्द नागरिकों को हड़ताल के समर्थन में आने की अपील करता है क्योंकि मालिकों की पूँजी की ताकत के बरक्स आज मज़दूरों के पास उनकी एकता और आम मेहनतकश जनता की ताकत है। मज़दूर अपनी एकता के दम पर लड़ रहे हैं लेकिन उन्हें देश की मज़दूर और आम मेहनतकश आबादी के साथ की ज़रूरत है।

करावल नगर मज़दूर यूनियन के नेतृत्व में पिछले 20 दिनों से चल रही इस हड़ताल की माँगें निम्नलिखित हैं:

1. बादाम की छंटाई को रेट 2 रूपये प्रति किलो से बढ़ाकर 12 रूपये किया जाये।

2. काम के घण्टे 8 सख़्ती से लागू हो,ओवरटाइम का डबल रेट से भुगतान किया जाये। सभी श्रम क़ानूनों को लागू किया जाये।

3. महिला मज़दूरों के लिये कार्यस्थल पर शौचालय की व्यवस्था की जाये। इसके साथ ही बच्चों के देखभाल के लिये पालनाघर भी बनाया जाये।

4. मशीन से बादाम तुड़ाई का रेट प्रति कट्टा 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये किया जाये।

5. हर माह की 1 से 5 तारीख तक काम का भुगतान किया जाये।

6. स्टाफ़ मज़दूर को न्यूनतम वेतन 25,000 रुपये प्रति महीना दिया जाये।

केन्द्रीय एजेंसियाँ बनी भाजपा के हाथों की केन्द्रीय कठपुतलियाँ!

● भारत

जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, केन्द्रीय एजेंसियों के काम का बोझ और अधिक बढ़ता जा रहा है। ख़ास तौर पर ई.डी व सीबीआई का। ये दोनो एजेंसियाँ भाजपा के कार्यकाल में काफ़ी सक्रियता से काम कर रही हैं। इनके अफ़सरों को तो एक दिन की छुट्टी भी नहीं मिलती। अगर यक़ीन नहीं हो रहा तो कुछ आँकड़ों के माध्यम से समझिए। 2022 के अन्त तक "ई.डी प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग" एक्ट के तहत 3010 रेड मार चुकी है, जिसमें क़रीब 99,356 करोड़ रुपए ज़ब्त कर चुकी है। (इसके बाद ये आँकड़े आने बन्द हो गये, जैसे कि बेरोज़गारी के बन्द हो गये)। वहीं कांग्रेस के कार्यकाल यानी 2004-14 तक ईडी ने सिर्फ़ 112 रेड की और इसमें 5346 करोड़ रुपए ज़ब्त किये। बताते चलें कि केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा 2014-22 तक फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेण्ट एक्ट (FEMA) के तहत 22,320 केस दर्ज़ किये गये हैं। कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि इसमें क्या बुराई है, देश को बचाने के लिए ई.डी व सीबीआई जी-जान से लगे हुए हैं।

मगर अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ़ कि आख़िर यह सब कारवाई ईडी व सीबीआई ने कितने "निष्पक्ष" तरीके से की! ईडी व केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा की गयी ये कार्रवाइयाँ 95 प्रतिशत विपक्षी नेताओं पर थी। क़रीब 121 नेताओं पर यह कारवाई हुई, जिसमें से 115 विपक्ष के थे। सिर्फ़ ऐसा नहीं है यह करवाईयाँ विपक्षी नेताओं पर ही हुई हो, केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा यह दमन हर्ष मन्दर, तीस्ता सीतलवाड़ जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं, ऑल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद ज़ुबैर और भीमा कोरेगाँव में शामिल राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर भी किया गया है। साथ ही समय-समय पर भाजपा के खिलाफ़ बोलने पर तमाम पत्रकारों व चैनलों पर इसकी गाज़ गिरी है। भास्कर ग्रुप के ऊपर भी आईटी विभाग की रेड हुई थी, जब कोरोना काल में भाजपा कुप्रबन्धन के खिलाफ़ भास्कर ने लिखा था। अदाणी द्वारा ख़रीदे जाने से पहले एनडीटीवी पर भी सीबीआई रेड पड़े थे। न्यूज क्लिक के दफ़्तर पर भी दिल्ली पुलिस ने "चीन से फ़ण्डिंग" को लेकर छापा मारा था। लगातार जारी कारवाइयों का यह सिलसिला साफ़ दर्शाता है कि आज केन्द्रीय एजेंसियाँ पूरी तरह भाजपा के इशारे पर काम कर रही हैं।

इसपर भी कई भलेमानुष कह सकते हैं कि विपक्ष तो है ही भ्रष्टाचारी, 70 साल तक इन्होंने देश को लूटा, अब भाजपा इनको सबक सिखा रही है! तब सवाल यह बनता है कि जब यही विपक्षी नेता रेड पड़ने के बाद भाजपा में शामिल हो जाते हैं, तब ईडी व सीबीआई नर्म क्यों पड़ जाती है! तब उतने ही "कठोर" तरीके से इनपर कारवाई क्यों नहीं होती, जितनी तब हो रही थी जब ये विपक्ष में थे! आइए चन्द उदाहरणों से देखते हैं :

● सुवेन्दु अधिकारी जो पहले तृणमूल कांग्रेस में थे। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के पूरे अभियान में अधिकारी को शारदा चिट फ़ण्ड घोटाले का आरोपी बताया। जैसे ही अधिकारी भाजपा में शामिल हुए उनके खिलाफ़ जारी सभी जाँच को रोक दिया गया।

● हेमन्त बिस्वा शर्मा जो आज असम के मुख्यमन्त्री हैं, यह 2015 में भाजपा में शामिल हुए, इससे पहले यह कांग्रेस में थे। भाजपा द्वारा इन्हे पानी घोटाले का आरोपी बताते हुए इनके घोटालों पर एक पुस्तिका भी निकाली थी। अब इसी व्यक्ति को भाजपा ने मुख्यमन्त्री बना दिया। इनके द्वारा भी किये गये तमाम घोटालों के जाँच को अब रोका जा चुका है।

● मुकुल रॉय भी पहले तृणमूल कांग्रेस में शामिल थे। इन्हे भी शारदा चिट घोटाले का आरोपी बताया गया। जब ये भाजपा में शामिल हुए, उसके बाद यह भी साफ़-सुथरे हो गये। पर नीतीश कुमार की तरह पलटी मारते हुए फिर यह वापस तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गये।

● अजीत पवार के बारे में तो ख़ुद मोदीजी ने कहा था कि ये सबसे बड़े घोटालेबाज़ हैं। उनके यह बोलने के कुछ दिन बाद ही अजीत पवार भाजपा में शामिल हो गये और घोटालेबाज़ से सभ्य-सुसंस्कृत-सम्माननीय बन गये।

यह फ़ेहरिस्त काफ़ी लम्बी है जैसे : छगन भुजबल, नारायण राणे, प्रेम खाण्डू, प्रफुल्ल पटेल आदि। ये कुछ प्रतिनिधिक नाम थे, जो भाजपा में शामिल होने से पहले भ्रष्टाचारी थे और भाजपा में शामिल होने के बाद सदाचारी बन गये। भाजपा में शामिल होने से पहले तमाम केन्द्रीय एजेंसियाँ इनके पीछे पड़ी थीं और भाजपा में शामिल होने के बाद इनके सारे पाप धुल गये और इनपर जारी सभी जाँचों को रोक दिया गया।

अगर सिर्फ़ घोटालों की ही बात करें तो क्या भाजपा में घोटालेबाज़ नहीं हैं? क्या घोटालेबाज़ सिर्फ़ विपक्षी पार्टियों में है! असल में कहा जाये तो भाजपा को भ्रष्टाचारी जन पार्टी कहना ज़्यादा सही होगा। शिवराज सिंह चौहान के व्यापम घोटाले को कौन भूल सकता है। राफेल घोटाला, पीएम केयर घोटाला, एनपीए घोटाला, अदाणी घोटाला, सेन्ट्रल विस्टा घोटाला... इसकी भी फ़ेहरिस्त काफ़ी लम्बी है। ये सब घोटाले मोदीराज के दौरान ही हुए हैं, इनपर तो कभी ईडी या सीबीआई ने जाँच नहीं की। चालीस से ज़्यादा पूँजीपति देश के लोगों का पैसा लेकर भाग गये, इनपर तो ईडी-सीबीआई ने कभी कारवाई नहीं की। समर्पण की मिसाल देखिए कि ईडी-सीबीआई भाजपा के लिए चन्दा वसूलने तक का काम कर रही है। कई कम्पनियाँ जिन्होंने भाजपा को चन्दा नहीं दिया या फिर मोदी के यार अडाणी के रास्ते में बाधा बने उनपर भी ईडी व सीबीआई ने छापेमारी की। कारण साफ़ है कि तमाम केन्द्रीय एजेंसियाँ अपने आका के खिलाफ़ नहीं जा सकतीं।

वैसे तो मौजूदा मुनाफ़ा-केन्द्रित व्यवस्था अपने आप में घोटालों और भ्रष्टाचार का अन्तहीन चक्र है। देश में आज़ादी के बाद से ही घोटालों और भ्रष्टाचार का इतिहास रहा है। जो व्यवस्था बाक़ायदा मुनाफ़ाखोरी को बढ़ावा दे, जो व्यक्तिगत लाभ को सर्वोच्च बताये, जो साम-दाम-दण्ड-भेद से धन और सत्ता को हासिल करने को ही लक्ष्य बताये, जो समाज की आवश्यकताओं के अनुसार सभी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन व वितरण न करे, बल्कि जिसमें मुट्ठी भर धन्नासेठों के मुनाफ़े से संचालित उत्पादन व वितरण हो, जहाँ मुनाफ़े की अन्धी हवस का ही राज हो, वहाँ मुनाफ़ाखोरी केवल क़ानूनी सीमा में सीमित थोड़े ही रहेगी! इसकी वज़ह यह है कि मौजूदा व्यवस्था जिसे हम लोकतन्त्र कहते हैं, वह असल में मुट्ठी भर बड़े धन्नासेठों, अमीरज़ादों, मालिकों, ठेकेदारों, बड़े दुकानदारों, बिल्डरों, धनी फ़ार्मरों आदि के एक वर्ग की बहुसंख्यक आम मेहनतक़श जनता के ऊपर तानाशाही ही होती है। इसलिए सभी पार्टियों में पूँजीपति वर्ग के प्रतिनिधि के तौर पर घोटाले करती ही हैं, यह दीगर बात है कि भाजपा ने घोटालों में भी पुराने सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है।

लोकसभा चुनाव से पहले ईडी व सीबीआई द्वारा यह धरपकड़ और तेज़ हो गयी है और दिन की उजाले के तरह साफ़ हो चुका है कि केन्द्रीय एजेंसियाँ भाजपा की कठपुतली की तरह काम कर रही हैं। इसका कारण है पूरी सत्ता व मशीनरी में फ़ासीवादियों की पोर-पोर में पहुँच। फ़ासीवाद भारत में जिस कार्यपद्धति को लागू कर रही है उसकी भी जर्मन और इतालवी फ़ासीवादियों की कार्यपद्धति से काफ़ी समानता रही है। जर्मनी और इटली की तरह यहाँ पर भी फ़ासीवादी जिन तौर-तरीकों का उपयोग कर रहे हैं, वे हैं सड़क पर की जाने वाली झुण्ड की हिंसा; पुलिस, नौकरशाही, केन्द्रीय एजेंसी, सेना और मीडिया का फ़ासीवादीकरण; क़ानून और संविधान का खुलेआम मख़ौल उड़ाते हुए अपनी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना और इस पर उदारवादी पूँजीवादी नेताओं की चुप्पी; शुरुआत में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना और फिर अपने हमले के दायरे में हर प्रकार के राजनीतिक विरोध में ले आना। यह दुनिया भर के फ़ासीवादियों की साझा रणनीति रही है। फ़ासीवादी हमले का निशाना संस्थाएँ नहीं बल्कि व्यक्ति हुआ करते हैं और भारत में भी विरोधियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को आतंकित करने की यही नीति फ़ासीवादियों द्वारा अपनायी जा रही है।

इसके खिलाफ़ प्रतिरोध की उम्मीद आज के दौर में कांग्रेस या किसी भी विपक्षी पार्टियों से करना, रेगिस्तान में पानी ढूँढ़ने के जैसा है। उनके नेता तो ख़ुद पर गाज़ गिरते ही पाला बदल कर भाजपा में शामिल हो जाते हैं। इसलिए आज भगतसिंह की बात को याद करना ज़रूरी है। भगतसिंह ने लिखा था कि क़ानून की पवित्रता तभी तक क़ायम रखी जा सकती है जब तक वह जनता के दिल यानी भावनाओं को प्रकट करता है। जब यह शोषणकारी समूह के हाथों में एक पुर्ज़ा बन जाता है तब अपनी पवित्रता और महत्व खो बैठता है। आज साफ़ है केन्द्रीय एजेंसियाँ भी फ़ासीवादी मोदी सरकार का पुर्ज़ा बन चुकी हैं। आज देश में तमाम भ्रष्टाचार और घोटालों को क़ानूनी जामा पहनाया जा चुका है। सरकारें पूँजीपतियों के हित में सभी क़ानूनों को तोड़-मरोड़ देती हैं या उनकी धज्जियाँ उड़ाती रहती हैं। बदले में पूँजीपति वर्ग उनकी पार्टियों को अरबों रुपये चन्दों के रूप में देते हैं। आज भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो आज के संकट के दौर में हर तरह के नियमों-क़ानूनों को ताक पर रखकर, हर तरह के साम-दाम-दण्ड-भेद की सहायता लेकर पूँजीपति वर्ग के मुनाफ़े की गिरती दर को पूरा कर सकती है और दूसरी ओर जनता के असन्तोष को जाति-धर्म, मन्दिर-मस्ज़िद, हिन्दू-मुसलमान के नाम पर उलझा सकती है। स्पष्ट है कि जैसे-जैसे पूँजीवाद का यह संकट बढ़ेगा, भाजपा का चाल-चेहरा-चरित्र भी इसी तरह उजागर होता जायेगा।

मोदी सरकार का महाघोटाला : इलेक्टोरल बॉण्ड घोटाला

(पेज 1 से आगे)

था। इक्कीसवीं सदी के फ़ासीवाद की ख़ासियत यह है कि पूँजीवादी जनवाद के खोल को बरक़रार रखा जाता है। इसके साथ ही कुछ अन्तरविरोध भी पैदा होते हैं। फ़ासीवादी उभार जर्मनी व इटली के उदाहरणों के समान अब एकाश्मी व सजातीय नहीं होता, बल्कि उसमें गैप होते हैं। लेकिन इससे इसके ख़तरनाक चरित्र और ताक़त में कोई विशेष कमी नहीं आती क्योंकि उभार के लम्बे दौर के कारण इसकी समाज में पकड़ भी गहरी होती है। यह एक ऐसी चीज़ है जो 20वीं सदी के पूर्वार्द्ध की फ़ासीवादी सत्ताओं के पास नहीं थी। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट व्यवस्था के दूरदर्शी पहरेदार के समान इस निपट नंगे भ्रष्टाचार को जारी रहने देता, तो उसकी स्वीकार्यता और वर्चस्व ही ख़तरे में पड़ जाता जो कि आम तौर पर पूँजीवादी व्यवस्था के भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं होती। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर हस्तक्षेप किया। हालाँकि अन्य कई मसलों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीधे हस्तक्षेप न किया जाना बहुत-से सवाल खड़े करता है: मसलन, मोदी सरकार द्वारा आनन-फ़ानन में दो चुनाव आयुक्तों की चुनाव से ठीक पहले नियुक्ति, ईवीएम का मसला, इत्यादि।

सबसे पहले इलेक्टोरल बॉण्ड की व्यवस्था के बारे में संक्षेप में समझ लेना आवश्यक है।

इलेक्टोरल बॉण्ड की व्यवस्था: चुनावी चन्दे की व्यवस्था को अपारदर्शी बना पूँजीपतियों से चन्दा वसूलने और उन्हें लाखों करोड़ का मुनाफ़ा देने की व्यवस्था

मोदी-शाह सरकार 2018 में इलेक्टोरल बॉण्ड की योजना लेकर आयी। इसके ज़रिये तमाम पूँजीपति यानी तमाम बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ, धनी बिल्डर, व्यापारी, दलाल, आदि गोपनीय तरीके से यानी चोरी-छिपे चुनावबाज़ पार्टियों को चन्दा दे सकते हैं। इसमें ये पूँजीपति बैंक से एक बॉण्ड ख़रीदते हैं, जो एक प्रकार का क्रेडिट नोट या वायदा पत्र है। ये बॉण्ड ये पूँजीपति चुनावी चन्दे के तौर पर चुनावबाज़ पार्टियों को देते हैं, जो उन्हें बैंकों में देकर इस बॉण्ड की कीमत के बराबर धन को अपने खातों में जमा कर सकते हैं। यानी, यह चुनावी चन्दा देने का एक ऐसा घुमावदार तरीका है, जिसमें कि किसने किसको कितना चन्दा दिया, यह छिपाया जा सके। भाजपा का 2018 में चुनावी बॉण्ड लाने का मक़सद ही यही था कि वह इस बात को छिपा सके कि वह किस प्रकार से देश के पूँजीपतियों से हज़ारों करोड़ रुपये चन्दे में लेती है और उसी के बूते सांसदों, विधायकों को ख़रीदने, चुनी हुई सरकारों को गिराने, नौकरशाहों को ख़रीदने आदि का पवित्र रामनामी काम करती है! दूसरे शब्दों में, इलेक्टोरल बॉण्ड पूँजीपतियों से चन्दा लेने और आना-कानी करने पर चन्दा ऐंठने और बदले में उन्हें हज़ारों करोड़ के ठेके देने, टैक्स माफ़ी देने का एक उपकरण है जिसका कि मोदी-शाह जोड़ी अपनी तानाशाह किस्म की सरकार को क़ायम रखने के लिए इस्तेमाल कर सकें। ऊपर से फ़ायदा इसमें यह है कि अब तक इस पूरी व्यवस्था को अपारदर्शी बनाकर भाजपा यह छिपा सकती थी कि वह किस प्रकार देश के धनी पूँजीपतियों, व्यापारियों, कुलकों-फार्मरों, दलालों, प्रॉपर्टी डीलरों, ट्रांसपोर्टरों की पार्टी है, उन्हीं के चन्दे पर इनका 'कमल' फूलता है और इन्हीं को मुनाफ़ाखोरी का वह मौका देती है। **अब यह बात खुलकर सामने आ गयी है और इसे मेहनतकश आबादी के एक-एक सदस्य तक पहुँचाकर यह दिखलाना ज़रूरी है कि 'मुँह में राम बगल में छुरी' कहावत अगर किसी पर शब्दश: सटीक बैठती है तो यह संघियों और भाजपाइयों का फ़ासिस्ट फ़रौती वसूली गिरोह है।**

एक और बात जो यहाँ समझना ज़रूरी है वह यह कि चोरी का माल बाँटने की इस गोपनीय व्यवस्था के ज़रिये देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी और कालाबाज़ारू पूँजीपतियों ने अपने लाखों करोड़ों के काले धन को सफ़ेद धन में तब्दील किया है। नोटबन्दी के बाद काले धन को सफ़ेद धन में बदलने के लिए किया गया यह मोदी सरकार का दूसरा महाघोटाला था। मिसाल के तौर पर, एक कम्पनी का कुल शुद्ध मुनाफ़ा ही 2 करोड़ रुपये से कम था, लेकिन उसने 180 करोड़ रुपये से ज़्यादा के चुनावी बॉण्ड ख़रीदे! यह पैसा किसका था और कहाँ से आया? इसी प्रकार कई बेनामी कम्पनियाँ खड़ी की गयीं थीं, जिनके मालिकों के बारे में पता किया गया तो पता चला कि वे अम्बानी या अडानी जैसे पूँजीपतियों के लोग थे और इन शेल कम्पनियों, यानी दिखावटी कम्पनियों के ज़रिये, न सिर्फ़ हज़ारों करोड़ रुपये के चुनावी बॉण्ड ख़रीद रहे थे, बल्कि सीधे भी करोड़ों रुपये का चन्दा भाजपा को दे रहे थे। इसके ज़रिये इन पूँजीपतियों ने खुले भ्रष्टाचार से जमा अपने हज़ारों करोड़ रुपये के काले धन को सफ़ेद धन में तब्दील कर लिया। इसके लिए मोदी-शाह ने एकदम सड़कछाप वसूली भाइयों और चिन्दीचोर गुजराती भ्रष्टाचारी व्यापारियों की तकनीकों का मिक्सचर बनाया। नतीजा आपके सामने है: हमारे देश का और शायद दुनिया का सबसे भयंकर और सबसे बड़ा घोटाला, सौजन्य: मोदी-शाह सत्ता। **अब समझ में आ रहा है कि नरेन्द्र मोदी हमेशा मन्दिरों की चौखटों, हवनकुण्डों के किनारे, योगा करते या ध्यान लगाते टीवी पर क्यों पेश किये जाते हैं? ताकि आप कोई सवाल ही न पूछ पायें। इतना भारी धर्मध्वजाधारी ऐसे भयंकर कुकर्म और घोटाले कैसे कर सकता है? जवाब यह है कि वह इतना भारी धर्मध्वजाधारी बना इसीलिए फिरता है क्योंकि उसने इतने भारी-भरकम घपले और कुकर्म किये हैं।**

अब आइये समझते हैं कि चुनावी बॉण्डों में किसे कितना मिला।

किसको कितना मिला?

सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि पूँजीवादी चुनावबाज़ पार्टियों को इलेक्टोरल बॉण्डों के ज़रिये कितना मिला। क्यों? इससे **मेहनतकशों-मज़दूरों, ग़रीब व मँझोले किसानों, आम छात्रों-युवाओं, आम स्त्रियों, देश के मेहनतकश दलितों और आदिवासियों को यानी समूची आम मेहनतकश जनता** को पता चलेगा कि इस समय उनके दुश्मनों यानी **बड़े, मँझोले व छोटे पूँजीपतियों, धनी कुलकों-फार्मरों, ठेकेदारों, जॉबरों, उच्च नौकरशाहों, रियल एस्टेट धनाढ्यों, दलालों, बिचौलियों की, यानी समूचे पूँजीवादी शासक वर्ग** की पसन्दीदा पार्टी कौन-सी है और क्यों है।

नीचे दिया गया चार्ट देखिए :

जैसा कि आप देख सकते हैं भाजपा को कुल इलेक्टोरल बॉण्ड से आने वाले फ़ण्ड का लगभग 55 फ़ीसदी मिला। कांग्रेस को लगभग 13, तृणमूल कांग्रेस को लगभग 11, भारत राष्ट्र समिति को लगभग 10, बीजू जनता दल को लगभग 6, द्रमुक को 5, वाईएसआर कांग्रेस को लगभग 3 और तेलुगुदेशम को लगभग 2 प्रतिशत मिला है। कुल 11,450 करोड़ रुपये के चुनावी बॉण्ड में से 6,566 करोड़ भाजपा को, 1123 करोड़ रुपये कांग्रेस को, 1093 करोड़ तृणमूल कांग्रेस को, 774 करोड़ बीजू जनता दल को मिले। **हालाँकि अभी बॉण्ड को लेकर खुलासे जारी ही हैं और कई पत्रकारों ने इससे कहीं ज़्यादा रकम की जानकारी साझा की है।**

स्पष्ट है, भारत के पूँजीपति वर्ग की सबसे चहेती पार्टी भाजपा और सबसे चहेता नेता मोदी है। **अब आप स्वयं समझ लें कि जो पूँजीपतियों का सबसे चहेता हो, वह क्या मज़दूरों-मेहनतकशों, आम मध्यवर्गीय लोगों, आम छात्रों-युवाओं के हितों के लिए कुछ कर सकता है? आपको हमको रोज़ कारखानों, खानों-खदानों, खेतों से लेकर दफ्तरों तक में खटाने वाला पूँजीपति वर्ग क्या मूर्ख है जो मोदी को हज़ारों करोड़ का चन्दा दे रहा है?** निश्चित तौर पर, थोड़ा-बहुत चन्दा उसने विपक्षी पार्टियों को भी दिया है, लेकिन पूँजीपति वर्ग न तो आर्थिक तौर पर अपनी पूँजी किसी एक ही धन्धे में लगाता है और न ही राजनीतिक तौर पर वह किसी एक ही घोड़े पर दाँव लगाता है। वह हमेशा दूसरे विकल्पों को भी जीवित रखने का प्रयास करता है। यह दीगर बात है कि कई बार वह ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि उसका जो राजनीतिक प्रतिनिधि सत्ता में पहुँचता है, फासिस्ट या किसी अन्य प्रकार का दक्षिणपन्थी तानाशाह होने की सूरत में वह कई बार उससे ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी लेने लगता है, अपेक्षा से ज़्यादा राजनीतिक तौर पर स्वायत्त हो जाता है। **ऐसे में, पूँजीपति वर्ग का एक फासिस्ट हिरावल उसके लिए मुनाफ़ाखोरी के अभूतपूर्व अवसर भी पैदा करता है और साथ में उसे अपने अनुसार अनुशासित भी करता है। मौजूदा मसले में कुछ-कुछ ऐसा भी हुआ है, जैसा कि हम आगे देखेंगे।**

बहरहाल, इतना तो साफ़ है कि भाजपा देश के धन्नासेठों की पार्टी है। धन्नासेठ समाज सेवा के लिए हज़ारों करोड़ रुपये मोदी-शाह की

(पेज 10 पर जारी)

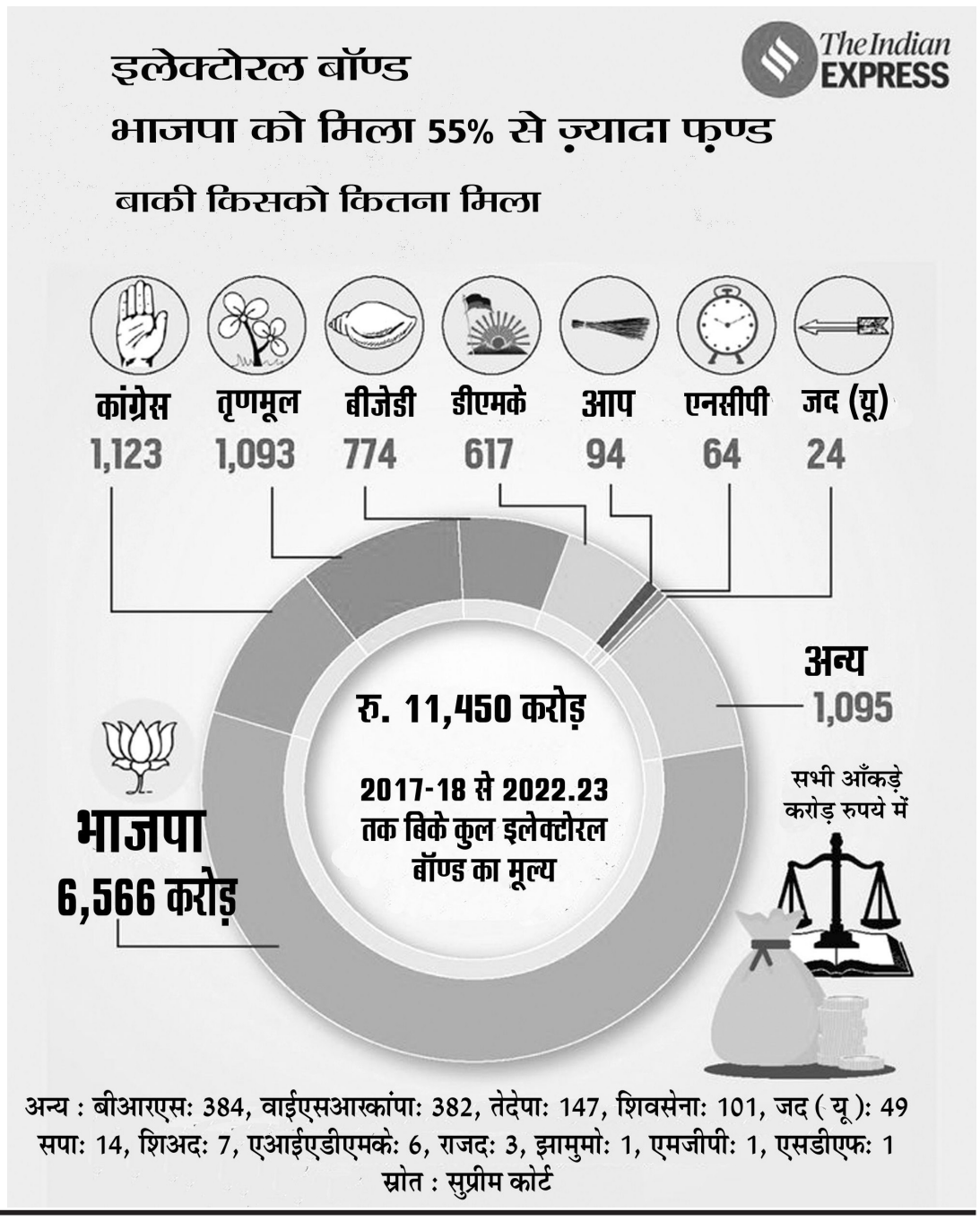

मोदी सरकार का महाघोटाला : इलेक्टोरल बॉण्ड घोटाला

(पेज 9 से आगे)

भाजपा की झोली में नहीं डाल रहे हैं। आप आगे देखेंगे कि इन धन्नासेठों को हज़ारों करोड़ रुपये चन्दा देने के बदले में भाजपा ने लाखों करोड़ रुपये का फ़ायदा पहुँचाया है: ठेके देकर, कर से छूट देकर, इत्यादि।

किसने कितना दिया?

अब यह भी देख लेना ज़रूरी होगा किसने कितना दिया? वे कम्पनियाँ या लोग कौन हैं? क्योंकि तभी तो हम देख पाएँगे कि इस सेवा का मेवा उन्हें मोदी सरकार ने किस प्रकार से दिया। नीचे 20 टॉप चुनावी बॉण्ड से चन्दा देने वाली कम्पनियाँ हैं :

टॉप 20 ख़रीदार (करोड़ रुपये में)	
फ़्यूचर गेमिंग एण्ड होटल सर्विसेज़ प्रा. लि.	1,368
मेघा इंजी. एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लि.	966
क्विक स्पलाई चेन प्रा. लि.	410
वेदान्ता लि.	400.7
हल्दिया एनर्जी लि.	377
एस्सेल माइनिंग एण्ड इंड. लि.	224.5
वेस्टर्न यूपी पॉवर ट्रांसमिशन कं. लि.	220
केवेण्टर फ़ूड पार्क इंफ्रा लि.	195
एमकेजे एँटरप्राइजेज़ लि.	192.4
मदनलाल लि.	185.5
भारती एअरटेल लि.	183
यशोदा सुपर स्पेशियल्टी हॉस्पिटल लि.	162
उत्कल अलुमिना इंटरनेशनल लि.	145.3
डीएलएफ़ कॉमर्शियल डेवलपर्स लि.	130
जिन्दल स्टील एण्ड पॉवर लि.	123
बीजी शिर्के कॉन्सट्रक्शन टेक्नोलॉजी लि.	118.5
धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	115
अवीस ट्रेडिंग एण्ड फ़ाइनेंस प्रा. लि.	112.5
टॉरेण्ट पॉवर लि.	106.5
बिड़ला कार्बन इण्डिया प्रा. लि.	105
चेन्नई ग्रीनवुड प्रा. लि.	105

अब उन सेठों के नाम भी देख लीजिये जिन्होंने व्यक्ति के तौर पर सबसे ज़्यादा कीमत के चुनावी बॉण्ड ख़रीदे :

टॉप 10 व्यक्तिगत ख़रीदार (करोड़ रुपये में)	
सुश्री ए.एन. महन्ती	45
लक्ष्मीनिवास मित्तल	35
लक्ष्मीदास वल्लभदास अस्मिता मर्चा	25
केआर राजा टी	25
राहुल भाटिया	20
राजेश मन्नालाल अग्रवाल	13
सौरभ गुप्ता	10
राजू कुमार शर्मा	10
राहुल जगन्नाथ जोशी	10
हरमेश राहुल जोशी	10
अनीता हेमन्त शाह	8

ये सभी इस देश के धनी पूँजीपतियों में से एक हैं। पहली ओडिशा की खनन क्षेत्र की पूँजीपति है। दूसरा देश ही नहीं दुनिया की बड़ी कम्पनियों में से एक आर्सेलरमित्तल का मालिक है। लक्ष्मीदास वल्लभदास अस्मिता मर्चेण्ट रिलायंस, यानी अम्बानी का आदमी है। उसका नाम जानबूझकर "मर्चा" छापा गया है, शायद इसलिए ताकि बाद में क़ानूनी तौर पर न धराए। राहुल भाटिया इण्टरग्लोब कम्पनी का प्रमोटर है। इसी प्रकार बाकी भी देश के बड़े धन्नासेठ हैं जिन्होंने मज़दूरों और ग़रीबों की मेहनत लूट-लूटकर अपनी तिजोरियाँ भरी हैं।

इसी प्रकार पहली लिस्ट में दी गयी कम्पनियों का नाम देखिए।

मोदी और मार्टिन का रिश्ता: सबसे ज्यादा फ़ण्ड जिस कम्पनी ने दिये हैं वह है फयूचर गेमिंग एण्ड होटल सर्विसेज़ एण्ड प्रा. लि.। कौन है इसका मालिक? इसका मालिक है साण्टियागो मार्टिन जो कि बरसों पहले बर्मा से आया था और भारत में इसने ग़रीबों को आनन-फ़ानन में अमीर बनाने का सपना दिखाकर लूटने का लॉटरी का धन्धा शुरू किया, ठीक वैसे ही जैसे देश की जनता को मोदी ने "अच्छे दिन" लाने का सपना बेचा था। इसने सिक्किम की राज्य सरकार तक को 4500 करोड़ रुपये का चूना लगा दिया, जिसके लिए इसके ऊपर केस भी हुआ। यह मार्टिन 2014 में मोदी सरकार बनने से पहले 8 महीने के लिए जेल की यात्रा भी कर आया था। लेकिन मोदी जी के प्रधानमन्त्री बनते ही ***इसके*** "अच्छे दिन" शुरू हो गये। इसके ऊपर ईडी व आयकर विभाग के मुकदमे चल ही रहे थे, तभी इसका बेटा चार्ल्स होसे मार्टिन भाजपा में शामिल हो गया। हाल ही में उसने अन्य लॉटरी पूँजीपतियों के साथ जाकर मोदी की वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और फिर अचानक मोदी सरकार ने लॉटरी पर जीएसटी घटा दी! यानी, खाने-पीने व जीवन के अन्य ज़रूरी सामानों पर जीएसटी थोपा जा रहा है, उसे लगातार बढ़ाया जा रहा है, यहाँ तक कि चावल, नून आदि पर भी भयंकर जीएसटी मोदी सरकार ने थोप दिया है लेकिन सांटियागो मार्टिन की कम्पनी को लॉटरी पर जीएसटी में छूट मिल गयी। इस सड़कछाप उचक्के की पत्नी के साथ 2014 में ही हमारे रामभक्त मोदी जी कोयम्बतूर में अपनी एक चुनावी सभा के मंच पर मौजूद थे। मार्टिन ने बोला भी था कि 'मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं।' जब सोहबत ऐसी हो, तो रामभक्ति तो करनी ही पड़ती है! यह सच है कि फ्यूचर गेमिंग ने द्रमुक को भी 509 करोड़ का चन्दा दिया, और यह भी तभी पता चला जब द्रमुक के नेता स्टालिन ने खुद ही बताया, लेकिन भाजपा वालों ने इस कम्पनी से कितना चन्दा लिया, इसके बारे में वे कोई साँस-डकार नहीं ले रहे!

मोदी और मेघा इन्जीनियरिंग का रिश्ता : लिस्ट में दूसरी कम्पनी है मेघा इन्जीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड। यह कम्पनी तेलंगाना में सिंचाई के लिए बनाये जा रहे कालेश्वरम प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपये के घोटाले में फँसी कुख्यात कम्पनी है। इसने प्रोजेक्ट की कीमत को बढ़ा-चढ़ाकर हज़ारों करोड़ (38,000 करोड़!) का चूना लगाया है। ज़ाहिर है, यह सारा पैसा भी जनता का ही है। इसी मेघा इन्जीनियरिंग को 2023 में मोदी सरकार ने 14,400 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट अपनी महाराष्ट्र की फडनवीस सरकार से दिलवाया था। इसी मेघा इन्जीनियरिंग की वेस्टर्न यूपी पावर कम्पनी भी है, जिसने 200 करोड़ से ज़्यादा का चन्दा अलग से दिया। यानी मेघा ग्रुप ने एक प्रकार से करीब 1200 करोड़ का चन्दा दिया। हर जगह भाजपा राज्य सरकारों ने इसे ख़ूब फ़ायदा पहुँचाया और साथ ही केन्द्र की मोदी सरकार ने भी इस कम्पनी को पर्याप्त लाभ पहुँचाया।

इसी कम्पनी ने करीब 100 करोड़ का चन्दा भारत राष्ट्र समिति के नेता के.सी.आर. को भी दिया। कालेश्वरम घोटाले में के.सी.आर. की राज्य सरकार की भी स्पष्टत: मिलीभगत थी। इसमें इस कम्पनी ने करीब 80 हज़ार करोड़ की परियोजना की कीमत को भ्रष्टाचारी तरीके से 1.5 लाख करोड़ रुपये का दिखाया था। इसी परम भ्रष्टाचारी कम्पनी के साथ मोदी-शाह की जोड़ी की गलबँहियाँ पूरे देश में देखी जा सकती है। इसी मेघा इन्जीनियरिंग ने महाराष्ट्र में एक नौकरशाह की शादी का पूरा ख़र्च उठाया। जी नहीं, उस नौकरशाह की शादी मेघा इन्जीनियरिंग के मालिक की बेटी से नहीं हो रही थी! बस मेघा इन्जीनियरिंग के मालिक को एक दिन सुबह अचानक लगा कि उसे एक नौकरशाह की शादी अपने खर्चे पर करवानी है! प्रूडेण्ट इलेक्टोरल ट्रस्ट (जो कि कांग्रेस की केन्द्र सरकार के दौरान शुरू हुए इलेक्टोरल ट्रस्ट की व्यवस्था की पैदावार था और स्वयं एक विशालकाय घोटाला है) में भी मेघा सबसे बड़े दानदाताओं में से एक है और इसके समूचे चुनावी चन्दे का 75 प्रतिशत देश में भ्रष्टाचार नामक महायज्ञ के प्रमुख यजमान नरेन्द्र मोदी के चरणों में अर्पित हुआ है। बोलो 'जय श्रीराम'!

क्विक सप्लाई चेन कम्पनी की सप्लाई किधर से आयी और किधर गयी? : यह मामला सबसे दिलचस्प है। मतलब, शेल कम्पनियों के ज़रिये काले धन को कैसे सफ़ेद किया जाय, यह पिछले 10 साल में गुजरात के दो ठगों ने पूरे देश के पूँजीपतियों को इस कदर सिखाया है कि समूचा पूँजीपति वर्ग आने वाली कई पीढ़ियों तक उनका कर्ज़दार रहेगा। आइये इस क्विक नामक कम्पनी के गोरखधन्धे को समझते हैं। क्विक सप्लाई चेन कम्पनी का अब तक ज़्यादातर लोगों ने नाम भी नहीं सुना था। लेकिन इसने चुनावी बॉण्ड द्वारा 410 करोड़ रुपये का चन्दा दिया! यह वास्तव में अम्बानी की एक शेल यानी फ़र्ज़ी कम्पनी है। बहुत-से मूर्ख और संघी आपको समझायेंगे कि 'देखो, मोदी जी का विरोध करने वाले उनको अम्बानी-अडाणी का दलाल बताते थे लेकिन चुनावी बॉण्ड ख़रीदने वालों में उनका नाम नहीं दिख रहा।' वजह यह है कि अम्बानी व अडाणी जैसे कई पूँजीपतियों ने अपनी शेल कम्पनियों के ज़रिये चुनावी बॉण्ड ख़रीदे हैं और इसके ज़रिये उन्होंने अपना काला धन भी सफ़ेद किया है। क्विक सप्लाई चेन के तीन निदेशक हैं विपुल प्राणलाल मेहता, श्रीधर टिट्टी और तापस मित्रा। ये तीनों ही अम्बानी समूह की कम्पनियों में निदेशक हैं। मित्रा 26 कम्पनियों का निदेशक है जबकि मेहता 8 अन्य कम्पनियों का निदेशक है। मज़ेदार बात यह है कि क्विक सप्लाई चेन का 2019 से 2023 के बीच में शुद्ध मुनाफ़ा था 109 करोड़ रुपया, जबकि उसने इसी बीच 410 करोड़ रुपये के चुनावी बॉण्ड ख़रीदे! यानी आमदनी दो आना और खर्चा दो रुपैय्या! कोई कम्पनी अपने मुनाफ़े से 377 प्रतिशत ज़्यादा, यानी लगभग 4 गुना ज़्यादा चुनावी चन्दा कैसे दे सकती है? साफ़ है : यहाँ काला धन सफ़ेद करने की मोदी सरकार की चुनावी बॉण्ड स्कीम का अम्बानियों ने पूरा फ़ायदा उठाया है।

ये तो बस मिसालें हैं। जो टॉप 3 दानदाता हैं, उनके साथ भाजपा के क्या रिश्ते हैं, इसे दिखाने की। लेकिन बाकी दानदाताओं के साथ भी लेन-देन के तगड़े सम्बन्ध हैं। यह बात तब और स्पष्ट हो जायेगी जब एस.बी.आई. चुनावी बॉण्ड के यूनीक कोड को ज़ाहिर करेगा। जिन कम्पनियों ने चुनावी चन्दा दिया उसमें से 30 सबसे ज़्यादा चन्दा देने वाली कम्पनियों में से आधे पर ई.डी., आयकर विभाग या सी.बी.आई. की जाँच चल रही थीं, उन पर छापे पड़ चुके थे और उनमें से कई के मालिक कुछ दिनों के लिए हवालात की हवा खाकर भी आये थे। **इनको और बाकी कम्पनियों में भी अधिकांश को चुनावी बॉण्ड ख़रीदने के बाद इन जाँचों से राहत मिलने लगती थी, जब फिर से हफ़्ता आने में देर होती थी, तो फिर से छापे पड़ने लगते थे, अचानक फिर से चुनावी बॉण्ड ख़रीद लिये जाते थे और जब चुनावी बॉण्ड ख़रीद लिये जाते थे तो बदले में उन्हें या तो सरकारी ठेके मिलते थे, या करों से छूट मिलती थी या उन्हें जाँचों में आरोपमुक्त कर दिया जाता था।**

हम सभी जानते हैं कि इस समय ई.डी., आयकर विभाग और सी.बी.आई. जैसी संस्थाएँ किसके इशारे पर काम कर रही हैं। ई.डी. का नाम ही कुछ लोगों ने एक्सटॉर्शन डाइरेक्टोरेट, या उगाही निदेशालय कर दिया है। ये संस्थाएँ इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और मोदी-शाह के नियन्त्रण में और उन्हीं के इशारे पर काम कर रही हैं। तो उनका इस्तेमाल करके चन्दा वसूली कौन कर सकता है? वह कांग्रेस या अन्य विपक्षी पार्टियाँ तो कर नहीं सकतीं! हाँ, यह ज़रूर है कि प. बंगाल और तेलंगाना जैसे राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा भी चुनावी बॉण्ड ख़रीदने वाली कम्पनियों को फ़ायदा पहुँचाये जाने का प्रमाण है और यही वजह है कि तृणमूल कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति जैसी क्षेत्रीय पार्टियाँ भाजपा के बाद बॉण्ड से चन्दा पाने वाली पार्टियों की सूची में काफ़ी ऊपर हैं।

पहले आप क्रोनोलॉजी समझिए : चन्दा दो, धन्धा लो, नहीं तो फन्दा लो, उसके बाद चन्दा दो और धन्धा लो!

अब देखते हैं कि गुजरात के फ़िरौती वसूली गिरोह ने भाजपा के चुनावी चन्दे को हज़ारों करोड़ तक पहुँचाने के लिए और कौन-सी नायाब तरक़ीबों का इस्तेमाल किया। सबसे पहले तो, गुजरात में अदालत द्वारा फ़िरौती गैंग का सरगना क़रार देकर तड़ीपार किये गये हमारे परमपूज्य रामभक्त अमित शाह जी के शब्दों में, 'आप क्रोनोलॉजी समझिए।' जो कम्पनियाँ शराफ़त से और पर्याप्त मात्रा में भाजपा को चन्दा नहीं दे रही थीं, उसमें आनाकानी कर रही थीं या उसमें देरी कर रही थीं, उन्हें कुछ प्रोत्साहन की ज़रूरत थी। ऐसे मामलों में प्रोत्साहन देने में अमित शाह काफ़ी तज़ुर्बेकार हो चुके हैं। गुजरात में मेहनत के साथ फ़िरौती उगाही में अर्जित अनुभव का ईडी, सीबीआई व आयकर विभाग जैसी एजेंसियाँ कब्ज़े में आने के बाद माननीय शाह जी ने जमकर इस्तेमाल किया और इसमें भाजपा और संघ परिवार का पूरा 'चाल-चेहरा-चरित्र' दिखला दिया। जिन 30 कम्पनियों ने सबसे ज़्यादा चुनावी बॉण्ड ख़रीदे, उनमें से 14 कम्पनियों पर सीधे-सीधे छापे पड़ चुके थे और कइयों पर जाँच जारी थी; कुछ को कर छूट की ज़रूरत थी, तो कुछ को आने वाले सरकारी ठेकों की। इनमें से पहले उन मामलों को समझते हैं, जो खुलेआम भ्रष्टाचार, टैक्स-चोरी, चार सौ बीसी में लिप्त आपराधिक कम्पनियाँ थीं, जो न सिर्फ़ मज़दूरों के बेशी श्रम की लूट करके मुनाफ़ा पीट रही थीं, बल्कि उससे भी मुनाफ़े की हवस शान्त न होने पर हेराफेरी कर जनता का धन चोरी कर

(पेज 11 पर जारी)

मोदी सरकार का महाघोटाला : इलेक्टोरल बॉण्ड घोटाला

(पेज 10 से आगे)

रही थीं। इनमें से कुछ कम्पनियों के चन्दा देने, छापे से छूट पाने और धन्धा पाने की क्रोनोलॉजी को समझिए:

● सबसे ज़्यादा चन्दा देने वाली फयूचर गेमिंग पर 2022-23 में चार बार ईडी, आयकर विभाग आदि के छापे पड़े। हर बार छापा पड़ने के बाद कुछेक सप्ताह या एकाध महीने के भीतर इस कम्पनी ने 65 करोड़ से लेकर 105 करोड़ रुपये तक के चुनावी बॉण्ड ख़रीदे। ये छापे 2014 के बाद से ही इस कम्पनी के साथ जारी था। इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम आने के बाद इन कम्पनी ने इसके ज़रिये हफ्ता देना शुरू किया, उसके पहले वह अन्य माध्यमों से दे रही थी।

● इसी प्रकार एक अन्य मिसाल देखें। मेघा इन्जीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा. लि. पर अक्टूबर 2019 में छापा पड़ा और उसी महीने इसने 5 करोड़ के बॉण्ड ख़रीदे।

● वेदान्ता पर मार्च 2020 में छापा पड़ा और उसी साल के भीतर उसने 25 करोड़ के चुनावी बॉण्ड ख़रीदे। इसके बाद अगस्त 2022 में इस पर फिर से छापा पड़ा और 3 महीने के भीतर इसने 110 करोड़ के चुनावी बॉण्ड ख़रीदे।

● हीरो मोटोकॉर्प पर मार्च 2020 में छापा पड़ा और 7 महीने के भीतर उसने 20 करोड़ रुपये के चुनावी बॉण्ड ख़रीदे।

● डीएलएफ पर अप्रैल 2014 में ही छापा पड़ चुका था और तब से उस पर जाँच जारी थी, 2018 से 2019 तक उसने 25 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉण्ड ख़रीदे थे और नवम्बर 2023 में जब उस पर फिर से छापा पड़ा तो उसी महीने उसने फिर से 21 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉण्ड ख़रीदे।

● रेड्डी लैब नामक विशाल फार्मा कम्पनी पर नवम्बर 2023 में छापा पड़ा और उसी माह उसने 21 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉण्ड ख़रीदे।

● नवयुग इन्जीनियरिंग नामक कुख्यात कम्पनी पर अक्टूबर 2018 में छापा पड़ा और फिर 6 माह के भीतर इसने 30 करोड़ रुपये के चुनावी बॉण्ड ख़रीदे। यह वही कम्पनी है जिसकी आपराधिक हवस के कारण 41 मज़दूर सिलक्यारा की सुरंग में फँस गये थे और मरते-मरते बचे थे। कार्रवाई से बचने के लिए इसने बाद में 25 करोड़ रुपये के चुनावी बॉण्ड और ख़रीदे। यानी कुल 55 करोड़ रुपये के चुनावी बॉण्ड।

● चेन्नई ग्रीनवुड प्रा. लि. पर जुलाई 2021 में छापा पड़ा और 6 माह के भीतर इसने 40 करोड़ रुपये के चुनावी बॉण्ड ख़रीदे।

● शिरडी साई केमिकल्स कम्पनी पर दिसम्बर 2023 में छापा पड़ा और अगले ही महीने इसने 40 करोड़ रुपये के चुनावी बॉण्ड ख़रीदे।

● केवेण्टर्स ग्रुप ने अपने ऊपर जारी ईडी की जाँच के पूरे दौर में कुल 617 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉण्ड ख़रीदे। एक ग्रुप के रूप में यह इलेक्टोरल बॉण्डों का तीसरा सबसे बड़ा ख़रीदार था। इसकी तीन कम्पनियों ने मिलकर बॉण्ड ख़रीदे।

● यशोदा हॉस्पिटल प्रा. लि. पर 2020 में आयकर विभाग द्वारा छापा पड़ा और अक्टूबर 2021 तक इसने 162 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉण्ड ख़रीदे।

● ऑरोबिन्दो फार्मा के मालिक सरथ रेड्डी को ईडी ने नवम्बर 2022 में गिरफ्तार किया, उसके पाँच दिन बाद रेड्डी छूटा और उसने 5 करोड़ रुपये के बॉण्ड ख़रीदे। मई 2023 में ईडी ने खुद ही उसको रिहा कर देने की अपील कोर्ट में डाली और वह रिहा भी हो गया और उसके बाद उसने 25 करोड़ रुपये के चुनावी बॉण्ड और ख़रीदे! अप्रैल 2021 से नवम्बर 2023 के बीच इस कम्पनी ने कुल 52 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉण्ड ख़रीदे। याद रखें कि यह कम्पनी जेनेरिक दवाइयों के बाज़ार की प्रमुख कम्पनी है।

● हेटेरो फार्मा पर 550 करोड़ रुपये के काले धन के लिए जाँच चल रही थी और इसके पास से 142 करोड़ रुपये नकद छापे में ज़ब्त किये गये और उसके कुछ ही दिन बाद इसने 60 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉण्ड ख़रीदे।

● 2020 में हल्दिया नामक कम्पनी पर भी काले धन के मसले में जाँच चल रही थी। उसके बाद ही इस कम्पनी ने भी 377 करोड़ के चुनावी बॉण्ड ख़रीदे।

● केजेएस सीमेण्ट का मालिक पवन आहलूवालिया जो कोयला घोटाले में सज़ायाफ्ता है और अभी ज़मानत पर बाहर आज़ाद घूम रहा है, उसने भी 14 करोड़ के चुनावी बॉण्ड ख़रीदे।

इस प्रकार की सैकड़ों कम्पनियाँ व पूँजीपति हैं जो भाजपा को चन्दा देने के महान धार्मिक काम में कुछ आनाकानी कर रहे थे, या देर कर रहे थे, या पर्याप्त चन्दा नहीं दे रहे थे, तो मोदी जी के हनुमान अमित शाह ने अपनी पूँछ से उनकी थोड़ी लंका लगायी! उसके बाद चन्दा आ गया, तो तत्काल अपने वरुण देव (वित्त मन्त्रालय व अन्य आर्थिक मसलों के विभाग) से उन पर मुनाफ़े की ठण्डी बौछारें भी कर दी। मसलन, लॉटरी लॉबी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए लॉटरी किंग सांटियागो मार्टिन का बेटा निर्मला सीतारमण से मिला, और लॉटरी पर जीएसटी घटा दी गयी! **भक्ति कभी बेकार नहीं जाती है, अगर जबरन करवायी गयी हो, तो भी! "जो राम को लाए हैं", वे इसी प्रकार तो भक्ति करवाएँगे!**

अब अलग से कुछ ऐसी कम्पनियों को देखते हैं, जिन पर बेशक़ छापे न पड़े हों (क्योंकि वे पहले से ही नरेन्द्र मोदी की करीबी थीं या फिर बिना धमकाये ही भाजपा को भारी-भरकम चन्दा देकर अच्छा-ख़ासा मुनाफ़ा वसूलने को तैयार थीं), लेकिन जिन्हें इलेक्टोरल बॉण्ड ख़रीदते ही मोदी सरकार की ओर से तमाम प्रकार के मालामाल कर देने वाले तोहफ़े मिले।

● सुधीर मेहता के मालिकाने वाले टॉरेण्ट ग्रुप ने 185 करोड़ के चुनावी बॉण्ड ख़रीदे। 2007 से 2015 के बीच मोदी के करीबी माने जाने वाले इस मेहता ने भाजपा को 33 करोड़ का चन्दा अलग से दिया था। अब फिर से क्रोनोलॉजी समझिए। भाजपा की महाराष्ट्र की फडनवीस सरकार ने टॉरेण्ट ग्रुप को 285 करोड़ रुपये के सम्पत्ति कर से पूरी छूट दे दी। फिर

टॉरेण्ट ग्रुप के मेहता के साथ 2012 में मोदी - ये रिश्ता क्या कहलाता है?

इस कम्पनी ने 185 करोड़ का चुनावी बॉण्ड ख़रीदा। अब आप थोड़ा गणित लगाइये। देना था 285 करोड़ और 185 करोड़ का इलेक्टोरल बॉण्ड देकर छुटकारा मिल गया, तो भी तो 100 करोड़ रुपये का फ़ायदा है न! इस मेहता से गलबँहियाँ करते मोदी की कई तस्वीरें आपको इण्टरनेट पर मिल जायेंगी।

● पश्चिम बंगाल सरकार ने मेट्रो डेरी नामक उपक्रम में अपना हिस्सा औने-पौने दामों पर उसी केवेण्टर्स ग्रुप को बेचा है, जिसका ऊपर ज़िक्र किया गया है और जिसने कुल 617 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉण्ड ख़रीदे। ज़ाहिर है, तृणमूल कांग्रेस भाजपा के बाद सबसे ज़्यादा चुनावी बॉण्ड पाने वाली पार्टी यूँ ही नहीं बनी है। इस ग्रुप ने ज़ाहिरा तौर पर केन्द्रीय एजेंसियों यानी ईडी, आयकर, सीबीआई आदि के छापों से मुक्ति के लिए किस पार्टी को चुनावी बॉण्ड दिये होंगे, यह अन्दाज़ा आप लगा सकते हैं और एस.बी.आई. द्वारा यूनीक कोड जमा कराये जाने के बाद यह भी साफ़ हो जायेगा।

● मेघा इन्जीनियरिंग कम्पनी, जिसका हम ऊपर ज़िक्र कर चुके हैं, और जिसके ग्रुप ने कुल 1200 करोड़ रुपये का चन्दा दिया, उसे कालेश्वरम प्रोजेक्ट मिलना और फिर उसमें 82 हज़ार करोड़ की परियोजना को 1.5 लाख करोड़ का दिखाकर जनता का पैसा गड़पने का मौका दिया जाना भी चन्दा दो और मुनाफ़ा पीटो स्कीम का ही हिस्सा है। मेघा इन्जीनियरिंग ने 100 करोड़ रुपये के चुनावी बॉण्ड ख़रीदे और एक महीने के भीतर उसे महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने उसे 14,400 करोड़ रुपये का ठेका दिया।

● हेटेरो फार्मा नामक एक दवा कम्पनी है, जिसने 60 करोड़ रुपये के बॉण्ड ख़रीदे और यह वही कम्पनी है जिसे कोविड महामारी के दौरान रेमडेसीवीर नामक जीवन रक्षक दवा बेचकर ज़बर्दस्त मुनाफ़ाखोरी करने का मौका दिया गया।

● इलेक्टोरल बॉण्ड का तंत्र ही ऐसा है कि इसमें कोई भी अपराधी, किसी और देश की कम्पनी या पूँजीपति भी बॉण्ड ख़रीदकर गोपनीय तरीके से पूँजीवादी चुनावी दलों को दे सकते हैं। अपने आपको "राष्ट्रवादी" कहने वाली भाजपा के पास भी अमेरिका, चीन, पाकिस्तान कहीं से भी कोई दान आ सकता है। इस प्रकार की गोपनीयता की व्यवस्था भाजपा के "राष्ट्रवाद" की भी पोल खोल देती है।

तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक फासिस्ट पार्टी ने पूँजीपति वर्ग को लाखों करोड़ का फ़ायदा पहुँचाया और साथ ही उसे "रामराज्य" के कायदे के अनुसार "अनुशासित" भी किया। ऐतिहासिक तौर पर यह फ़ासीवादी शासन की एक ख़ासियत रही है। यह पूँजीपति वर्ग का एक ऐसा हिरावल है, जो पूँजीपति वर्ग को आर्थिक संकट और मन्दी के दौरान अभूतपूर्व तरीके से फ़ायदा पहुँचाती है और साथ ही एक हद तक पूँजीपति वर्ग को अनुशासित भी करती है क्योंकि इसकी ख़ासियत है अन्य सभी पूँजीवादी पार्टियों के मुकाबले पूँजीपति वर्ग से कहीं ज़्यादा करीबी रिश्ता भी रखना और साथ ही कहीं ज़्यादा राजनीतिक स्वायत्तता भी रखना। वजह है फ़ासीवादी भाजपा और संघ परिवार की विशेषता है मन्दी के दौर में देश में साम्प्रदायिक उन्माद फैलाकर और देश के टुटपुँजिया और लम्पट सर्वहारा जमातों की आर्थिक असुरक्षा का इस्तेमाल करके अपने पीछे एक अन्धा प्रतिक्रियावादी सामाजिक आन्दोलन खड़ा करना और फिर इस आन्दोलन को देश के पूँजीपति वर्ग और विशेषकर बड़े पूँजीपतियों के हितों की सेवा में सन्नद्ध करना, यानी उसकी सेवा में लगाना।

इतना स्पष्ट है : इलेक्टोरल बॉण्ड हमारे देश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। इसके सामने 2जी, कॉमनवेल्ड, व्यापम घोटाला, सब पानी भरेंगे। वैसे पीएमकेयर नामक मोदी का घोटाला भी खुलकर सामने आ जाये, जिसमें सरकार के ज़रिये भाजपा ने पार्टी का फ़ण्ड इकट्ठा किया, तो शायद इलेक्टोरल बॉण्ड घोटाले से उसका कुछ मुकाबला हो पाये। इलेक्टोरल बॉण्ड की व्यवस्था अपारदर्शी तरीके से चुनावी चन्दे उगाहने और उसके बदले पूँजीपतियों को लाखों करोड़ का मुनाफ़ा पीटने के लिए ठेके देने, टैक्स माफ़ करने, टैक्स से छूट देने, भ्रष्टाचार सम्बन्धी जाँच को रोकने, गिरफ्तार भ्रष्टाचारी मालिकों को रिहा करने का एक तरीका है, एक प्रकार का फिरौती वसूलना, हफ्ता वसूलना का तन्त्र है। अमित शाह को ठीक उगाही रैकेट चलाने के लिए ही तो गुजरात की एक अदालत ने तड़ीपार किया था और जब ई.डी., सी.बी.आई. और आयकर विभाग जैसी केन्द्रीय एजेंसियाँ ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के फ़ासीवादियों के हाथ में आ जाये तो क्या होता है, वह इलेक्टोरल बॉण्ड घोटाले से साफ़ है। पूँजीपतियों से हज़ारों करोड़ के चन्दे लो और उन्हें लाखों करोड़ का फ़ायदा पहुँचाओ, भ्रष्टाचार करने का अवसर दो, उन्हें जाँच से छुटकारा दो, सरकारी ठेके दो, करों से छूट दो।

भाजपा को इसी व्यवस्था के ज़रिये जो हज़ारों करोड़ हासिल हुए हैं, उसी से तो भाजपा चुनावों में पैसे बाँटती है, तमाम राज्यों की चुनी हुई सरकारों को गिराती है, विपक्षी पार्टी के सांसदों और विधायकों को ख़रीदती है। इसके अलावा, इलेक्टोरल ट्रस्ट की व्यवस्था के ज़रिये भी ज़बर्दस्त घोटाला चलता रहा है। कांग्रेस सरकार ने इलेक्टोरल ट्रस्ट की व्यवस्था लायी थी, लेकिन उसका असली फ़ायदा गुजरात के वसूली भाई ने उठाया है। इलेक्टोरल ट्रस्टों में से एक है प्रूडेण्ट ट्रस्ट। इसमें देश के टॉप 10-12 पूँजीपतियों ने ज़बर्दस्त पैसा लगाया ताकि 2014 और 2019 के चुनावों में मोदी को प्रधानमन्त्री बनाने के लिए अरबों रुपये ख़र्च किये जा सकें। 2013 से इस प्रूडेण्ट ट्रस्ट को 22.54 अरब रुपये मिले हैं और इसमें दान देने वालों में इलेक्टोरल बॉण्ड ख़रीदने वाली फ्यूचर गेमिंग और मेघा इन्जीनियरिंग भी प्रमुख हैं। इसके अलावा, इसमें आर्सेलरमित्तल, भारती टेलीकॉम (एयरटेल वाला), सीरम इन्स्टीट्यूट (जिसे मोदी सरकार ने कोविड वैक्सीन बनाने का ठेका देकर ख़रबों रुपये का

(पेज 12 पर जारी)

मोदी सरकार का महाघोटाला : इलेक्टोरल बॉण्ड घोटाला

(पेज 11 से आगे)

फ़ायदा पहुँचाया), जीएमआर ग्रुप, हल्दिया ग्रुप आदि शामिल हैं। ध्यान दीजिये: इस इलेक्टोरल ट्रस्ट के 22.54 अरब रुपये का 75 प्रतिशत भाजपा को दिया गया है!

इन सबसे साफ़ है कि भाजपा इस समय देश के पूँजीपति वर्ग की चहेती पार्टी है जो उसके लिए मुनाफ़ा कमाने, भ्रष्टाचार करने, काला धन कमाने, क़ानूनों को ताक पर रखकर मेहनत और कुदरत की लूट को अंजाम देने, सार्वजनिक सम्पत्ति की लूट को अंजाम देने की व्यवस्था कर रही है, मेहनतकश वर्गों पर तानाशाहाना तरीके से धक्कड़शाही चलाने का काम कर रही है।

आमदनी दो आना, खर्चा दो रुपय्या!

कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इलेक्टोरल बॉण्ड ख़रीदने वाली कम्पनियों में ऐसी कम्पनियाँ हैं, जिन्होंने अपने मुनाफ़े से कई गुना ज़्यादा चन्दा इलेक्टोरल बॉण्ड के ज़रिये चुनावी पार्टियों को दिया है। रामभक्त मोदी के "रामराज्य" का एक "एकात्म मानवतावाद" यह भी था कि जिस कम्पनी का शुद्ध मुनाफ़ा 2 करोड़ रुपया भी नहीं था, उसने 200 करोड़ रुपये तक के चुनावी बॉण्ड ख़रीदे! माने कि इतनी दरियादिली कि उसमें डूबकर आप थोड़ी देर में "बचाओ, बचाओ" चिल्ला सकते हो! लेकिन असल में यहाँ हो क्या रहा है? कोई कम्पनी अपने मुनाफ़े से ज़्यादा चुनावी चन्दा कैसे दे सकती है? यह सैंकड़ों करोड़ रुपये उसके पास कहाँ से आ रहे हैं? उसकी ख़ुद की तिजोरी में तो नहीं हैं! फिर वह पैसा किसका है? सबसे पहले सबसे दरियादिल दानदाताओं को देखते हैं।

कम्पनी का नाम	शुद्ध मुनाफ़ा	इलेक्टोरल बॉण्ड दिये (2019 से 2023)	मुनाफ़े के हिस्से के रूप में बॉण्ड
मदनलाल लि	10 करोड़	185 करोड़	1874 प्रतिशत
फ्यूचर गेमिंग एण्ड होटल सर्विसेज़ प्रा. लि.	215 करोड़	1368 करोड़	635 प्रतिशत
क्विक सप्लाई चेन	109 करोड़	410 करोड़	377 प्रतिशत
एमकेजे एण्टरप्राइज़ेज़	58 करोड़	192 करोड़	329 प्रतिशत
भारती एयरटेल सर्विसेज़ लि.	253 करोड़	183 करोड़	72 प्रतिशत

ये तो सिर्फ़ कुछ उदाहरण हैं। इन मदनलाल भाई की कम्पनी को देखिये। इसका मुनाफ़ा है 10 करोड़ रुपया 2019 से 2023 तक। लेकिन इन्होंने अपने मुनाफ़े का लगभग 19 गुना ज़्यादा चुनावी चन्दा इलेक्टोरल बॉण्ड के ज़रिये दिया है! इतना तो छोड़ दीजिये कोई कम्पनी अपने मुनाफ़े का 10 प्रतिशत भी चन्दे में नहीं दे सकती है। वास्तव में, कांग्रेस सरकार के दौर में एक नियम था कि कोई कम्पनी जो 3 साल तक लगातार मुनाफ़ा दिखायेगी, वही चुनावी चन्दा दे सकती है और वह भी अपने मुनाफ़े के 7.5 प्रतिशत से ज़्यादा चन्दा नहीं दे सकती है। मोदी जी ने अलौकिक "रामराज्य" लाया और जिस कम्पनी का कल तक कोई अता-पता ही नहीं था, यानी क्विक सप्लाई, उसने अपने मुनाफ़े से 377 प्रतिशत ज़्यादा 410 करोड़ रुपये का चन्दा इलेक्टोरल बॉण्ड के ज़रिये दे दिया! तमाम कम्पनियाँ जो मज़दूरों को वक्त पर मज़दूरी नहीं दे रहीं, उनको जबरन ओवरटाइम करा रही हैं, कोई सुरक्षा उपकरण माँगने पर मन्दी का रोना रोती हैं, वे हज़ारों करोड़ रुपयों के, अपने मुनाफ़े से भी कई गुना ज़्यादा चुनावी चन्दा दे रही हैं? क्या यह सम्भव है? ऐसा कैसे हो रहा है? यह किसका पैसा है? हम देख चुके हैं कि क्विक सप्लाई कम्पनी वास्तव में अम्बानियों की है। उसी प्रकार, इस तरह की शेल कम्पनियों का इस्तेमाल करके तमाम पूँजीपतियों ने अपने लाखों करोड़ का काला धन जो मज़दूरों के खून से निचोड़कर हड़पा था, उसे सफ़ेद कर दिया।

साफ़ है कि ये पैसा इन कम्पनियों के पास था ही नहीं, इसलिए वे उसे चन्दे में दे ही नहीं सकतीं थीं। मतलब यह किसी और का पैसा है, जो इन शेल कम्पनियों के माध्यम से काले धन से सफेद धन में तब्दील किया जा रहा है और बदले में इसका कमीशन उस पार्टी को दिया जा रहा है, जिसके हाथ में ई.डी., सी.बी.आई. और आयकर विभाग हैं। आप जानते हैं कि वह पार्टी कौन है! "रामराज्य" में सारी बातें नाम लेकर नहीं बतायी जाती हैं, थोड़ी अपनी अक्ल भी लगानी पड़ती है! भाजपा का यह दावा था कि इलेक्टोरल बॉण्ड की व्यवस्था के ज़रिये चुनावों में काले धन की व्यवस्था पर रोक लगेगी। समझदार लोग तो तभी समझ गये थे कि भाजपा के इस दावे का अर्थ यह है कि चुनावों की व्यवस्था में काले धन का अभूतपूर्व बोलबाला इलेक्टोरल बॉण्ड की व्यवस्था के साथ होने वाला है। क्योंकि भाजपा जैसी झूठी और बेईमान कोई पार्टी अभी तक अस्तित्व में नहीं आयी है। हर फ़ासीवादी राजनीति की बुनियाद में पर्याप्त मात्रा में झूठ का गारा होता है, लेकिन भारत की साम्प्रदायिक फ़ासीवादी संघी और भाजपाई राजनीति तो सिर से पैर तक झूठ में ही सराबोर है। ऐसे ही झूठ की एक चमकती मिसाल पर बात करते हैं।

मोटा भाई का मोटा झूठ

जब इलेक्टोरल बॉण्डों के महाघपले पर हर जगह भाजपा की फ़ज़ीहत होने लगी तो भाजपा के अमित शाह ने इण्डिया टुडे के मंच से जाकर झूठों की लड़ी लगा दी ताकि कुछ इज्जत बचायी जा सके। ये मोटा भाई की एक ख़ासियत है: झूठ बोलते वक़्त मोटा भाई एकदम आक्रामक और अति-आत्मविश्वास का प्रदर्शन करते हैं। इससे लोग झूठ को सच समझने लगते हैं कि मोटा भाई ने इतने मोटे तरीके से बोला है तो बात में मोटाई होगी! शाह ने गोदी मीडिया के अपने एक दलाल राहुल कंवल के सामने इलेक्टोरल बॉण्ड पर कहा कि वह आज भी मानते हैं कि चुनावी बॉण्ड की व्यवस्था काले धन को ख़त्म करने के लिए है और 20,000 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉण्ड में भाजपा को तो केवल 6000 करोड़ रुपये के ही बॉण्ड मिले, बाकी 14,000 करोड़ तो विपक्षी पार्टियों को मिले; भाजपा के 303 सांसद हैं और बाकी विपक्षी पार्टियों के 242 सांसद हैं; भाजपा के 11 करोड़ सदस्य हैं (यह दीगर है कि बहुतों को पता ही नहीं है कि वे भाजपा के सदस्य हैं क्योंकि भाजपा वाले लोगों को मिस्ड कॉल देते थे और जो पलटकर मिस्ड कॉल दे देता था, वह भाजपा का सदस्य हो जाता था; बहुत-से लोगों को पता ही नहीं है कि अपनी एक मासूम सी हरक़त की वजह से वह दुनिया की सबसे झूठी और आपराधिक पार्टी के सदस्य बना दिये गये!) तो फिर चन्दा भी भाजपा को ज़्यादा मिलेगा! आइये, इस झूठ के पुलिन्दे के एक-एक दावे की पड़ता करते हैं।

मोटा भाई का दावा – 20,000 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉण्ड में से 6000 करोड़ रुपये भाजपा को मिले और बाकी 14,000 विपक्षी पार्टियों को।

सच्चाई – एस.बी.आई. ने अभी 12,156 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉण्ड की सूचना ही सार्वजनिक की है और इसमें से करीब आधा, यानी 6061 करोड़ रुपये भाजपा को मिले हैं। मोटा भाई सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। भाजपा के ज्ञात चन्दे की तुलना कुल दिये गये ज्ञात चन्दों से ही की जा सकती है, किसी काल्पनिक संख्या से नहीं। जब हम ऐसा करते हैं, तो साफ़ हो जाता है कि लगभग दो दर्जन दलों के जितना चन्दा अकेले भाजपा को मिला है।

मोटा भाई का दावा – मोटा भाई दावा करता है कि भाजपा को मिले कुल चन्दे को उसके सांसदों की संख्या से भाग देकर देखना चाहिए कि उसे प्रति सांसद कितना मिला और बाकियों को कितना मिला।

सच्चाई – यह तो एकदम ही मूर्खतापूर्ण तर्क है। कोई भी चन्दा देने वाला पहले से नहीं जानता कि किस पार्टी के कितने उम्मीदवार जीतकर सांसद बनेंगे। 2019 के चुनावों में कांग्रेस और भाजपा ने लगभग बराबर उम्मीदवार खड़े किये; कांग्रेस ने 423 उम्मीदवार खड़े किये जबकि भाजपा ने 437। लेकिन भाजपा को चन्दा मिला 1600 करोड़ रुपये (ज्ञात, अज्ञात का तो अब पता चल रहा है!) जबकि कांग्रेस को मिले 388 करोड़ रुपये। यानी भाजपा के हर उम्मीदवार को औसतन 4 करोड़ रुपये मिले जबकि कांग्रेस के हर उम्मीदवार को औसतन 90 लाख रुपये मिले। वास्तव में, किसके कितने उम्मीदवार जीते ***यह*** इस बात से तय होता है कि किसे कितना चन्दा मिला, न कि इसके उल्टा! लेकिन अमित शाह जैसे व्यक्ति से तथ्य और तर्क की उम्मीद करना बेकार है। सच्चाई यह है कि अगर चन्दा देने की व्यवस्था का आधार या नियम यह हो कि जिस पार्टी के जितने सांसद या विधायक हैं, उनको कम्पनियों को उतना ज़्यादा चन्दा देना होगा, तब तो हमेशा उसी पार्टी के सबसे ज़्यादा सांसद या विधायक होंगे और बराबरी के मुकाबले का अवसर बाकी पार्टियों को समाप्त हो जायेगा! लेकिन देश की शासनकारी पार्टी का प्रमुख नेता एक प्रमुख मीडिया घराने के मंच से खुलेआम ऐसी अश्लील बकवास करता है, लेकिन गोदी मीडिया का एँकर सवाल पूछने के बजाय पतलून गीली कर देता है।

वैसे भी अमित शाह से मुश्किल सवाल पूछकर इण्डिया टुडे के जन्म से ही डरे हुए एँकर राहुल कंवल को अपना लोया थोड़े ही करवाना है! मोदी-शाह के "रामराज्य" में असुविधाजनक सवाल पूछने वालों को वैविध्यपूर्ण और दिलचस्प तरीके से दैहिक और दैविक ताप से मुक्ति दे देने की योजना सीधे प्रधानमन्त्री कार्यालय और गृहमन्त्री कार्यालय से कल्याणकारी तरीके से चलायी जा रही है। और ऐसे लोगों के परिवारजन दैहिक-दैविक ताप से मुक्ति पाये अपने परिवार-सदस्य का श्राद्ध करते समय अभूतपूर्व रूप से पावन और पवित्र अनुभव करें, इसके लिए मोदी जी ने राम मन्दिर भी बनवा ही दिया है!

बहरहाल, इसी प्रकार का सफेद झूठ संघ परिवार और भाजपा का 'झूठ फैलाओ, झूठ दोहराओ' तन्त्र पूरे देश में व्हाट्सएप के ज़रिये फैला रहा है। मज़दूरों, मेहनतकशों, आम घरों से आने वाले छात्रों-युवाओं, स्त्रियों व मेहनतकश दलितों, आदिवासियों व मुसलमानों को यह गाँठ बाँध लेनी चाहिए: 'हाफपैण्टियों के व्हाट्सएप ग्रुपों और व्यक्तियों से जो सन्देश आते हैं, उसमें जो लिखा हो उसके उलटे को सच मानिये!' आम जनता में जिन लोगों ने यह नियम लागू किया है, उन्हें इससे काफ़ी फ़ायदा पहुँचा है। अफ़वाहों के संक्रामक रोग, साम्प्रदायिकता के कोढ़, फ़िरकापरस्ती की खाज से वे बचे हुए हैं और इसलिए पहचान पा रहे हैं कि उनके असली हित क्या हैं, उनके दुश्मन कौन हैं, दोस्त कौन हैं। बेहतर हो कि आप सब भी इस नियम को जान लीजिये, पहचान लीजिये।

निष्कर्ष

एक बात अब हमें समझ लेनी चाहिए, वरना आने वाले समय में अपनी बरबादी के लिए हम ही ज़िम्मेदार होंगे। इतिहास से सीखना चाहिए। इटली और जर्मनी में भी फासीवादी पार्टी व नात्सी पार्टी द्वारा फैलाये गये फिरकापरस्त जुनून में पगलाये तमाम निम्न मध्यवर्गीय, मध्यवर्गीय, संगठित मज़दूर वर्ग और लम्पट मज़दूर वर्ग के लोगों को अपनी बरबादी और देश की बरबादी के बाद समझ में आया था कि उनको सालों से बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। जब फ़ासीवादी "राष्ट्र" का नाम लेते थे, तो उनका अर्थ होता था पूँजीपति वर्ग; इस "राष्ट्रवाद" के उन्माद में पागल टुटपुँजिया वर्गों ने अपनी ही कब्र खोदने का काम किया और बरबाद हुए। आप जर्मनी और इटली का इतिहास पढ़ लें, आपको पता चल जायेगा। इन दोनों ही देशों में फ़ासीवादियों के झूठ-फ़रेब पर तमाम टुटपुँजिया वर्ग के लोग क्यों यक़ीन कर बैठे? क्योंकि वे आर्थिक असुरक्षा और अनिश्चितता से तंग थे, प्रतिक्रिया और गुस्से में थे, उनके पास अपने हालात ऐसे होने के कारणों की कोई समझ नहीं थी और फासीवादियों ने देश के मीडिया आदि पर नियन्त्रण कर उन्हें यक़ीन दिलवा दिया कि यहूदी व अल्पसंख्यक उनके दुश्मन हैं! उनकी अन्धी प्रतिक्रिया इन अल्पसंख्यकों पर टूट पड़ी, लेकिन साथ ही मज़दूरों और मेहनतकशों पर भी टूट पड़ी क्योंकि जर्मनी ने हिटलर और इटली में मुसोलिनी ने इस टुटपुँजिया वर्ग को यक़ीन दिला दिया कि अगर मज़दूर अपना हक़ माँगता है, तो वह राष्ट्रविरोधी है। यही आज हमारे देश में मोदी-शाह कर रहे हैं। लेकिन अन्त में जर्मनी और इटली का हश्र क्या हुआ? मेहनतकश जनता ने वहाँ फ़ासीवादी सत्ता को ज़मींदोज़ कर दिया और टुटपुँजिया वर्गों की बड़ी आबादी आर्थिक व सामाजिक रूप से युद्ध और विनाश के कारण तबाह हो गयी। हमारे देश की जनता को इतिहास के इस उदाहरण से सबक लेना चाहिए।

हमारे देश में भी मोदी-शाह और समूचा संघ परिवार और भाजपा अपने

(पेज 15 पर जारी)

‘भगतसिंह जनअधिकार यात्रा’ का दूसरा चरण : समाहार रपट

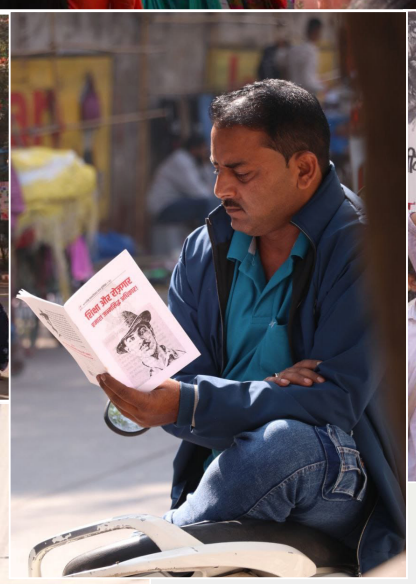

(पेज 1 से आगे)

साथ फैला। हमारे प्रयासों का असर कई बार इसी से पता चलता है कि शोषक और उत्पीड़क हुक्मरान उसके प्रति क्या रवैया अपनाते हैं। मज़दूरों, मेहनतकशों, छात्रों-युवाओं, आम स्त्रियों व दलितों के इस प्रदर्शन से मोदी सरकार घबरायी और बौखलायी हुई थी और 3 मार्च को दिल्ली पुलिस के रवैये से यह बात साफ़ ज़ाहिर हो गयी।

इस दौरान यात्रा ने लाखों लोगों से सम्पर्क किया। यात्रा ने करीब 3,86,000 पर्चे और 3,242 पुस्तिकाएँ बाँटीं, जो हर क्षेत्र के लोगों की अपनी भाषा में उपलब्ध थीं; हज़ारों नुक्कड़ सभाएँ कीं, सैकड़ों मार्च निकाले, दर्जनों बड़ी जनसभाएँ कीं और व्यापक पैमाने पर दीवार-लेखन, पोस्टरिंग व स्टिकर-प्रचार का काम किया। ये पर्चे और पुस्तिकाएँ पिछले 10 वर्षों में फ़ासीवादी मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों की सच्चाई को तथ्यों व तर्कों समेत जनता के बीच बेनक़ाब करते हैं, भाजपा व संघ परिवार की साम्प्रदायिक फ़ासीवादी राजनीति व धुर जनविरोधी चरित्र का पर्दाफ़ाश करते हैं, बड़े-बड़े धन्नासेठों के चन्दे के बल पर चलने वाली तमाम चुनावबाज़ पार्टियों की सच्चाई को बेपरदा करते हैं और जनता के बीच रोज़गार को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए राष्ट्रीय रोज़गार गारण्टी क़ानून की माँग को उठाते हैं; सभी को समान एवं निशुल्क शिक्षा को बुनियादी अधिकार घोषित करने व शिक्षा के निजीकरण को समाप्त करने की माँग को उठाते हैं; सभी को भोगाधिकार के आधार पर सरकारी आवास की माँग को उठाते हैं; अप्रत्यक्ष करों की अन्यायपूर्ण व्यवस्था को समाप्त करने; पेट्रोलियम उत्पादों पर भयंकर रूप से भारी नाजायज़ करों व जीएसटी की ग़रीब-विरोधी व्यवस्था को समाप्त करने की माँग उठाते हैं; राज्य और सामाजिक जीवन से धर्म को पूर्णत: अलग कर उसे पूरी तरह से व्यक्तिगत मसला बनाने के लिए एक सख़्त सेक्युलर क़ानून की माँग उठाते हैं; ग़रीब किसानों को खेती के लिए सस्ते बीजों, खाद, सिंचाई व खेती के उपकरणों की व्यवस्था हेतु धनी कुलकों-फार्मरों व समूचे धनिक वर्गों पर कर लगाने की माँग करते हैं व उनके लिए आसान संस्थाबद्ध ऋण की माँग उठाते हैं; तात्कालिक तौर पर सभी मनरेगा मज़दूरों को साल भर का रोज़गार देने और न्यूनतम मज़दूरी देने की माँग उठाते हैं; मोदी सरकार के नये पूँजीपरस्त लेबर कोड को पूर्णत: रद्द करने की माँग उठाते हैं और ईवीएम से चुनावों को बन्द कर बैलट पेपर से चुनावों की व्यवस्था पर वापस जाने की माँग उठाते हैं। ये पर्चे और पुस्तिकाएँ देश में फैलाये जा रहे साम्प्रदायिक उन्माद का विरोध करते हैं और उसके पीछे भाजपा व संघ परिवार की फ़ासीवादी राजनीति को उजागर करते हैं। ये संघ परिवार के ‘लव जिहाद’, ‘लैण्ड जिहाद’, ‘गोरक्षा’ आदि की नौटंकी को बेनक़ाब करते हैं, ‘चाल-चेहरा-चरित्र’ की बात करने वाले संघ परिवार व भाजपा के भयंकर और अभूतपूर्व भ्रष्टाचार की भी पोल खोलते हैं। **इस रपट के अन्त में इन पर्चों और पुस्तिकाओं को डाउनलोड करने के लिंक दिये गये हैं।**

इन माँगों को जनता के बीच व्यापक तौर पर समर्थन मिला। देश के अलग-अलग इलाक़ों में आम मेहनतकश जनता व निम्न मध्यवर्गीय आबादी ने यात्रा की आर्थिक तौर पर मदद भी की। यात्रियों के रुकने-ठहरने, खाने, चाय-नाश्ते का इंतज़ाम लोगों ने खुले दिल से किया। यह दिखलाता है कि पूँजी की ताक़त के बरक्स जनता की ताक़त ऐसी साहसिक परियोजनाओं को ठोस रूप देने में क्रान्तिकारी शक्तियों की हर तरीक़े से सहायता करती है। यात्रा के दौरान व्यापक मेहनतकश जनता के बीच जनसम्पर्क व प्रचार के दौरान देश के अलग-अलग क्षेत्रों में जनता की प्रतिक्रिया के तौर पर निम्न सामान्य नतीजे उभर कर सामने आये।

1. व्यापक मेहनतकश जनता में विशेष तौर पर बेरोज़गारी और महँगाई को लेकर भयंकर रोष है। लोगों का मानना था कि पिछले 10 वर्षों में उनके जीवन के आर्थिक हालात पहले से बुरे हुए हैं। वे आर्थिक असुरक्षा महसूस करते हैं। रोज़गार की सुरक्षा में विशेष तौर पर कमी आयी है।

2. महँगाई से आम जनता त्रस्त है। खाने-पीने की वस्तुओं, बाज़ार में पके खाने, रसोई गैस, पेट्रोल व डीज़ल, वनस्पति तेल, सब्ज़ियाँ आदि इतने महँगे हो गये हैं कि लोग नियमित तौर पर पोषणयुक्त आहार नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। मकान के किराये, स्कूल-कॉलेज की फ़ीस आदि में भी भारी बढ़ोत्तरी हुई है। इसके कारण व्यापक मेहनतकश जनसमुदाय के जीवन स्तर में गिरावट आयी है। यह लोगों के पहनावे, मोबाइल फ़ोन आदि से प्रकट नहीं होता, लेकिन जनता के जीवन को करीबी से देखते ही ये चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। इसकी सबसे प्रमुख वजह वास्तविक आय का न बढ़ना या उसमें आने वाली गिरावट है।

3. छात्रों-युवाओं की सबसे प्रमुख माँग है रोज़गार। उन्हें काम चाहिए। सरकारी विभागों में भर्तियों को मोदी सरकार ने बड़े पैमाने पर कम किया है। इसके अलावा, जहाँ औपचारिक तौर पर भर्तियाँ खुलती हैं, वहाँ फॉर्म भरे जाते हैं तो परीक्षाएँ नहीं होतीं, परीक्षाएँ होती हैं तो परिणाम नहीं आते, परिणाम आते हैं तो नियुक्तियाँ नहीं होतीं या फिर पेपर लीक हो जाता है और फिर परीक्षा ही नहीं होती। इसके ज़रिये सिर्फ़ फॉर्म बेचकर छात्रों-युवाओं को ठगा गया है और भाजपा सरकारों द्वारा हज़ारों करोड़ रुपये ऐंठे गये हैं। अगर कहीं भर्ती होती भी है, तो उसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है और विशेष तौर पर शासन में मौजूद पार्टी अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाती है। छात्रों-युवाओं ने भगतसिंह राष्ट्रीय रोज़गार गारण्टी क़ानून की BSJAY द्वारा उठायी जा रही माँग का पुरज़ोर समर्थन किया और इसे वक़्त की ज़रूरत बताया।

4. आम लोगों ने ईवीएम पर गहरा शक़ जताया और हर जगह यात्रा के सदस्यों से कहा कि ‘आप लोग इसे मसला बनाइये, हम साथ देंगे।’ साफ़

(पेज 14 पर जारी)

‘भगतसिंह जनअधिकार यात्रा’ का दूसरा चरण : समाहार रपट

(पेज 13 से आगे)

तौर पर नज़र आया कि जनता के बहुलांश का ईवीएम से चुनावों पर कतई भरोसा नहीं है और वे बैलट पेपर से चुनावों की व्यवस्था पर वापस जाने का समर्थन करते हैं। वे इस बात पर ताज्जुब भी जता रहे थे कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट इस सवाल को इस तरह से नज़रन्दाज़ क्यों कर रहे हैं और क्या वहाँ भी मोदी सरकार के इशारों पर काम हो रहा है? साथ ही, वे इसे विपक्षी पार्टियों की अकर्मण्यता और कायरता बता रहे थे कि वे ईवीएम के मसले पर सिर्फ़ भुनभुनाकर रह जा रही हैं।

5. अधिकांश लोगों ने मोदी सरकार को आज़ादी के 76 वर्षों में आयी सबसे भ्रष्ट सरकार क़रार दिया। लोगों का कहना था कि बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी भाजपा में जाकर “संस्कारी” बन जाता है। लोगों ने भाजपा द्वारा विपक्षी पार्टियों और अपने राजनीतिक विरोधियों पर ईडी और सीबीआई के उपयोग को सीधे-सीधे उत्पीड़न कहा और कहा कि यह बाँह मरोड़कर विपक्ष को घुटने टेकने पर बाध्य करने का तरीका है। उन्होंने माना कि बाकी चुनावी दल भी कोई दूध के धुले नहीं हैं और धनी लोगों की ही सुनते हैं, लेकिन भाजपा सरकार इन विरोधी दलों को किनारे कर तानाशाहाना बर्ताव कर रही है। साथ ही, यह ताज्जुब की बात है कि पिछले 10 साल में ईडी या सीबीआई ने किसी भी भाजपा नेता को भ्रष्टाचार के मामले में नहीं पकड़ा, हालाँकि भाजपा सरकारों के मातहत राफेल से लेकर एनपीए घोटाला, अडाणी घोटाला, व्यापम घोटाला व तमाम सबसे बड़े घोटाले हुए हैं।

6. लोगों के बड़े हिस्से ने भाजपा को देश के सबसे धनी लोगों के हितों की सेवा करने वाली पार्टी बताया। जब उनसे पूछा गया कि 5 या 10 किलो फ्री राशन की मोदी सरकार की योजना के बारे में उनका क्या विचार है, तो उनका कहना था कि ऐसी स्थिति ही क्यों पैदा हुई कि मोदी सरकार को यह ख़ैराती कल्याणवाद करना पड़ रहा है? इससे तो मेहनतकश बस भुखमरी के स्तर पर ज़िन्दा रहेगा। लोगों को रोज़गार की गारण्टी, पर्याप्त वेतन और महँगाई से मुक्ति चाहिए। मोदी सरकार यह करने में फेल है। इसीलिए ख़ैरातवाद से लोगों के रोष पर ठण्डे पानी के छिड़काव की कोशिश की जा रही है।

7. इस ख़ैराती कल्याणवाद को साम्प्रदायिक फ़ासीवादी भाजपा सरकार धार्मिक उन्माद के साथ मिश्रित करती है, ताकि लोगों को नियन्त्रण में और शान्त रखा जा सके। धार्मिक समुदायों के बीच झूठे प्रचार के साथ वैमनस्य और परस्पर असुरक्षा की भावना फैलाकर, अल्पसंख्यकों को दुश्मन के तौर पर पेश करके, बहुसंख्यक धार्मिक समुदाय के मेहनतकश अवाम को फ़ासीवादी उन्माद में बहाने की कोशिश की जाती है। ऐसे विचार इक्का-दुक्का नहीं, बल्कि बहुत-से लोगों ने रखे और उससे भी ज़्यादा लोगों ने इन्हें सुनकर मुखर या मौन सहमति जतायी।

8. जब यात्रा टोलियों ने जनता के बीच सच्चे क्रान्तिकारी सेक्येलरिज़्म का अर्थ स्पष्ट किया तो लोगों ने उसका समर्थन किया। जब लोगों को बताया गया कि केवल वही सरकार या शासक पार्टी धर्म को लेकर लोगों में उन्माद फैलाती है, जो अपने बुनियादी कर्तव्य नहीं पूरे कर पाती, मसलन, सभी को रोज़गार, महँगाई से आज़ादी, शिक्षा, चिकित्सा व आवास का अधिकार आदि नहीं मुहैया करा पाती और जो केवल धनपतियों के लिए अधिक से अधिक मुनाफ़े के इन्तज़ामात करने में लगी रहती है। मन्दिर, मस्जिद, गिरजा, गुरद्वारे बनाना आस्था रखने वाले लोगों का काम है, बशर्ते कि वे किसी अन्य की आस्था के अधिकार का उल्लंघन न करें। इसमें भला सरकार का क्या काम? किसी तथाकथित सेक्युलर देश का प्रधानमन्त्री किसी मन्दिर के शिलान्यास करने का या उसके उद्घाटन में प्रमुख यजमान बनने का काम करने की राजनीतिक अश्लीलता कैसे कर सकता है? वह ऐसा तभी करता है जब वह रोज़गार और महँगाई पर नियन्त्रण के मोर्चे और अन्य आर्थिक मोर्चों पर फेल हो गया हो। इस बात को स्पष्ट करने पर अधिकांश लोगों ने इस पर सहमति जतायी और अपना रोष व्यक्त किया।

9. यात्रा अच्छे-ख़ासे समय व्यापक मज़दूर आबादी के बीच मौजूद रही। इस दौरान मज़दूरों ने अपने काम के भयंकर हालात, सुरक्षा के इन्तज़ाम नदारद होने, बेहद कम मज़दूरी, ईएसआई, पेंशन, पीएफ़ आदि श्रम अधिकारों से वंचित होने पर भारी ग़ुस्सा जताया। उन्होंने बताया कि विशेष तौर पर पिछले एक दशक में उनकी स्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब हुई है। अधिकांश मज़दूरों को, विशेष तौर पर, अनौपचारिक क्षेत्र के मज़दूरों को मोदी सरकार के नये लेबर कोड के बारे में पता नहीं था या सही जानकारी नहीं थी। यात्रा के साथियों द्वारा उन्हें इसके ख़तरनाक प्रावधानों के बारे में बताया गया। मज़दूरों ने इन प्रावधानों को समझने पर इनका विरोध किया और संगठित होकर प्रतिरोध करने की ज़रूरत पर बल दिया। अधिकांश जगहों पर मज़दूरों ने बताया कि उनकी सबसे अहम माँग है ठेकेदारी प्रथा पर रोक, काम की गारण्टी और न्यूनतम मज़दूरी समेत अन्य श्रम अधिकार, मसलन, आठ घण्टे का कार्यदिवस, ईएसआई, पीएफ, आदि। मौजूदा केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों पर मज़दूरों का भरोसा लगभग समाप्त है और अधिकांश अनौपचारिक व असंगठित मज़दूर वैसे भी उनकी सदस्यता के दायरे में नहीं हैं।

10. एक बात स्पष्ट तौर पर उभरकर आयी कि जनता की बहुसंख्या में मोदी सरकार विचारणीय रूप से अलोकप्रिय है। यदि आप स्वयं ज़मीन पर न उतरें और गोदी मीडिया के झूठ-फ़रेब पर यक़ीन करें, तो आपको यह पता ही नहीं चलता है। पूरी यात्रा के दौरान, हैदराबाद में एक अकेले संघी व्यक्ति से झड़प और पुणे में संघी गुण्डों द्वारा यात्रा टोली का पीछा कर विघ्न डालने के प्रयास के अलावा 13 राज्यों व 85 ज़िलों में कहीं भी मोदी सरकार की हिमायत करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की कोई घटना सामने नहीं आयी। उल्टे पुणे में भी यात्रा टोली को संघी गुण्डों का जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जनता ने ही उनको नकार दिया। हाँ, मुखर रूप से मोदी सरकार की नाकामी पर बोलने वाले या उस पर गहरा असन्तोष जताने वाले लोग अच्छी-ख़ासी तादाद में मिले। ऐसे लोग ही बहुसंख्या में थे। इससे मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के हालिया विधानसभा चुनावों के नतीजों पर भी ताज्जुब होता है। यह भी ग़ौरतलब है कि भाजपा लगभग हर जगह पोस्टल बैलट में हारी और ईवीएम वोटिंग में अधिकांश जगह जीती। साथ ही, चण्डीगढ़ मेयर चुनावों में भी ईवीएम की बजाय बैलट पेपर वोटिंग होने का नतीजा सबके सामने है। इन सब से ईवीएम से होने वाले चुनावों की विश्वसनीयता समाप्त हो गयी है। जनता ने कई जगह ईवीएम को ‘एवरी वोट टू मोदी’ का फुल फॉर्म दे रखा है।

11. इसका यह अर्थ नहीं कि भाजपा और मोदी सरकार का कोई समर्थन आधार ही नहीं है। करीब 20 से 25 प्रतिशत आबादी में मोदी सरकार के लिए कोई मुखर समर्थन नहीं, तो एक मौन या अर्द्ध-मुखर समर्थन मौजूद प्रतीत हुआ। इसे आप उस ‘साम्प्रदायिक आम सहमति’ का हिस्सा मान सकते हैं, जिसे संघ परिवार और भाजपा ने पिछले सात-आठ दशकों में और विशेष तौर पर पिछले चार दशकों में निर्मित किया है और जिसका बहुलांश फ़ासीवादी निज़ाम की अन्तिम विनाशकारी परिणति देखकर या अपनी अन्तिम विनाशकारी परिणति देखकर ही होश में आता है। अमीर वर्गों के अलावा, इसका बड़ा हिस्सा मध्यम मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग से आता प्रतीत होता है और उसमें भी वेतनभोगी मध्य वर्ग के संस्तर कम दिखे और उद्यमी मध्य वर्ग के संस्तर ज़्यादा दिखे। यह आबादी तमाम आर्थिक दिक्कतों के बावजूद अपने साम्प्रदायिक पूर्वाग्रहों और प्रतिक्रियावाद के कारण मोदी सरकार व संघ परिवार के समर्थन में खड़ी है। इस अल्पसंख्या को छोड़ दें तो बाकी आबादी में इस समय गहरी सरकार-विरोधी भावना है। यह दीगर बात है कि इस शेष आबादी में विकल्प को लेकर कोई स्पष्ट सोच नहीं है और ऐसी उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। यात्रा के इस सन्देश पर इस आबादी की सकारात्मक प्रतिक्रिया

(पेज 15 पर जारी)

मोदी सरकार का महाघोटाला : इलेक्टोरल बॉण्ड घोटाला

(पेज 13 से आगे)

भयंकर भ्रष्टाचार और कुकर्मों को धर्म की आड़ में छिपाते हैं। वे समूची हिन्दू आबादी के अकेले प्रवक्ता बनने का दावा करते हैं। एक ऐसा माहौल निर्मित किया जाता है, जिसमें भाजपा और संघ परिवार की आलोचना या उस पर होने वाले हर हमले को हिन्दू धर्म, हिन्दू धर्म मानने वाली जनता और "राष्ट्र" पर हमला क़रार दे दिया जाता है। उनके तमाम कुकर्म, व्यभिचार, दुराचार और भ्रष्टाचार के ऊपर एक रामनामी दुपट्टा डाल दिया जाता है। कभी मोदी को मन्दिरों में पूजा-अर्चना करते, कभी योग करते, कभी ध्यान लगाते दिखलाया जाता है और समूचा गोदी मीडिया इस छवि को निरन्तर प्रचारित-प्रसारित करता है। इसका मक़सद यह होता है कि जब भी आपके मन में उनके प्रति कोई सवाल आये, तो इस धार्मिक छवि के आभामण्डल में वह ओझल हो जाये, आप इस झूठी छवि के घटाटोप में अपना सवाल ही भूल जाते हैं। यह एक पूरा षड्यंत्र है जिसमें देश का पूँजीपति वर्ग और उसके द्वारा संचालित मीडिया हमारे देश के साम्प्रदायिक फ़ासीवादियों का साथ देता है। साथ ही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले कई दशकों में राज्यसत्ता के हर निकाय, उसकी हर संस्था में जो घुसपैठ की है और जिस तरह से अपने लोगों को बिठाया है, वह भी फ़ासीवादियों के नापाक मंसूबों को अमल में लाने में उनकी मदद करता है। चाहे आप नौकरशाही की बात करें, न्यायपालिका की बात करें, पुलिस व सेना की बात करें, हर जगह इन्होंने अपने प्यादे बिठा रखे हैं। क्या कारण है कि ईवीएम घपले के स्पष्ट उदाहरणों के बावजूद चुनाव आयोग और यहाँ तक कि देश का सुप्रीम कोर्ट तक कोई कार्रवाई नहीं करता? ईवीएम पर याचिकाओं की सुनवाई से चीफ जस्टिस चन्द्रचूड़ अपने आपको अलग क्यों कर लेते हैं? क्या ये सीधे सन्देह पैदा करने वाले मसले नहीं हैं?

इलेक्टोरल बॉण्ड घोटाला और ईवीएम घोटाला इस समय भाजपा को फिर से सत्ता में पहुँचाने के लिए मोदी-शाह व संघ परिवार द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे दो प्रमुख उपकरण हैं। जनता को इस बात को समझना चाहिए और हर मंच पर भाजपा का बहिष्कार कर, अपने प्रतिरोध को दर्ज़ कराना चाहिए। इसके अलावा, आम जनता को बेरोज़गारी, महँगाई, भ्रष्टाचार और साम्प्रदायिकता के मसले पर एकजुट होकर जुझारू जनान्दोलन खड़े करने चाहिए जो कि मौजूदा सत्ता तन्त्र की चूलें हिला दे।

आप यह भी जान लीजिये कि इलेकटोरल बॉण्ड और इलेक्टोरल ट्रस्ट का घोटाला तो अरबों रुपये भाजपा और गौण रूप में कुछ अन्य चुनावबाज़ पार्टियों को पहुँचा ही रहा है, लेकिन ये व्यवस्था ख़तम भी हो जायें तो पूँजीवादी व्यवस्था में होने वाले चुनावों में पूँजीपति वर्ग के धनबल की भूमिका समाप्त नहीं हो जायेगी। किसी और तरीक़े से पूँजीपति वर्ग अपने हितों की सेवा करने वाली पूँजीवादी पार्टियों में से किसी एक को सत्ता में पहुँचाने की हरसम्भव कोशिश करेगा। मौजूदा व्यवस्था में मेहनतकश आबादी के लिए जनवाद मूलत: और मुख्यत: औपचारिक होता है; निश्चय ही, इस आधार पर हम उन औपचारिक जनवादी अधिकारों के लिए संघर्ष का परित्याग नहीं कर देते हैं और उनको बचाने के लिए भी पुरज़ोर लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन मौजूदा व्यवस्था में जनवाद पूँजीवादी जनवाद होता है और जैसे-जैसे आप समाज के वर्गों की सीढ़ी में नीचे उतरते जाते हैं वैसे-वैसे जनवाद अधिक से अधिक कागज़ी और दिखावटी होता जाता है। सही मायनों में समूची मेहनतकश जनता के लिए जनवाद एक समाजवादी व्यवस्था में ही सम्भव है जिसमें उत्पादन, राजकाज और समूचे समाज के ढाँचे पर मेहनतकश वर्गों का नियन्त्रण हो और फैसला लेने की ताक़त उनके हाथों में हो। हमारा दूरगामी लक्ष्य एक मज़दूर इंक़लाब के ज़रिये ऐसी सत्ता की स्थापना करना है। लेकिन तात्कालिक तौर पर आज हमें हरेक जनवादी अधिकार के लिए भी लड़ना है चाहे वह श्रम अधिकार हों या अन्य जनवादी व नागरिक अधिकार।

इसीलिए मौजूदा फ़ासीवादी दौर में यह लड़ाई और भी अहम हो जाती है क्योंकि पूँजीपति वर्ग का कोई भी शासन इतने नग्न, भ्रष्ट और सीनाजोर तरीके से आम मेहनतकश आबादी का हक़ नहीं छीनता है, जितना और जिस तरीके से फ़ासीवादी पूँजीवादी शासन छीनता है। हमें एक बात अपने दिमाग़ में बिठा लेनी चाहिए: फ़ासीवाद, यानी हमारे देश में संघ परिवार और भाजपा, आम मेहनतकश जनता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनका मुकाबला कोई भी अन्य पूँजीवादी पार्टी निर्णायक रूप में नहीं कर सकती है। कोई एक चुनाव हारना और सत्ता से बाहर हो जाना फ़ासीवाद की निर्णायक हार नहीं है। वैसे भी इक्कीसवीं सदी के फ़ासीवाद की ख़ासियत ही यही है कि यह कोई खुली तानाशाही आपवादिक स्थितियों को छोड़कर नहीं लाने वाला है। यह पूँजीवादी जनवाद का खोल बरक़रार रखेगा, यह चुनाव हारकर अस्थायी रूप से सत्ता से औपचारिक तौर पर बाहर जा सकता है, लेकिन समाज और राजनीति और साथ ही राज्यसत्ता के ढाँचे पर इसकी पकड़ बनी रहेगी और यह हर बार और भी ज़्यादा आक्रामक तरीके से सत्ता में पहुँचेगा। दीर्घकालिक संकट के पूरे दौर पर यह बात लागू होती है, जिससे आज पूँजीवादी दुनिया गुज़र रही है। यही कारण है कि दुनिया के कई देशों में धुर दक्षिणपन्थी और फ़ासीवादी सत्ताएँ स्थापित हुई हैं और हो रही हैं। यह संकट ही वह ज़मीन तैयार करता है, जिस पर फ़ासीवाद का ज़हरीला कुकुरमुत्ता उगता है। इसी ज़मीन पर खड़े होकर फ़ासीवादी शक्तियाँ आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा झेल रही टुटपुँजिया आबादी और मेहनतकश आबादी के भी एक हिस्से की प्रतिक्रिया को संगठित करता है, उसे किसी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में एक नकली दुश्मन देता है, ताकि पूँजीवाद को कठघरे से बाहर किया जा सके और जनता को ही आपस में लड़वाकर पूँजीपति वर्ग के हितों की सेवा और हिफ़ाज़त की जा सके।

इसलिए आने वाले चुनावों में तो मेहनतकश वर्ग को फ़ासीवादी संघ परिवार और भाजपा को, यानी अपने सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन को सबक सिखाना ही चाहिए, लेकिन अगर वह ऐसा कर भी लेता है तो वह फ़ासीवादी शक्तियों की निर्णायक हार नहीं होगी। उनकी निर्णायक हार आज के दौर में एक मज़दूर इंक़लाब और समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के साथ ही सम्भव है। अपनी इस लघुकालिक और दीर्घकालिक दोनों ही लड़ाइयों के लिए आम मेहनतकश जनता को जागृत होना होगा, गोलबन्द होना होगा और संगठित होना होगा।

'भगतसिंह जनअधिकार यात्रा' का दूसरा चरण : समाहार रपट

(पेज 14 से आगे)

रही कि बेरोज़गारी, महँगाई, भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता और ईवीएम के मसले पर जनता के जुझारू जनान्दोलन खड़ा करने की आवश्यकता है और मौजूदा साम्प्रदायिक फ़ासीवादी मोदी सरकार को सबक सिखाने की ज़रूरत है।

इतना स्पष्ट है कि मोदी सरकार और भाजपा नेतृत्व को भी इस माहौल की जानकारी है। इस स्थिति में वह दो चालें चलने की कोशिश कर रही है: पहला, संसदीय विपक्ष को विभाजित रखना और दूसरा, साम्प्रदायिक उन्माद को भड़काकर, मुसलमानों को लेकर नकली और झूठा डर पैदा करके और अन्य विभाजनकारी मुद्दों को उठाकर बहुसंख्यक हिन्दू जनता के वोटों का दोबारा अपने पक्ष में ध्रुवीकरण करने का प्रयास। ईडी, सीबीआई आदि का और पूँजी की ताक़त का इस्तेमाल पहली चाल को कामयाब करने के लिए किया जा रहा है, जबकि काशी-मथुरा में मन्दिर-मस्जिद का मसला उठाकर (क्योंकि राम मन्दिर के इर्द-गिर्द भाजपा अपेक्षित साम्प्रदायिक माहौल नहीं बना पायी), सीएए-एनआरसी लागू करके और तमाम इलाकों में छोटे-मोटे दंगे भड़काकर दूसरी चाल को कामयाब बनाने की कोशिश की जा रही है। कहने की ज़रूरत नहीं कि समूचा गोदी मीडिया इस काम में एक सड़कछाप टुटपुँजिया दंगाई के समान नंगई से मोदी सरकार और भाजपा परिवार का साथ दे रहा है।

ईवीएम का मसला समूची यात्रा के दौरान हर जगह लोगों ने उठाया और यह अपील की कि BSJAY को इस मसले को और ज़्यादा पुरज़ोर तरीके से उठाना चाहिए। जल्द ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और देश में तमाम प्रगतिशील और जनवादी ताक़तें ईवीएम के ख़तरे को चिह्नित करते हुए प्रचार व अभियान कर रही हैं। चुनाव आयोग और अब तक सुप्रीम कोर्ट तक इस मसले पर कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। यहाँ तक कि ये संवैधानिक व न्यायिक संस्थाएँ सभी ईवीएम मशीनों के साथ वीवीपैट गणना व वोटर को अपनी वोटिंग की रसीद देने की माँग को भी लगातार अनसुना कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल जायज़ जनवादी माँग है और चुनावी प्रक्रिया के जनवादी चरित्र और विश्वसनीयता को बरक़रार रखने के लिए अनिवार्य है। यह सब निश्चित ही किसी भी व्यक्ति के मन में सन्देह पैदा करने वाली बातें हैं और स्पष्ट है कि भाजपा सरकार और संघ परिवार इस सामान्य-सी जनवादी माँग को किसी भी क़ीमत पर ख़ारिज करने और चुनाव आयोग व न्यायपालिका द्वारा ख़ारिज करवाने के लिए इसलिए आमादा हैं क्योंकि ईवीएम के बिना भाजपा की चुनावी जीत मुश्किल हो सकती है।

ऐसे में, BSJAY की संयोजन समिति ने चुनावों के बाद यात्रा का तीसरा चरण शुरू करने से पूर्व, चुनावों के पहले एक विशेष 'ईवीएम हटाओ' अभियान चलाने का निर्णय किया है। ईवीएम के साथ पूँजीवादी व्यवस्था के भीतर होने वाले चुनावों की विश्वसनीयता भी कठघरे में है और जनता के इस बुनियादी जनवादी अधिकार को सुरक्षित करने के लिए आज इस अभियान की ज़रूरत है।

BSJAY की ओर से हम सभी मेहनतकशों, छात्रों-युवाओं व नागरिकों का आह्वान करते हैं कि जिस प्रकार यात्रा के पहले दो चरणों के दौरान आपने अपनी भागीदारी और समर्थन को सुनिश्चित किया है, उसी प्रकार BSJAY के इस विशेष अभियान में भी शामिल हों और इस मसले पर जनता को जागरूक, गोलबन्द और संगठित करने में हमारा साथ दें।

यदि भाजपा ईवीएम हटाने और बैलट पेपर से चुनाव कराने या फिर वोटर को मिलने वाली पर्ची के साथ पूर्ण रूप से वीवीपैट वेरीफिकेशन की माँग को नहीं मानती तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है और देश की जनता का चुनाव की प्रक्रिया से भरोसा ख़त्म हो जायेगा। जनता में पहले ही यह अविश्वास है, लेकिन वह बिखरे और असंगठित रूप में है। BSJAY के विशेष 'ईवीएम हटाओ अभियान' का मक़सद जनता को इस मसले पर एकजुट और संगठित करना होगा। जल्द ही, इस बाबत एक पुस्तिका और एक पर्चा आपके बीच पेश किया जायेगा। इसके साथ ही इस विशेष अभियान की शुरुआत हो जायेगी। हम इस अभियान में सभी आम मेहनतकश लोगों, छात्रों-युवाओं और सरोकारी नागरिकों से भागीदारी की उम्मीद करते हैं और उनका आह्वान करते हैं कि जनता के एक बुनियादी जनवादी अधिकार की हिफ़ाज़त के लिए आगे आयें।

कुछ ज़रूरी लिंक

पर्चा, भगतसिंह जनअधिकार यात्रा दूसरा चरण

https://bsjayatra.com/wp-content/uploads/2024/03/BSJAY-II.pdf

Pamphlet, Bhagat Singh Jan Adhikar Yatra 2nd Phase

https://bsjayatra.com/wp-content/uploads/2024/03/BSJAY-II-ENG.pdf

पुस्तिकाएँ:-

1. भगतसिंह जनअधिकार यात्रा आपके बीच क्यों?

https://bsjayatra.com/wp-content/uploads/2024/03/Why-BSJAY-Hindi.pdf

2. मेहनतकश के हालात

https://bsjayatra.com/wp-content/uploads/2024/03/BSJAY-Booklet-2-Mehnatkash-Ke-Halaat.pdf

3. बढ़ती महँगाई की मार! ज़िम्मेदार मोदी सरकार!

https://bsjayatra.com/wp-content/uploads/2024/03/BSJAY-Booklet-4-inflation.pdf

4. शिक्षा और रोज़गार, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार!

https://bsjayatra.com/wp-content/uploads/2024/03/BSJAY-Booklet-3-Edu.pdf

5. जाति-धर्म के झगड़े छोड़ो! सही लड़ाई से नाता जोड़ो!!

https://bsjayatra.com/wp-content/uploads/2024/03/BSJAY-Booklet-5-Secularism.pdf

6. भाजपा के "रामराज्य" में भ्रष्टाचार के नये कीर्तिमान

https://bsjayatra.com/wp-content/uploads/2024/03/BSJAY-Booklet-6-Curroption.pdf

अन्य भाषाओं में उपलब्ध सामग्री के लिए इस लिंक पर जायें :

https://bsjayatra.wixsite.com/bsjay/booklets

चण्डीगढ़ मेयर चुनाव: फ़ासीवादी दौर में मालिकों के लोकतन्त्र का फूहड़ नंगा नाच

● अविनाश

देख फकीरे लोकतन्त्र का फूहड़ नंगा नाच।
पैसे को यह खुदा बताए राम को आवे लाज
संसद और विधानसभा में दल्लों की बारात
मन्त्री-सन्त्री-तन्त्री के घर नोटों की बरसात।
किसका गिरेबाँ किसने फाड़ा किसका दामन चाक
पूँजी के किस टुकड़खोर का चेहरा लगता साफ
यहाँ सत्य को झुलस रही है संविधान की आँच
देख फकीरे लोकतन्त्र का फूहड़ नंगा नाच।

('हवाई गोले' नाटक से)

पूँजीवादी लोकतन्त्र दिन-प्रतिदिन फूहड़पन और अश्लीलता के नित्य नये उदहारण पेश कर रहा है। पूँजीवादी लोकतन्त्र के तहत ईमानदारी, नैतिकता, विचारधारा व अन्य तमाम आदर्शों का खुले आम केंचुल नृत्य (स्ट्रिप्टीज़ नृत्य जिसमें नाचने वाला अपने कपड़े उतारता चला जाता है) चल रहा है। इस साल 2024 में, दुनिया भर के 80 से ज्यादा देशों में चुनाव होने जा रहे है यानी पूरी दुनिया की लगभग आधी आबादी चुनाव में भाग लेगी। पाकिस्तान और सर्बिया में हाल में हुए चुनावों में घपले-घोटालों की ख़बर सामने आ चुकी है। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत को 'मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी' कहा था। भारत में भी लोकतन्त्र के महापर्व के तहत, इस साल लोकसभा चुनाव होने जा रहे है। अभी आने वाले समय में लोकसभा चुनावों में क्या क्या होने वाला है, उसकी एक झलक हाल ही में हुए चण्डीगढ़ मेयर चुनाव में देखने को मिलती है। जहाँ अनिल मसीह जो चण्डीगढ़ चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर थे और अन्दर से भाजपा के दलाल निकले, वह खुलेआम चुनावी नतीजों की प्रक्रिया में धाँधली करते हुए पाए गए हैं। इसका वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद चुनावी प्रक्रिया का माख़ौल कैसे बनाया जाता है यह सबने देखा।

चण्डीगढ़ मेयर चुनाव घटनाक्रम: फ़ासीवाद के दौर में पूँजीवादी लोकतन्त्र की राजनीतिक अश्लीलता का जीता-जागता उदाहरण

चण्डीगढ़ मेयर चुनाव दरअसल 18 जनवरी को होने वाले थे, लेकिन जब 'आप' और कांग्रेस के पार्षद कार्यक्रम स्थल पर पहुँचे, तो उन्हें बताया गया कि मतदान स्थगित कर दिया गया है क्योंकि पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह बीमार हो गए हैं। केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ का प्रशासन 6 फरवरी को चुनाव कराना चाहता था। लेकिन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाये जाने के बाद 30 जनवरी को चुनाव कराने का आदेश दिया गया।

चुनाव से पहले, 'आप' के पास 13 पार्षद और कांग्रेस के पास 7 पार्षद थे, जिससे इण्डिया गठबन्धन को 36 सदस्यीय सदन में स्पष्ट तौर पर बहुमत मिलने वाला था। भाजपा के पास 15 वोट थे - उसके 14 पार्षदों के, साथ ही उसके चण्डीगढ़ लोकसभा सांसद (जिनके पास नियमों के तहत एक वोट है) किरन खेर का वोट था। भाजपा ने कहा कि उसे शिरोमणि अकाली दल (SAD) के पार्षद का समर्थन प्राप्त है और इसलिए उनके पास कुल 16 वोट है।

30 जनवरी को हुए चुनाव के नतीजे में अनिल मसीह ने जानबूझकर फ़र्जी तरीके से आम आदमी पार्टी (आप)-कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप कुमार 'टीटा' के पक्ष में डाले गए आठ मतपत्रों को अमान्य कर दिया था। यानी भाजपा को फ़ायदा पहुँचाने के लिए वोटों की चोरी की गयी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। पीठासीन अधिकारी मसीह द्वारा आप-कांग्रेस के आठ वोटों को अवैध घोषित करने के बाद, भाजपा के सोनकर को निर्वाचित घोषित किया गया। वीडियो में मसीह को मतपत्रों पर निशान लगाते हुए, बड़े आराम से देखा जा सकता है। इसके बाद कुलदीप कुमार ने उच्च न्यायालय और फिर उच्चतम न्यायालय का रुख किया।

सुप्रीम कोर्ट ने चण्डीगढ़ के मेयर के लिए 30 जनवरी को हुए चुनाव के नतीजे को यह पाते हुए रद्द कर दिया कि पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने जानबूझकर आम आदमी पार्टी (आप)-कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप कुमार 'टीटा' के पक्ष में डाले गए आठ मतपत्रों को अमान्य कर दिया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी.पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने परिणाम को "क़ानून के विपरीत" बताते हुए और कुलदीप कुमार को "वैध रूप से निर्वाचित उम्मीदवार" घोषित कर दिया। अदालत ने कहा कि वह लोकतन्त्र के "मजाक" और "हत्या" से "स्तब्ध" है, वैसे चुनाव-दर-चुनाव यह एक आम बात बनती जा रही है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट को भाजपा के फ़ासीवादी शासन में और भी बहुत-सी चीज़ों पर स्तब्ध होना चाहिए था, मसलन, ईवीएम घोटाले पर, भाजपा नेताओं के बेधड़क दिये जा रहे साम्प्रदायिक भाषण पर, ईडी व अन्य केन्द्रीय संस्थाओं के सीधे भाजपा द्वारा विपक्षियों को डराने-धमकाने और पूँजीपतियों से चन्दा वसूली पर, आदि। मगर सुप्रीम कोर्ट लगता है हफ्ते में कुछ ही दिनों स्तब्ध होता है! बहरहाल।

इस बीच भाजपा ने आप के तीन पार्षद को भाजपा में शामिल कर लिया। यदि अदालत ने केवल परिणाम को रद्द करने के बजाय नए सिरे से चुनाव का आदेश दिया होता, तो AAP-कांग्रेस की संख्या 20 से गिरकर 17 हो जाती, जबकि भाजपा के वोट बढ़कर 19 हो गए होते (SAD पार्षद और सांसद खेर के वोट सहित)। संसद या राज्य विधानसभाओं के चुनावों के विपरीत, नगरपालिका चुनावों में कोई दलबदल विरोधी क़ानून नहीं है। इसलिए भाजपा बड़े आराम से चुनाव जीत जाती, भले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भाजपा के अरमान गुब्बारे से निकलती हवा की तरह फुस्स हो गए। मगर फ़ासीवाद के दौर में पूँजीवादी लोकतन्त्र की गटर-गंगा में गोता लगाते हुए चण्डीगढ़ मेयर चुनाव भाजपा द्वारा चुनाव में जीतने की छटपटाहट साफ़ तौर पर स्पष्ट कर रहा है। इसके लिए साम-दाम-दण्ड-भेद का इस्तेमाल करके किसी भी तरह से चुनाव जीतने की कोशिश लगातार जारी रहती है। साथ-साथ व्यवस्था के अन्दर तक फासीवादीकरण की प्रक्रिया की भी झलक अच्छी तरह से देखने को मिलती है, जहाँ सरेआम चुनावों में धाँधली देखने को मिल रही है। वहीं रीढ़विहीन विपक्ष इस मुद्दे पर एक कारगर ज़मीनी आन्दोलन खड़ा करने में नाकामयाब रहा है, महज़ जुबानी जमाखर्ची के अलावा यह मामला पूरी तरह से रफा-दफा कर दिया गया है।

ऐसे में कुछ लोग लोकतान्त्रिक संस्थानों से काफी उम्मीदें लगा कर बैठे है। खास तौर से जब इलेक्टोरल बॉण्ड्स और चण्डीगढ़ मेयर चुनाव में फैसले आये है, तब से कुछ लोगों की न्यायपालिका व लोकतान्त्रिक संस्थानों के प्रति विश्वसनीयता बढ़ गयी है। लोकतन्त्र के स्तम्भ न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका या फिर मीडिया में किस तरह से संघी घुसपैठ हुई है और इसका किस तरह फासीवादीकरण हुआ, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। न्यायपालिका में ही ज्ञानवापी से लेकर तमाम अन्य फैसले व जज अभिजीत गंगोपाध्याय का भाजपा से टिकट लेकर लोकसभा चुनाव लड़ना, आदि सिर्फ़ और सिर्फ़ न्यायपालिका के फासीवादीकरण की और इशारा कर रहा है। ऐसे में न्यायपालिका द्वारा इलेक्टोरल बॉण्ड्स जैसे मुद्दे पर जो निर्णय बहुत आम बात होनी चाहिए थी, वो अविश्वसनीय प्रतीत हो रही है।

इलेक्टोरल बॉण्ड्स की प्रणाली का आना ही अपने आप में भाजपा द्वारा पूँजीपतियों और खुद अपने आपको दी गयी सौगात थी। चूँकि कल तक पूँजीपतियों द्वारा जो पैसा छुप-छुपा कर दिया जाता था, सरकार ने उसके लिए क़ानूनी मान्यता प्रदान कर दी। निश्चित तौर पर भाजपा ने ही इसका सबसे ज्यादा फ़ायदा उठाया जिसके तहत सिर्फ़ 2022-2023 में ही सबसे ज्यादा भाजपा को इलेक्टोरल बॉण्ड्स से 1300 करोड़ रुपए मिले है। जबकि भाजपा को इलेक्टोरल बॉण्ड्स से कुल 6,565 करोड़ रुपए मिले जो कुल इलेक्टोरल बॉण्ड्स का 55 प्रतिशत है। इसलिए अटकलें लगनी शुरू हो गयी हैं कि ऐसा मुमकिन है कि मोदी सरकार के दौर में जिस प्रकार कई घोटालों की फ़ाइलें जल गयीं या ग़ायब हो गयीं वैसे ही इस मामले में भी यह गुँजाइश है की इलेक्टोरल यूनीक कोड से जुड़े कागज़ जल जाये या तोड़-मरोड़ कर इसका डाटा दिया जाये या फिर डाटा ही न निकले। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट रोज़-रोज़ स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को फटकार लगा रहा है, लेकिन एस.बी.आई. भी ढीठ की तरह हर सूचना को देने में देर किये जा रहा है। मोदी सरकार के (अ)मृत काल सबकुछ सम्भव है!

वही चण्डीगढ़ मेयर चुनाव में सब कुछ सामने होने के बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देता, तो वैसे भी व्यवस्था के पास शरीर को ढकने के लिए जो थोड़ा बहुत सूत का धागा बचा है, वो भी निकल जाता। पूँजीवादी लोकतन्त्र के खोल को बचाये रखना आज के दौर के फ़ासीवादी ख़ासियत है। इसी के साथ व्यवस्था के कुछ आन्तरिक अन्तरविरोध भी पैदा होते हैं। व्यवस्था और पूँजीपति वर्ग की दूरदर्शी पहरेदार के तौर पर न्यायपालिका के कुछ फ़ैसले मोदी सरकार के हितों के विपरीत जा सकते हैं। लेकिन इसके आधार पर अगर कोई न्यायपालिका या क़ानूनी एक्टिविज़्म के ज़रिये, संविधान की माला जपते फ़ासीवादी संघ परिवार व मोदी-शाह सरकार से टकराने का सोच रहा है तो भविष्य में उसे लगने वाला सदमा उसे पागलखाने भी पहुँचा सकता है।

आज फ़ासीवाद का विकल्प पूँजीवादी लोकतन्त्र नहीं, बल्कि आमूलगामी व्यवस्था परिवर्तन और समाजवादी व्यवस्था है

2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी में भाजपा सरकारी संस्थानों का इस्तेमाल करके चुनाव में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए कैसे एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा रही है, यह तो सबको ही दिख रहा है। आगे आने वाले चुनावों में क्या होगा, 'चण्डीगढ़ मेयर चुनाव' इसकी छोटी सी झलक मात्र थी। 2019 के ही लोकसभा चुनाव में ईवीएम से छेड़छाड़ की दर्जनों घटनाएँ सामने आईं थीं। इस पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ भी नहीं किया था। 100 प्रतिशत वीवीपैट से मिलान की बात को बड़ी तीव्रता के साथ भाजपा, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था। इलेक्शन कमीशन ने 50 प्रतिशत वीवीपैट से मिलान की बात मानने से भी मना कर दिया था, जबकि 370 सीटों में वोटों में अन्तर पाया गया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ईवीएम एक अहम और ज़रूरी मुद्दा है। फिर अभी चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। अब चुनाव आयुक्त भी भाजपा द्वारा लाए गए नए क़ानून के तहत चुन लिया गया है, यानी प्रधानमन्त्री अब खुद अपने हाथों से चुनाव आयुक्त नियुक्त करेंगे। ऐसे में समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है की दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है।

फिर भी कुछ लोग किसी "शुद्ध (पूँजीवादी) लोकतन्त्र" की वकालत करते हुए,"हमारा महान संविधान", "न्यायपालिका", "गंगा ज़मुनी तहजीब", "नेहरूवियन समाजवाद" का भजन गा रहे हैं। दरअसल ऐसे लोग अनालोचनात्मक तरीके से इतिहासउन्मुख होकर पूँजीवादी लोकतन्त्र को देख रहे होते है, जिसकी वजह से पूँजीवादी लोकतन्त्र के क्षरण और पतनशील होते हुए चरित्र को वो पहचानने से इनकार कर देते है। फ़ासीवाद को लेकर ब्रेख्त की बात उन तमाम लोगों के लिए सही जान पड़ती है, जब उन्होंने कहा था कि "जो लोग पूँजीवाद के खिलाफ हुए बिना फ़ासीवाद के ख़िलाफ़ हैं, जो बर्बरता से निकलने वाली बर्बरता पर विलाप करते हैं, वे उन लोगों की तरह हैं जो बछड़े को मारे बिना उसका माँस खाना चाहते हैं" दरअसल यह तमाम लोग फ़ासीवाद को समझना ही नहीं चाहते है। वो फ़ासीवाद को लेकर हमेशा मुगालते में रहना चाहते है। ऊपर से, वे इक्कीसवीं सदी के फ़ासीवाद को समझने से इन्कार कर रहे हैं, जो हिटलर के समान आपवादिक क़ानून लाकर लोकतन्त्र को खुले तौर पर भंग नहीं करता है, बल्कि उसके खोल को बनाये रखता है और उसे बनाये रखते हुए हर वह कुकर्म करता है, तो बीसवीं सदी के फ़ासीवाद ने किये थे। आज फ़ासीवाद से संघर्ष का मसला समाजवाद और सर्वहारा अधिनायकत्व की स्थापना का मसला है, पूँजीवादी जनवाद की पुनर्स्थापना का मसला नहीं, क्योंकि उसे औपचारिक तौर पर भंग ही नहीं किया गया।

इक्कीसवी सदी में पूँजीवादी लोकतन्त्र और पूँजीपति वर्ग अपनी वह बची-खुची प्रगतिशीलता और सम्भावना-सम्पन्नता खो चुका है, जो किसी हद तक उसमें बीसवीं सदी के शुरुआती दशकों में बाकी थी। दीर्घकालिक आर्थिक संकट के मौजूदा दौर में, फ़ासीवाद पूँजीवादी व्यवस्था की एक कमोबेश स्थायी परिघटना बन चुका है, चाहे वह सत्ता में रहे या औपचारिक तौर पर सत्ता के बाहर रहे। पहले कि तरह फ़ासीवाद की ख़ासियत तेज़ गति से उभार और फिर उतनी ही तेज़ गति से पतन नहीं है। फ़ासीवादियों ने भी अपने अतीत से सीखा है। लेकिन आज भी पहले की ही तरह फ़ासीवाद टुटपुँजिया वर्ग का प्रतिक्रियावादी सामाजिक आन्दोलन है, जो समूचे पूँजीपति वर्ग लेकिन विशेष तौर पर बड़ी पूँजी की सेवा करता है। पूँजीवादी संकट के दौर में पूँजीपति वर्ग को ऐसी पार्टी चाहिए, जो डण्डे के दम पर मुनाफे के दर को बनाये रखने का काम करे। इसलिए भाजपा को पूँजीपतियों ने सबसे ज्यादा पैसे दिए है और सत्ता में पहुँचाया है। ऐसे में महज़ चुनावी तिकड़मों (इण्डिया गठबन्धन) से फ़ासीवाद को निर्णायक तौर पर हराया नहीं जा सकता है।

आज फ़ासीवाद से लड़ने के लिए जनता के मुद्दों पर ज़मीनी स्तर पर उतर कर जनआन्दोलन खड़ा करने का काम करना होगा। बिना इसके हवा-हवाई या नीम हकीम नुस्खों से फ़ासीवाद को हराया नहीं जा सकता है। इसलिए चण्डीगढ़ मेयर चुनाव एक आम घटना के तौर पर स्थापित हो रही है, जिसपर कही भी शोर या हल्ला नहीं होता है, लोकतन्त्र का फूहड़ नंगा नाच खुलेआम चलता रहता है।

भगतसिंह जन अधिकार यात्रा के तहत विशेष अभियान

ईवीएम पर भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता!

पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान हमारा जनवादी अधिकार है
अपने बुनियादी जनवादी अधिकार की हिफ़ाज़त के लिए आगे आओ!
'ईवीएम हटाओ अभियान' का हिस्सा बनो!

किसी भी जनतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव के ज़रिये अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करना जनता का सबसे बुनियादी राजनीतिक अधिकार होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि चुनाव में मतदान की प्रक्रिया पारदर्शी हो। बेशक़, इस पूँजीवादी जनतंत्र में मतदान को प्रभावित करने के तमाम तरीक़े उन वर्गों और उनकी पार्टियों के हाथों में होते हैं जिनके क़ब्ज़े में उत्पादन और वितरण के तमाम साधन होते हैं, फिर भी यह व्यवस्था जिस हद तक लोगों को अधिकार देती है, उसका अधिकतम पारदर्शी और असरदार तरीक़े से इस्तेमाल करने के हक़ के लिए हमें लड़ना चाहिए।

लेकिन चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल की मौजूदा व्यवस्था हमारे इस बुनियादी जनवादी अधिकार पर सीधे-सीधे डाका डाल रही है। इस व्यवस्था पर देशभर से उठ रहे सवालों पर जिस तरह से भाजपा और केन्द्रीय चुनाव आयोग (केचुआ) बिदक रहे हैं और चोरी करते हुए पकड़े गये अड़ियल बच्चे की तरह मुट्ठी न खोलने के लिए तरह-तरह की बचकानी हरकतें कर रहे हैं, उससे जनता में ईवीएम को लेकर सन्देह बढ़ता ही जा रहा है। भाजपा और केचुआ मतदान के समय ईवीएम से वीवीपैट मशीन से निकली पर्ची वोटर को देने और सौ प्रतिशत वीवीपैट वेरीफ़िकेशन की माँग को भी जिस तरह से नज़रअन्दाज़ कर रहे हैं, उससे शक़ और पुख़्ता ही हो रहा है। **मोदी सरकार के रवैये से साफ़ ज़ाहिर है कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है।**

आज इस बात के स्पष्ट तथ्य और तर्क मौजूद हैं कि ईवीएम से होने वाले चुनाव क्यों क़तई भरोसे के क़ाबिल नहीं हैं। इस पुस्तिका में हम इन तथ्यों और तर्कों की विस्तार से चर्चा करेंगे।

ईवीएम के विरुद्ध संगठित जनसंघर्ष की मुहिम चलाना हमारी बेहद ज़रूरी फ़ौरी ज़िम्मेदारी है। यह हर उस ज़िम्मेदार नागरिक की ज़िम्मेदारी है जो हमारे रहे-सहे, अतिसीमित जनवादी अधिकारों की हिफ़ाज़त को लेकर चिन्तित है। इसलिए इससे जुड़े तथ्यों को अच्छी-तरह जान-समझ लेना ज़रूरी है ताकि इस मसले पर भाजपा और केचुआ द्वारा फैलाये जा रहे झूठे तर्कों के भ्रमजाल में हम न फँसें।

आज देश में सभी विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव ईवीएम मशीनों के ज़रिये कराये जा रहे हैं। ईवीएम की मौजूदा व्यवस्था की शुरुआत कांग्रेस शासन में हुई थी और तभी से इस पर सवाल भी उठाये जा रहे थे और **इन सवालों को उठाने में सबसे आगे भाजपा ही थी।** लेकिन भाजपा सत्ता में आने के साथ ही उन सवालों को भूल गयी और पिछले 10 सालों के दौरान उसने चुनाव जीतने के लिए ईवीएम का जैसा ज़बर्दस्त इस्तेमाल किया है वह एक फ़ासिस्ट संगठन ही कर सकता है। पूँजीवादी जनतंत्र की तमाम संस्थाओं पर क़ब्ज़ा करके भाजपा और आरएसएस ने उन्हें मनमाफ़िक तोड़ा-मरोड़ा है, तमाम नियम-क़ायदों को धता बताते हुए अपनी मनमानी चलायी है और नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी सरकारी मशीनरी का फ़ासीवादीकरण कर डाला है। इस सरकारी मशीनरी और संघ-भाजपा के कैडर-आधारित तंत्र के ज़रिये भाजपा लगातार चुनाव जीतने के 'मोड' में रहती है। इसीकी बदौलत वह ईवीएम का भी बेहद चालाकी और कुशलता के साथ इस्तेमाल करती है।

अपने साम्प्रदायिक और अन्धराष्ट्रवादी प्रचार के ज़रिये मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने और जनता से ही लूटे गये पैसों का एक हिस्सा 'पाँच किलो राशन' जैसी स्कीमों पर ख़र्च करने के बाद भी भाजपा बार-बार चुनाव में भारी सफलता क़तई हासिल नहीं कर सकती है। लोगों में मोदी सरकार की नीतियों और कारगुज़ारियों के ख़िलाफ़ भारी असन्तोष के बावजूद वह ईवीएम के ज़रिए वोटों की लूट मचाकर ही इस तरह जीत पा रही है।

ईवीएम पर कोई सवाल क्यों नहीं सुनना चाहते भाजपा और केन्द्रीय चुनाव आयोग?

चुनाव आयोग जिसका काम सिर्फ़ चुनाव सम्पन्न कराना है, वह ईवीएम पर हर तरफ़ से उठने वाले सवालों के बावजूद किसी भी सवाल का जवाब न देने पर क्यों अड़ा हुआ है? ईवीएम के ख़िलाफ़ 2001 से (यानी यह व्यवस्था लागू होने के भी पहले से) 2017 तक कई राज्यों के हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएँ दाखिल हुईं। लेकिन चुनाव आयोग के थोथे-बेमानी तर्कों को स्वीकार करते हुए अदालतों ने यह कहकर इन्हें ख़ारिज कर दिया कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सन्देह नहीं किया जा सकता। **क्यों भाई? चुनाव आयोग सभी सवालों से परे कैसे हो गया? अभी हालिया एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर ख़ारिज कर दिया कि अब वह और ऐसी याचिकाओं को नहीं सुन सकता (मतलब, थक गया है!) और हर वोटिंग पद्धति में कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक तो होता ही है! यह कैसी दलील है? अगर किसी वोटिंग पद्धति का नकारात्मक यह हो कि उससे स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव ही नहीं हो सकते और वोटों की चोरी होती है, तो क्या उस पद्धति को नकारा नहीं जाना चाहिए? क्या उसकी जाँच नहीं की जानी चाहिए?**

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन लोकुर की अध्यक्षता में बने **'सिटिज़न्स कमीशन ऑन इलेक्शन्स'** ने अप्रैल 2021 में एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की जिसमें ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की ख़ामियों और इनकी अविश्वसनीयता को लेकर कई गम्भीर सवाल उठाये गये थे। इस कमीशन में पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला, मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जज हरिपरंतमन, आईआईटी दिल्ली में कम्प्यूटर साइंस के प्रोफ़ेसर सुभाशीष बनर्जी सहित चुनाव प्रक्रिया से परिचित अनेक जाने-माने विशेषज्ञ शामिल थे। देश के 1400 जजों, जाने-माने वकीलों, पत्रकारों, प्रोफ़ेसरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पर हस्ताक्षर किये हैं। **लेकिन केचुआ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया।** यह रिपोर्ट तैयार करने से पहले चुनाव आयोग और इसकी तकनीकी समिति के सदस्यों से भी बयान आमंत्रित किये गये थे लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी। इसकी तकनीकी समिति के सदस्यों और कुछ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों को एक प्रश्नावली भी भेजी गयी थी जिस पर सिर्फ़ केवल एक पूर्व चुनाव आयुक्त ने जवाब भेजा।

सुप्रसिद्ध न्यूज़ वेबसाइट 'वायर' ने विस्तार से कई तकनीकी सवाल उठाते हुए ईवीएम की गड़बड़ियों पर एक लम्बा लेख प्रकाशित किया। 'संविधान बचाओ मिशन' से जुड़े जाने-माने वकीलों महमूद प्राचा, भानु प्रताप सिंह आदि ने, सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशान्त भूषण ने और कई प्रतिष्ठित क़ानून विशेषज्ञों ने ईवीएम के सन्दिग्ध होने के कारणों पर कई बार तथ्यों और तर्कों सहित लिखा और बोला है। लेकिन सरकार और चुनाव आयोग ने इसपर कभी ध्यान नहीं दिया। अभी भी महमूद प्राचा आदि द्वारा दायर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन उसकी सुनवाई करने वाली बेंच से चीफ़ जस्टिस चन्द्रचूड़ ने अपने को अलग कर लिया है, जो अपनेआप में शक़ पैदा करने वाला मामला है।

इतना ही नहीं, 28 राजनीतिक पार्टियों ने कई बार पत्र लिखकर चुनाव आयोग से मिलने का समय माँगा है ताकि ईवीएम को लेकर अपने सन्देहों को उसके सामने रख सकें। लेकिन केचुआ इसके लिए भी तैयार नहीं है!

इतनी पर्दादारी क्यों है भाई? अगर चुनाव आयोग को ईवीएम पर इतना भरोसा है तो वह लोगों के सन्देह को दूर करने के बजाय इस तरह से भाग क्यों रहा है?

अभी जनवरी में जाने-माने वकीलों की अगुवाई में हज़ारों लोगों ने दिल्ली के जन्तर-मन्तर पर प्रदर्शन किया। उनकी बस इतनी माँग थी कि चुनाव आयोग उन्हें 50 ईवीएम मशीनें उपलब्ध कराये और वे साबित कर देंगे कि इनमें छेड़छाड़ कैसे सम्भव है। उनकी बात सुनने के बजाय पुलिस ने उन पर बल प्रयोग किया और हिरासत में ले लिया। **'भगतसिंह जन अधिकार यात्रा'** के तहत देशभर से हज़ारों लोग 3 मार्च को जन्तर-मन्तर पहुँचे थे। उनके माँगपत्रक में भी ईवीएम हटाना एक प्रमुख माँग थी। पुलिस ने उनके साथ भी यही सलूक किया।

क्या चुनाव आयोग की यह ज़िम्मेदारी नहीं है कि वह देश के करोड़ों मतदाताओं के मन में उपजे सन्देह को दूर करे और यह साबित करे कि चुनाव की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी है? ऐसा करने के बजाय टालमटोल और अनदेखी करना, पारदर्शिता के बजाय पर्देदारी पर अड़े रहना ही यह साबित करता है कि ईवीएम की व्यवस्था में भारी घपला है। आइए देखते हैं कि ईवीएम पर विशेषज्ञों ने कैसे सवाल खड़े किये हैं।

ईवीएम में छेड़छाड़ की सम्भावना के बारे में केचुआ के दावों में कितना दम है

पहली बात तो यह है कि दुनिया की कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक तकनीक या मशीन नहीं हो सकती जिसके साथ छेड़छाड़ या फेरबदल सम्भव नहीं है। हर तकनीक या मशीन को मनुष्य ही बनाता है और मनुष्य ही उसमें नुक्स निकाल सकता है और बदलाव कर सकता है। दुनिया के बड़े बैंकों के सिक्योरिटी सिस्टम, जिनके अभेद्य होने के बारे में दावा किया जाता था, उन्हें भी चोरों ने भेदकर दिखा दिया। महाबली अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन की वेबसाइट तक को कुछ कॉलेज छात्रों ने हैक कर दिया। भारत सरकार दावा करती रही है कि आधार का डेटा 12 फ़ुट मोटी दीवारों के पीछे और न जाने किन-किन सुरक्षा उपायों से सुरक्षित है, लेकिन सभी जानते हैं कि आधार का डेटा कितनी बार और कितने तरीक़ों से चोरी हो चुका है। ये सब कारनामे तो चन्द व्यक्तियों ने अंजाम दिये थे लेकिन अगर सत्ता में बैठी भाजपा जैसी पार्टी और आरएसएस

(पेज 18 पर जारी)

ईवीएम पर भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता!

हैदराबाद के इंजीनियर हरिप्रसाद, मिशीगन यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर हाल्डरमैन और डच प्रौद्योगिकी कार्यकर्ता गोंगग्रीप जिन्होंने एक वास्तविक ईवीएम को हैक करने का दावा किया था और अपनी केस स्टडी पर एक पेपर भी प्रकाशित किया था।

(पेज 17 से आगे)

जैसा संगठन योजना बनाकर काम करें तो ईवीएम से चुनाव के पूरे ताने-बाने को भेदकर मनमाफ़िक नतीजे हासिल करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे समझना कोई मुश्किल नहीं है।

ईवीएम पर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ही सवाल उठाया था। पार्टी के एक नेता **जीवीएल नरसिम्हा राव** ने 2010 में **'डेमोक्रेसी ऐट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट अवर इलेक्ट्रॉनिक मशीन'** शीर्षक एक पुस्तक लिखी थी जिसकी प्रस्तावना **तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी** ने लिखी थी। उसमें **तेलुगु देशम पार्टी के एन. चन्द्रबाबू नायडू** का एक सन्देश भी छपा था जो आज भाजपा-नीत गठबन्धन में शामिल हो चुके हैं।

ईवीएम-विरोधी कई तथ्यों और तर्कों के साथ इस पुस्तक में वोटिंग सिस्टम के एक्सपर्ट स्टैनफ़ोर्ड विश्वविद्यालय के डेविड डिल के इस कथन का भी हवाला दिया गया है कि ईवीएम का इस्तेमाल सुरक्षित और चूकरहित क़तई नहीं हो सकता। पुस्तक में उस मामले का भी उल्लेख है जब हैदराबाद के एक इंजीनियर हरिप्रसाद ने मिशीगन यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर हाल्डरमैन और डच प्रौद्योगिकी कार्यकर्ता गोंगग्रीप के साथ मिलकर ईवीएम को हैक करने का दावा किया था और इन तीनों ने अपनी केस स्टडी पर एक पेपर भी प्रकाशित किया था। यह प्रयोग किसी डमी पर नहीं, बल्कि एक वास्तविक ईवीएम पर किया गया था और सिद्ध किया गया था कि मशीनों में दो तरीकों से हेर-फेर किया जा सकता है।

जवाब में सरकार ने क्या किया? इंजीनियर हरिप्रसाद को तुरन्त अज्ञात स्रोत से वास्तविक ईवीएम की चोरी के आरोप में गिरफ़्तार कर लिया गया! लेकिन हरिप्रसाद के दावों का कोई जवाब नहीं दिया गया! हरिप्रसाद ने अपना प्रयोग दूसरी पीढ़ी के ईवीएम 'एम-2' पर किया था। अब उनका दावा है कि उन्हें मौक़ा दिया जाये तो वह तीसरी पीढ़ी के मौजूदा ईवीएम 'एम-3' को भी हैक करके दिखा सकते हैं। लेकिन हरिप्रसाद की बार-बार दी गयी चुनौतियों पर चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं देता और रहस्यमयी चुप्पी बनाये रखता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, ईवीएम डिज़ाइन की पर्याप्त जाँच में भी कई पहलुओं की कमी दिखायी देती है। लगता है कि "साइड-चैनल हमलों" की सम्भावनाओं पर विचार ही नहीं किया गया है। दुनियाभर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और अन्य चैनलों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को हैक करने के कई उदाहरण हैं, जिनमें परिष्कृत IntelTM प्रोसेसर के सॉफ़्टवेयर गार्ड एक्सटेंशन शामिल हैं। ऐसी सम्भावनाओं को देखते हुए, यह दावा कि ईवीएम में कोई बाहरी संचार चैनल नहीं है, कतई विश्वसनीय नहीं है।

ईवीएम बनाने वाली कम्पनी के बोर्ड में भाजपा के नेता क्या कर रहे हैं?

ईवीएम मशीन में एक सोर्स कोड होता है जिसे बेहद सीक्रेट रखा जाता है क्योंकि इसका पता होने पर मशीनों में गड़बड़ करना बड़ा आसान हो जायेगा। **क्या आपको पता है कि भारत में जो दो कम्पनियाँ ईवीएम बनाती हैं, उनमें से एक कम्पनी 'भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड' के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स में स्वतंत्र निदेशक के रूप में भाजपा के चार पदाधिकारी और नामांकित व्यक्ति काम कर रहे हैं?** पूर्व आईएएस ई.ए.एस. सरमा ने चुनाव आयोग को इस बारे में पत्र लिखकर सवाल खड़ा किया कि कम्पनी के निदेशक होने के नाते इन भाजपा नेताओं को सोर्स कोड की जानकारी होगी और उनके ज़रिये भाजपा को हो जायेगी जिसका आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है। **लेकिन इतनी गम्भीर बात पर भी चुनाव आयोग और मोदी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया।** ज़ाहिर है, गोदी मीडिया ने तो आपको इसके बारे में कुछ नहीं ही बताया होगा।

सोर्स कोड प्रोग्रामर द्वारा लिखित निर्देशों का एक सेट होता है। सोर्स कोड मशीन को बताता है कि उसे कैसे काम करना है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक याचिका में तर्क दिया गया कि सोर्स कोड, या मशीन का मस्तिष्क, यदि बदला जाता है, तो चुनाव के परिणाम को बदल सकता है। **लेकिन इस पर भी कुछ नहीं हुआ!**

19 लाख ईवीएम मशीनें "लापता", 4 लाख वीवीपैट मशीनें ख़राब – फिर भी व्यवस्था बेदाग़?!

एक और सनसनीखेज़ मुद्दा यह है कि फ़ैक्ट्री से चुनाव आयोग तक पहुँचने के बीच 18 लाख 94 हज़ार से भी ज़्यादा ईवीएम मशीनें ग़ायब हो गयीं! ऐसा भला कैसे हो सकता है? सरकारी मशीनरी की मिलीभगत के बिना यह असम्भव है। इनके दुरुपयोग का सन्देह इस तथ्य से और भी पक्का हो जाता है कि पिछले कई चुनावों के दौरान ईवीएम मशीनों से लदी भाजपाइयों या सरकारी अधिकारियों की कई गाड़ियाँ आम लोगों और विभिन्न विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा पकड़ी जा चुकी हैं। **कांग्रेस के विधायक एच.के. पाटिल ने बॉम्बे हाईकोर्ट में इस बाबत एक याचिका 2022 में दायर की थी लेकिन वह अभी लम्बित ही है।**

वीवीपैट बनाने वाली दो सरकारी कम्पनियों की तीन फ़ैक्ट्रियों से चुनाव आयोग को भेजी गयी 17.5 लाख मशीनों में से क़रीब 4 लाख, यानी लगभग एक-चौथाई मशीनें ख़राब पायी गयीं। इसके बारे में ख़ुद चुनाव आयोग ने इन कम्पनियों को पत्र लिखा है।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की जाँच के लिए डाली गयी एक ताज़ा याचिका को यह कहकर ख़ारिज कर दिया कि ऐसी याचिकाओं को वह नहीं सुन सकता क्योंकि हर पद्धति के कुछ सकारात्मक व नकारात्मक होते हैं! यह किस प्रकार की दलील है? निश्चित ही हर पद्धति के सकारात्मक व नकारात्मक होते हैं, किसी में समय व धन कम तो किसी में ज़्यादा लगता है, लेकिन **अगर किसी पद्धति में नकारात्मक यह है कि वोटिंग में ही घोटाला कर किसी एक पार्टी को जिताया जा रहा है, तो क्या उस पद्धति की जाँच की याचिका को सुना नहीं जाना चाहिए?**

क्या वजह है कि दुनिया के तमाम विकसित देश भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते?

एकाध अपवाद को छोड़कर विकसित पश्चिमी देशों सहित दुनिया के अधिकांश देश आज चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते। कई देश ईवीएम का इस्तेमाल करके बैलेट पेपर पर वापस जा चुके हैं। कई देशों की न्यायपालिका विस्तृत जाँच के बाद ईवीएम के इस्तेमाल को सन्दिग्ध, अविश्वसनीय और अवैधानिक घोषित कर चुकी है।

जर्मनी की सर्वोच्च अदालत ने ईवीएम को ख़ारिज करके वापस बैलेट पेपर से चुनाव कराने की व्यवस्था लागू करने के अपने चर्चित फ़ैसले में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही थीं जिनकी रोशनी में हमें अपने देश में ईवीएम की प्रणाली को देखना चाहिए।

(i) अदालत ने कहा कि मतदान प्रक्रिया इस तरह से पारदर्शी होनी चाहिए कि आम जनता सन्तुष्ट हो सके कि उसका वोट सही ढंग से दर्ज किया और गिना गया है। (i) मतदान और गिनती की प्रक्रिया को सार्वजनिक रूप से जाँचने योग्य होना चाहिए। (iii) आम नागरिकों को मतदान प्रक्रिया में आवश्यक चरणों की जाँच करने में सक्षम होना चाहिए। (iv) मतों की गिनती इस तरह से होनी चाहिए जिसका सत्यापन किया जा सके और परिणामों का बिना किसी विशेष ज्ञान के विश्वसनीय रूप से पता लगाया जा सके। (v) चुनाव प्रक्रिया न केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष दिखनी भी चाहिए। (vi) चुनाव आयोग का सम्पूर्ण मतदान प्रक्रिया

(पेज 19 पर जारी)

ईवीएम हैक करने को लेकर चुनाव आयोग की चुनौती का सच!

मई 2017 में चुनाव आयोग ने 7 राष्ट्रीय पार्टियों और 49 राज्य स्तरीय पार्टियों को चुनौती दी थी कि वे ईवीएम को हैक करके दिखाएँ। चुनाव आयोग की वाहियात शर्तों की वजह से सिर्फ़ दो पार्टियों ने चुनौती स्वीकार की लेकिन जब आयोग ने ईवीएम मशीन उन्हें सौंपने से इंकार कर दिया तो उन दोनों पार्टियों ने भी हाथ वापस खींच लिये। इसी को लेकर आयोग और भाजपा दावे करते रहते हैं कि ईवीएम हैक करने की चुनौती से पार्टियाँ भाग खड़ी हुईं। जैसाकि हमने इस पुस्तिका में चर्चा की है और तमाम विशेषज्ञों ने भी कहा है, वायरलेस ढंग से या रिमोट तरीक़े से ईवीएम को हैक नहीं किया सकता, लेकिन अगर मशीन किसी गड़बड़ करने वाले के हाथ लग जाये तो उसे हैक करना मुश्किल नहीं होगा। और यह साफ़ है कि भारी संख्या में ईवीएम मशीनें "लापता" होती रही हैं या ग़लत जगहों पर पायी जाती रही हैं। **ऐसे में यह दावा करना सरासर बेईमानी और बेहयाई नहीं तो क्या है?**

फैक्ट्री से चुनाव आयोग तक पहुँचने के बीच **18 लाख 94 हज़ार** से भी ज़्यादा ईवीएम मशीनें ग़ायब हो गयीं! बॉम्बे हाईकोर्ट में इस पर 2022 में दायर एक याचिका अभी लम्बित ही है।

वीवीपैट बनाने वाली दो सरकारी कम्पनियों की तीन फैक्ट्रियों से चुनाव आयोग को भेजी गयी **17 लाख 50 हज़ार** मशीनों में से करीब **4 लाख**, यानी लगभग एक-चौथाई मशीनें ख़राब पायी गयी हैं।

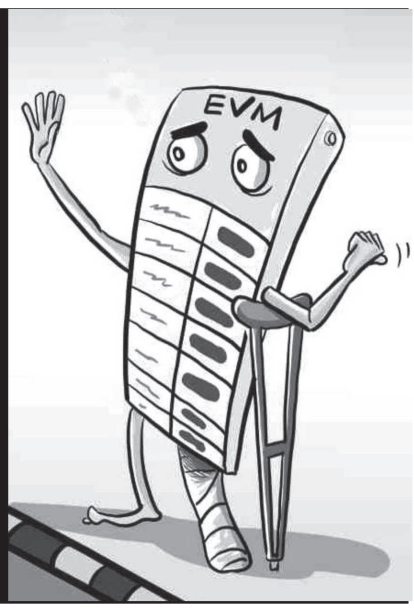

ईवीएम पर भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता!

पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए और बड़े पैमाने पर जनता को सत्यापन करने में सक्षम होना चाहिए।

क्या इनमें से कोई भी शर्त आज भारत में पूरी होती है?

क्या कारण है कि जहाँ ईवीएम से चुनाव नहीं होते, वहाँ भाजपा हार जाती है?

स्वायत्तशासी निकायों सहित जिन भी चुनावों में बैलेट पेपर से चुनाव हुए, उनमें से अधिकांश में भाजपा के उम्मीदवारों को हार का मुँह देखना पड़ा। चण्डीगढ़ के मेयर चुनाव में भाजपा की हार भी यही दिखाती है। साथ ही, कई राज्यों में हुए हालिया विधानसभा चुनावों में पोस्टल बैलटों में भाजपा अक्सर ही हारती नज़र आयी है।

●

अब ज़रा जान लेते हैं कि ईवीएम से चुनाव की पूरी प्रक्रिया में क्या-क्या होता है और किन-किन स्तरों पर इसमें गड़बड़ किया जाना सम्भव है।

बैलेट पेपर से होने वाले चुनाव की प्रक्रिया में चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों के माध्यम से सभी स्वतंत्र और राजनीतिक दलों के टिकट वाले उम्मीदवारों के नाम और उनके आवंटित प्रतीकों के साथ एक मतपत्र छपवाया जाता है। पंजीकृत मतदाता को बस पीठासीन अधिकारी से एक मतपत्र और एक रबर स्टाम्प लेना होता है, मतदान बूथ में जाना होता है, अपने पसन्दीदा उम्मीदवार के सामने चिह्न पर मोहर लगानी होती है और इसे मतपत्र में डाल देना होता है। **मतदाता इस प्रक्रिया के हर चरण को अपनी आँखों से देख सकता था।**

ईवीएम मशीन क्या होती है?

ईवीएम में एक कण्ट्रोल यूनिट होती है जिसे पीठासीन अधिकारी की डेस्क पर रखा जाता है। कण्ट्रोल यूनिट मतदाता-सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) प्रिण्टर से जुड़ी होती है, जो फिर मतपत्र इकाई (बैलेट यूनिट) से जुड़ी होती है। वीवीपैट प्रिण्टर और बैलेट यूनिट मतदाता बूथ में रखे जाते हैं। वीवीपैट स्थिति प्रदर्शन इकाई (वीएसडीयू) पीठासीन अधिकारी के पास रखी जाती है और वीवीपैट प्रिण्टर की स्थिति प्रदर्शित करती है। यह एक स्टैण्ड-अलोन प्रणाली है जिसमें कथित

तौर पर तार या रेडियो के माध्यम से कोई बाहरी संचार चैनल नहीं है। इसमें केवल विशिष्ट प्रोटोकॉल के अनुसार डेटा के इनपुट और आउटपुट के लिए निर्दिष्ट इण्टरफ़ेस हैं। चुनाव आयोग के अनुसार, यह स्टैण्ड-अलोन है यानी इसे कम्प्यूटर से नियंत्रित नहीं किया जा सकता और 'वन-टाइम प्रोग्रामेबल' (ओटीपी) है यानी इसमें एक बार के बाद कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं डाला जा सकता।

लेकिन केचुआ के इस दावे पर भी सवाल उठ गये हैं। चुनाव आयोग और ईवीएम तथा वीवीपैट निर्माताओं – भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ईसीआईएल) से आरटीआई के ज़रिये पूछे एक प्रश्न का उत्तर बताता है कि **ईवीएम के अचूक होने का दावा सन्दिग्ध है।** ईवीएम में उपयोग किए जाने वाले माइक्रो-कण्ट्रोलर को 'वन-टाइम प्रोग्रामेबल' नहीं कहा जा सकता है। उनमें तीन प्रकार की मेमोरी होती हैं – EEPROM, Flash और SRAM। EEPROM का अर्थ है "इलेक्ट्रिकली इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड-ओनली मेमोरी" और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस मेमोरी को मिटाकर उस पर दूसरा प्रोग्राम लिखा जा सकता है। ईवीएम में, सॉफ़्टवेयर को या तो EEPROM या फ़्लैश मेमोरी (या दोनों) में संग्रहीत किया जाता है। अब यह पता चला है कि दोनों को फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। इसलिए, ईसीआई का यह दावा सरासर ग़लत है कि ईवीएम सॉफ़्टवेयर एक ओटीपी चिप में रहता है। **यानी इस चिप के ज़रिये डेटा में हेरफेर किया जा सकता है।** यह जानकारी नीदरलैण्ड स्थित एनएक्सपी सेमीकण्डक्टर्स एनवी की वेबसाइट पर पोस्ट की गई है, जो माइक्रो-कण्ट्रोलर चिप्स की आपूर्ति करती है। **इसके अलावा, इस महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दे पर माँगी गयी अधिकांश जानकारी देने से दोनों सरकारी कम्पनियों और चुनाव आयोग ने साफ़ मना कर दिया।**

बेशक़, अब तक उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, वायरलेस माध्यमों से ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है, न ही इन्हें किसी अज्ञात रिमोट प्रोसेस के ज़रिये हैक किया जा सकता है। लेकिन **अगर ईवीएम मशीनें गड़बड़ी करने वालों के हाथ लग जायें तो बाज़ार में उपलब्ध टूलकिट का इस्तेमाल करके चिप को रीप्रोग्राम करके उन्हें हैक किया जा सकता है।**

अब तक सिर्फ़ एक बार मई 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर ईवीएम को आधिकारिक तौर पर खोला गया था और उसकी यांत्रिकी की जाँच की गयी थी। एक उम्मीदवार द्वारा महाराष्ट्र में 2014 विधानसभा चुनाव में बेमेल वोटों के सम्बन्ध में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्रीय फ़ोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, हैदराबाद को अन्य बातों के अलावा, यह जाँच करने के लिए कहा गया था कि क्या सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ की गयी है। **उम्मीदवार के शब्दों में, "यह अजीब था कि जब मशीन वाई प्लस सुरक्षा के तहत सीएफएसएल, हैदराबाद पहुँची तो वहाँ कम से कम 40 लोग उसके आने का इन्तज़ार कर रहे थे, जिनमें इण्टेलिजेंस ब्यूरो, सीआईडी और अन्य खुफ़िया एजेंसियों के साथ-साथ राज्य पुलिस और कई अन्य अफ़सर शामिल थे। उनमें बहुत ज़्यादा व्याकुलता थी।" सीएफएसएल ने क्लीन चिट दे दी, लेकिन यह भी स्वीकार किया कि उनके पास मशीन की जाँच करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता ही नहीं थी!**

ईवीएम से वोटिंग कैसे होती है

वोट डालने के लिए, पीठासीन अधिकारी को सबसे पहले कण्ट्रोल यूनिट पर एक बटन दबाकर बैलेट यूनिट को एक्टिवेट करना होगा। मतदाता बैलेट यूनिट पर एक बटन दबाकर उम्मीदवार का चयन करके वोट डालता है। एक बार बटन दबाने पर, बटन के बगल में एक एलईडी लाइट चमकती है और एक लम्बी बीप होती है जो दर्शाती है कि वोट दर्ज हो गया है। उसी समय वीवीपैट काग़ज़ की एक छोटी पर्ची प्रिण्ट करता है जिसमें मतदाता द्वारा चुने गए उम्मीदवार का प्रतीक, नाम और क्रमांक अंकित होता है। यह स्लिप मशीन पर एक छोटी-सी विण्डो में सात सेकण्ड के लिए दिखायी देती है जिसके बाद यह एक सुरक्षित बॉक्स में चली जाती है।

पहले पर्ची दिखने का समय 15 सेकण्ड था जो अब 7 सेकण्ड रह गया है। विण्डो का शीशा भी सफ़ेद की जगह काला हो गया है। ज़्यादातर मतदाताओं के लिए इतनी जल्दी में यह देख पाना मुश्किल होता है कि उनका वोट सही उम्मीदवार को गया है या नहीं।

वोटिंग के पहले और बाद में क्या होता है?

बीईएल और ईसीआईएल दोनों चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ईवीएम मशीनों की पैकेजिंग और राज्यों को भेजने के लिए ज़िम्मेदार हैं। ईवीएम और वीवीपैट के परिवहन के लिए उचित लॉकिंग व्यवस्था वाले कण्टेनर या सीलबन्द ट्रकों का उपयोग किया जाता है। कण्टेनरों पर पेपर सील लगायी जाती हैं। ईवीएम की सभी गतिविधियों को मशीनों के बाहर और ग्लोबल पोज़ीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) पर आधारित ईवीएम ट्रैकिंग सॉफ़्टवेयर (ईटीएस) का उपयोग करके निर्धारित और मॉनिटर किया जाता है। ईवीएम की प्राप्ति पर, ज़िला निर्वाचन अधिकारियों को ईवीएम की प्राप्ति की प्रक्रिया की वीडियोग्राफ़ी करनी होती है और फिर उन्हें ज़िला मुख्यालय में स्ट्राँग रूम में रखना होता है।

चुनाव आयोग मतदान से 200 दिन पहले राज्यों को ईवीएम आवण्टित करता है। ईवीएम को मतदान से 180 दिन पहले भेजा जाता है और जीपीएस-आधारित ईटीएस सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके ट्रैक किया जाता है। मतदान से तीन से छह महीने पहले ईवीएम की प्रथम-स्तरीय जाँच होती है, जहाँ आन्तरिक भागों की जाँच की जाती है और कण्ट्रोल यूनिट को सील कर दिया जाता है। मतदान से तीन सप्ताह पहले प्रथम चरण के रैण्डमाइज़ेशन सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके ईवीएम को निर्वाचन क्षेत्रों को सौंपा जाता है। दूसरे चरण के रैण्डमाइज़ेशन में, ईवीएम को मतदान से दो सप्ताह पहले मतदान केन्द्रों को सौंपा जाता है। अन्त में, उम्मीदवार के नाम वापस लेने की अन्तिम तिथि के बाद, मतपत्र को बैलेट यूनिट पर लगाया जाता है, उम्मीदवारों के नाम वर्णमाला क्रम में दर्ज किये जाते हैं, एक मॉक पोल आयोजित किया जाता है, और बैलेट यूनिट को सील कर दिया जाता है।

मतदान वाले दिन प्रत्येक मतदान केन्द्र पर कम से कम 50 वोटों का मॉक पोल आयोजित किया जाता है और उम्मीदवारों के मतदान एजेण्टों की उपस्थिति में ईवीएम और वीवीपैट का मिलान किया जाता है। इसके बाद, मतदान के लिए उपयोग किये जाने वाले बटनों के अलावा कण्ट्रोल यूनिट के सभी बटनों को पेपर सील से ढँक दिया जाता है जिन पर मतदान एजेण्टों द्वारा हस्ताक्षर किये जाते हैं। मतदान पूरा हो जाने के बाद, पीठासीन अधिकारी क्लोज़ बटन दबाता है, जिसके बाद कोई वोट नहीं डाला जा सकता है। पूरी ईवीएम यूनिट को सील और हस्ताक्षरित किया जाता है। मतदान एजेण्टों को अपनी मुहर लगाने की अनुमति है। उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों को उस वाहन के पीछे यात्रा करने की अनुमति है जो ईवीएम को मतगणना भण्डारण कक्ष तक ले जाता है। मतगणना भण्डारण कक्षों को केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ़) द्वारा सील और संरक्षित किया जाता है। उम्मीदवारों को स्ट्राँगरूम पर अपनी मुहर लगाने की अनुमति है।

इन्हीं प्रक्रियाओं की चर्चा करके तर्क दिया जाता है कि सुरक्षा के इतने इन्तज़ामों के बाद गड़बड़ की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। लेकिन ज़मीनी सच्चाइयाँ कुछ और ही बताती हैं। कितनी ही जगहों पर ऐन चुनाव के दिन या उससे पहले ईवीएम मशीनें भाजपा के नेताओं या सरकारी अफ़सरों के घरों या गाड़ियों से बरामद की गयी हैं। कई बार मतदान केन्द्र से मतगणना स्थल तक पहुँचने के बीच मशीनें घण्टों तक ग़ायब हो जाने की ख़बरें आयी हैं। इनसे साफ़ है कि अचूक सुरक्षा के तमाम सरकारी दावे बोगस हैं। ज़ाहिर है, इतनी कड़ी व्यवस्था में सेंध लगाने का काम सरकारी

(पेज 20 पर जारी)

ईवीएम पर भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता!

(पेज 19 से आगे)

तंत्र की मिलीभगत के बिना नहीं किया जा सकता है। और भाजपा से बेहतर इसे कौन कर सकता है जिसने फ़ासीवादीकरण और पैसे की ताक़त के बूते सरकारी मशीनरी के हर स्तर पर घुसपैठ कर ली है।

अन्तिम वोट डाले जाने के बाद कम से कम 10 अलग-अलग स्थानों से नयी ईवीएम को स्ट्राँगरूम में ले जाने की वीडियो रिपोर्टें आयीं। चुनाव आयोग ने कहा कि ये आरक्षित ईवीएम थे, लेकिन इसके लिए कोई सबूत नहीं दिया और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया कि इन्हें मतदान के समय के बजाय गिनती से ठीक पहले स्थानान्तरित करने की क्या ज़रूरत थी। जबकि कई मामलों में, मतदान और गिनती के बीच कई हफ्तों का समय होता था। **इस बात का भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि इन वाहनों के साथ कोई सुरक्षा अधिकारी क्यों नहीं थे – जैसा कि चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार आवश्यक है – और ये वाहन अक्सर बिना नम्बर वाले, अनौपचारिक वाहन क्यों थे। इस बात पर सन्देह क्यों न किया जाये कि ये ग़ायब हुई 20 लाख ईवीएम मशीनों का हिस्सा हैं।**

साथ ही हम आगे देखेंगे कि 50 वोट डालने वाले मॉक परीक्षण से कुछ भी साबित नहीं होता क्योंकि ईवीएम का एल्गोरिदम इस प्रकार सेट किया जा सकता है कि पहले 200 या 300 वोटों के बाद हर दूसरा या तीसरा वोट कमल को जाये। इसलिए वोटिंग की पारदर्शिता व निष्पक्षता को जाँचने वाला प्रमुख क़दम ही ईवीएम के मामले में बेकार है। यह ख़ास तौर पर ध्यान देने योग्य बात इसलिए बन जाती है कि ईवीएम की मैन्युफ़ैक्चरिंग की प्रक्रिया में ही भाजपाइयों को घुसा दिया गया है।

पिछले चुनावों में दर्जनों जगहों पर मतदाताओं ने शिकायत की है कि उन्होंने किसी और पार्टी का बटन दबाया लेकिन वोट दूसरी पार्टी को चला गया। इन सभी जगहों पर निरपवाद रूप से यह "दूसरी पार्टी" भाजपा ही थी! इससे भी ज़ाहिर है कि यह किसी तकनीकी चूक नहीं बल्कि जानबूझकर की गयी गड़बड़ी का मामला है।

ईवीएम से मतगणना कितनी सुरक्षित है?

मतगणना के दिन सबसे पहले, ईवीएम सीरियल नम्बर, सील, मतदान के आरम्भ और समाप्ति के समय को चुनाव अधिकारियों और मतदान एजेण्टों द्वारा सत्यापित किया जाता है। जो कण्ट्रोल यूनिट परिणाम प्रदर्शित नहीं करती हैं क्योंकि वे ठीक से बन्द नहीं की गयी थीं, या जिनके रिपोर्ट किये गये वोटों की कुल संख्या पीठासीन अधिकारी द्वारा रिपोर्ट की गयी संख्या से मेल नहीं खाती है, उन्हें जाँच के लिए अलग रखा जाता है। परिणामों की घोषणा के बाद, उम्मीदवार या मतगणना एजेण्ट वीवीपैट गणना के लिए रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं, जिन्हें इस मामले पर निर्णय लेना होता है।

सुनने में यह सुरक्षित तरीक़ा लगता है लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। यहाँ भी ज़मीनी सच्चाइयाँ कुछ और ही कहानी कहती हैं।

2019 के आम चुनाव में 373 सीटों पर डाले गये कुल वोटों और सभी उम्मीदवारों को मिले कुल वोटों की संख्या में अन्तर मिला

मथुरा सीट पर ईवीएम में कुल 10,88,206 वोट पड़े जबकि मतगणना में सभी उम्मीदवारों को मिले वोटों की संख्या थी - 10,98,112, यानी दोनों में 9906 वोटों का भारी अन्तर था। तीन अन्य सीटों पर 18,331, 17,871 और 14,512 वोटों का अन्तर पाया गया।

2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 'द क्विण्ट' वेब पोर्टल के एक पत्रकार ने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दिये आँकड़ों की जाँच की तो कई बेहद चौंकाने वाली बातें सामने आयीं। **373 सीटों पर डाले गये कुल वोटों और सभी उम्मीदवारों को मिले कुल वोटों की संख्या में अन्तर था। मिसाल के लिए, मथुरा सीट पर चुनाव आयोग के डेटा के अनुसार ईवीएम में कुल 10,88,206 वोट पड़े जबकि मतगणना में सभी उम्मीदवारों को मिले वोटों की संख्या थी - 10,98,112, यानी दोनों में 9,906 वोटों का भारी अन्तर था। तीन अन्य सीटों पर 18,331, 17,871 और 14,512 वोटों का अन्तर पाया गया। ये संख्याएँ स्पष्ट रूप से इतनी बड़ी हैं कि अनजाने में गिने गये शेष मॉक पोलिंग डेटा से इसकी व्याख्या करना सम्भव नहीं है।** 'द क्विण्ट' ने जब चुनाव आयोग को इस भयंकर सन्देह पैदा करने वाले मामले की जानकारी दी तो उसने क्या किया? **आप सोचेंगे कि चुनाव आयोग ने फ़ौरन जाँच का आदेश दिया होगा। लेकिन नहीं। चुनाव आयोग ने बस यह किया कि चुनाव आयोग की वेबसाइट से फ़ाइनल डेटा शीट ही डिलीट कर दी!** अब करते रहो जाँच। है न बिल्कुल मोदी सरकार वाली चाल? मोदी के (अ)मृत काल में देश को यही दिन देखना था। जनता बढ़ती बेरोज़गारी के आँकड़े बताकर सवाल उठा रही थी, तो मोदी सरकार ने बेरोज़गारी के आँकड़े जुटाना और प्रकाशित करना ही बन्द कर दिया। न रहेगा बाँस, न बजेगी बाँसुरी!

वीवीपैट की व्यवस्था भी सन्देह के घेरे में है

इस बात के पक्ष में भी अब पर्याप्त तथ्य और तर्क आ चुके हैं कि वीवीपैट की जोड़ी गयी व्यवस्था भी ईवीएम को सन्देहमुक्त नहीं बनाती। स्वयं भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी और कई विपक्षी नेताओं ने बार-बार यह माँग उठायी कि **वीवीपैट से निकली पर्ची मिलान कराने के लिए हर वोटर को भी मिलनी चाहिए और इसे एक दूसरे बॉक्स में डालना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि कोई विसंगति है तो उन्हें अपना वोट रद्द करने का विकल्प दिया जाना चाहिए। इसके बाद सारी वीवीपैट पर्चियों की गिनती करके ईवीएम के नतीजों से मिलान कराया जाना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने इसपर बिल्कुल कान नहीं दिया।** *आख़िर क्यों?*

जाने-माने वकील प्रशान्त भूषण ने कहा है कि ईवीएम या तो हटाया जाये या वीवीपैट का डिज़ाइन बदला जाये क्योंकि वोट डालने के बाद जब लाइट बन्द होती है, उसके बाद उस वीवीपैट मशीन में क्या होता है, कण्ट्रोल यूनिट में क्या सिगनल जाता है, ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि उसमें जो सॉफ़्टवेयर है, उसके बारे में किसी को मालूम नहीं है।

मतदान से पहले उम्मीदवारों के जनप्रतिनिधियों के सामने 'मॉक पोलिंग' करायी जाती है और 50 वोट डलवाकर हर मशीन की भरोसेमन्दी देखी जाती है। लेकिन ईवीएम मशीनों का अल्गोरिदम इस तरह सेट किया जा सकता है कि 500 या 1000 वोट पड़ चुकने के बाद हर दूसरा या तीसरा वोट कमल या निर्धारित चुनाव चिह्न को ही जाये, बटन चाहे जो भी दबाया जाये। अगर ईवीएम बनाने की प्रक्रिया में ही भाजपाइयों को घुसा दिया गया हो, तो सोचिये, भला यह क्यों नहीं सम्भव है? **ज़ाहिर है कि हर सीट पर और बहुत बड़े पैमाने पर यह काम करने की मूर्खता नहीं की जायेगी और इस तिकड़म का सिर्फ़ वहीं इस्तेमाल किया जाये जहाँ काँटे की टक्कर हो और हार-जीत का अन्तर कम रहा करता हो। इसलिए भाजपाइयों का यह तर्क बकवास है कि अगर ईवीएम घोटाला सच है तो भाजपा हरेक चुनाव क्यों नहीं जीत जाती! मँजा हुआ तशेड़ी भी हर चाल में हाथ की सफ़ाई दिखलायेगा तो पकड़ा जायेगा।**

सीधी-सी बात यह है कि सत्तारूढ़ पार्टी या गठबन्धन लोगों के बीच ईवीएम की विश्वसनीयता बनाये रखने के लिए कुछ विधानसभा चुनावों में ईवीएम-धोखाधड़ी का इस्तेमाल नहीं करता है और उनमें से कुछ हार भी सकता है (ऐसे राज्यों में भी भाजपा अक्सर चुनावों के बाद धनबल और ईडी छापेमारी आदि की धमकियों से विधायक तोड़कर, सरकारें गिराकर अपनी सरकारें बना लेती है)। दूसरे, कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाजपा जितने वोटों की गड़बड़ी करे, जनता के भारी असन्तोष की वजह से उसके ख़िलाफ़ पड़ने वाले वोटों की तादाद उससे कहीं ज़्यादा हो जाये और भाजपा के कैल्कुलेशन गड़बड़ा जायें। **साफ़ है कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर उठे सवाल अपनी जगह पर जस के तस बने रहते हैं।**

हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ईवीएम चुनाव में धाँधली करने के भाजपा के तमाम तरीक़ों में से सबसे बड़ा हथकण्डा है लेकिन यह उसका एकमात्र हथकण्डा नहीं है। इसका एक हथकण्डा यह भी है कि चुनिन्दा ढंग से अपने विरोधी वोटरों वाले इलाक़ों में से उन समुदायों के लोगों के नाम मतदाता सूची से गायब कर दिये जायें जिनके वोट ना पाने की उसे आशंका होती है। **कुछ विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि पिछले सालों के दौरान देशभर में लगभग 40 लाख मुस्लिम और क़रीब 7 लाख दलित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर कर दिये गये।**

प्रतिष्ठित अशोका युनिवर्सिटी के एक प्रोफ़ेसर ने अपने एक रिसर्च पेपर में आँकड़ों के साथ दिखाया कि 2019 के आम चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा ने कुछ सीटों पर परिणामों में हेरफेर किया था। इस हेरफेर के परिणामस्वरूप पार्टी ने क़रीबी मुकाबले वाले निर्वाचन क्षेत्रों में अनुमान से कहीं ज़्यादा सीटें जीत लीं। अर्थशास्त्र के सहायक प्रोफेसर सब्यसाची दास के लिखे इस पेपर के प्रकाशन से भाजपा को लगा कि उसे चोरी करते रँगे हाथों पकड़ लिया गया है और उसके तमाम नेता और आईटी सेल की पूरी ताक़त उसके पीछे पड़ गयी।

इस पेपर ने अनेक विशेषज्ञों की इस बात को सही साबित किया कि बहुत कम संख्या में दोषपूर्ण ईवीएम मशीनों के साथ, कुछ हज़ार वोटों को स्विंग कराना, एक लोकसभा सीट पर परिणाम में बदलाव कराने के लिए पर्याप्त है। ध्यान दें कि यदि विजेता और दूसरे नम्बर के उम्मीदवार के बीच अन्तर कम है, तो कम ईवीएम में हेराफेरी करने की आवश्यकता होगी और इसका पता लगाने के लिए, अधिक जाँच की आवश्यकता होगी।

व्यवहार में, काफ़ी कम ईवीएम में छेड़छाड़ करके भी चुनाव परिणाम बदले जा सकते हैं, और यह मानना ग़लत है कि दोषपूर्ण (या हैक की गयी) ईवीएम पूरी आबादी में समान रूप से वितरित की जाती हैं। इनका इस्तेमाल प्रशासनिक मशीनरी में घुसपैठ के बूते बहुत कुशलता के साथ ख़ास जगहों पर किया जाता है। किसी को किसी और बात की उम्मीद थी, तो यह उसकी नादानी है। ज़ाहिरा तौर पर, आपराधिक फ़ासिस्टों का गिरोह इस तरह की हेर-फेर का इसी चालाकी से इस्तेमाल कर सकता है।

(पेज 23 पर जारी)

अगर आम लोगों में ईवीएम पर भरोसा ख़त्म हो चुका है तो सरकार इस पर क्यों अड़ी हुई है?

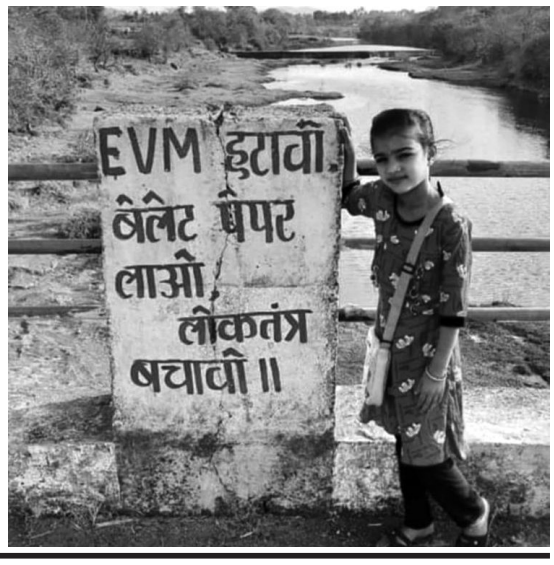

ऐतिहासिक अन्याय, विश्वासघात और षड्यंत्र के ख़िलाफ़ जारी है फ़िलिस्तीनी जनता का संघर्ष!

एक दिन नदी से समुद्र तक, आज़ाद होगा फ़िलिस्तीन!!

● लता

दरिन्दे नेतन्याहू की ख़ूनी सेना के ख़िलाफ़ गाज़ा और फ़िलिस्तीन की जनता पूरी बहादुरी से संघर्ष कर रही है। चारों तरफ़ फैले युद्ध, तबाही, बर्बादी और बम से उठते धूल-धुएँ और राख के बीच गाज़ा के जाँबाज़ बच्चे मुस्कुराते हुए दिख जाते हैं। अपने बचे खिलौनों और बॉल के साथ मलबे और तम्बुओं के बीच दौड़ते-भागते दिख जायेंगे ये बच्चे। इन्हीं जाँबाज़ बच्चों में से पैदा हुए लड़ाकू आज गाज़ा की आज़ादी के लिए जान क़ुर्बान कर रहे हैं। वे लड़ रहे हैं आत्मसम्मान के लिए, लड़ रहे हैं गरिमा का जीवन जीने के लिए, लड़ रहे हैं ऐतिहासिक अन्याय, फ़रेब, धोखेबाज़ी और विश्वासघात के ख़िलाफ़।

7 अक्टूबर 2023 को इन योद्धाओं ने गाज़ा की अपमानजनक, घुटनभरी इज़रायली घेरेबन्दी के ख़िलाफ एक ज़बर्दस्त प्रतिरोध किया जिसके जवाब में इज़रायल की सेटलर उपनिवेशवादी, नस्लवादी सत्ता ने फ़िलिस्तीनी जनता के ख़िलाफ़ एक बर्बर हमलावर युद्ध की शुरुआत की। यह लेख लिखे जाने तक इस संघर्ष के 162 दिन हो चुके हैं। झूठे नेतायाहू के तमाम दावों के पलट फ़िलिस्तीनी योद्धा डटकर लड़ रहे हैं, युद्ध में इज़रायली सेना को धूल चटा रहे हैं। इज़रायल अपने मारे गये सैनिकों के बारे में लगातार झूठ बोल रहा है। सच्चाई यह है कि इज़रायल की बतायी जा रही संख्या से 4 या 5 गुना ज़्यादा इज़रायली सैनिक मारे जा चुके हैं। इज़रायल के दर्जनों टैंक, बख्तरबन्द वाहनों को गाज़ा के योद्धाओं ने ज़मींदोज़ कर दिया है। इज़रायल अपनी इस हार से बौखला कर गाज़ा की जनता का कत्लेआम कर रहा है। सिर्फ़ इसलिए कि वह गाज़ा के योद्धाओं से टकरा ही नहीं सकता। इज़रायल की सेना को दुनिया की सबसे डरपोक और कायर सेना के रूप में सारी दुनिया पहचान रही है। गाज़ा की जनता भी सालों की घेरेबन्दी को समाप्त करने के लिए कमर कसे है।

यह युद्ध है, लेकिन एकतरफ़ा क्योंकि उपनिवेशवादी सेटलर इज़रायल की तरफ़ से यह नरसंहार है। यह नरसंहार है क्योंकि हमास को ख़त्म करने के नाम पर इज़रायली सेना आम जनता को निशाना बना रही है। इज़रायल स्कूलों, अस्पतालों यहाँ तक संयुक्त राष्ट्र केंद्रों पर हमले कर रहा है। इन जगहों पर हमले कर वह कहता है वह छुपे हमास के नेता को निशाना बना रहा है। लेकिन ऐसे हमलों के बाद आज तक किसी भी हमास के नेता को इज़रायल दिखा नहीं सका है। लेकिन इस नाम पर हज़ारों मासूम बच्चों की यह हत्या अब तक वह कर चुका है। हमास को जड़-मूल से समाप्त करने का प्रण लिए नेतन्याहू सरकार हमास को ख़त्म तो नहीं कर पा रही है लेकिन झल्लाहट में जनता में ख़ौफ़ पैदा करने के लिए अपनी पूरी सामरिक शक्ति गाज़ा के मासूम बच्चों, औरतों और बुज़ुर्गों के ख़िलाफ़ झोंक रही है। दुनिया भर के हुक्मरानों विशेषकर पश्चिमी देश और अमेरिका के हुक्मरानों के हाथ फ़िलिस्तीनी बच्चों, महिलाओं, बीमार-लाचार बुज़ुर्गों के ख़ून से रंगें हैं। ये हुक्मरान हत्यारे नेतन्याहू को धन, ख़ुफ़िया तंत्र, हथियार और यहाँ तक सेना से मदद कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं देशों और दुनिया भर की जनता फ़िलिस्तीनी संघर्ष और गाज़ा पर हो रहे वहशी हमले के ख़िलाफ़ सड़कों पर लाखों की संख्या में उतर कर इन हुक्मरानों की नींद ज़रूर हराम कर रही है।

हमारे देश में फिलिस्तीन के मसले को लेकर आम मेहनतकश लोगों में बहुत कम जानकारी है। लेकिन मौजूदा अभूतपूर्व नरसंहार ने सभी की आत्मा को झकझोरा है और भारतीय जनता का एक हिस्सा भी इस बात को समझ रहा है कि इज़रायल कोई देश, कोई राष्ट्र नहीं है, बल्कि पश्चिमी साम्राज्यवाद द्वारा फिलिस्तीनी जनता की जगह-ज़मीन छीनकर खड़ा किया गया एक सेटलर उपनिवेश है, जिसमें यूरोप, अमेरिका आदि से आपराधिक प्रवृत्ति के ज़ायनवादी नस्लवादी यहूदियों को बसाया गया है। स्वयं मध्य-पूर्व के यहूदियों के प्रति वे नस्लवादी हैं और पश्चिमी दुनिया के भी जनवादी, प्रगतिशील और सेक्युलर यहूदी इज़रायल में बसने की सोच के धुर विरोधी हैं और इज़रायल को नात्सी जर्मनी और हिटलर जितना ही नरसंहारक मानते हैं। हमारे देश में लोग ज़ायनवादी इज़रायल के साथ गलबँहियाँ करने वाली फ़ासीवादी मोदी सरकार के झूठ-फ़रेब से निकलकर इस सच्चाई को धीरे-धीरे समझ रहे हैं।

गाज़ा और वेस्ट बैंक की वर्तमान स्थिति (15 मार्च 2024)

कायर इज़रायली सेना बेगुनाह नागरिकों और बच्चों को निशाना बना रही है जो संयुक्त राष्ट्र के एक मात्र बचे मानवीय सहायता केंद्र पर भोजन और पानी के लिए एकत्र हो रहे हैं। युद्ध की वजह से गाज़ा के बाज़ार बन्द हैं, किसी भी तरह की मदद, राशन, दवाइयाँ, टेंट आदि पहुँचने के सारे रास्तों पर इज़रायल सख़्त घेरेबन्दी बनाये हुए है। लोग भूख-प्यास से परेशान हैं। मानवीय सहायता की क़तार में लगे लोगों पर हुए बुज़दिल इज़रायली हमलों में अभी तक लगभग 400 लोगों की जान जा चुकी है। हमलों के दौरान मौजूद लोगों का कहना है कि रक्तपिपासु इज़रायली सेना मानवीय सहायता की क़तार में लगे लोगों पर हेलीकॉप्टर, टैंक, ड्रोन आदि से हमले करती है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार युद्ध के छठे महीने में गाज़ा की आधी आबादी से अधिक, लगभग 576,000 लोग भुखमरी के शिकार हैं।

इस लेख के लिखे जाने तक 31,341 होगों की हत्या ज़ायनवादी फ़ासीवादी नेतन्याहू की सेना कर चुकी थी जिसमें 12,300 बच्चे, 8,400 औरतें शामिल है। घायलों की संख्या 73,134 है जिसमें 8,663 बच्चे, 6,327 औरतें हैं। 8000 से अधिक लोग लापता हैं जिसमें अधिकतर की मौत मलबों के नीचे दब कर होने की संभावना जताई जा रही है। लगातार इज़रायली बमबारी जारी रहने की वजह से मलबों के नीचे दबी लाशों को निकाल पाना असंभव है। वहीं वेस्ट बैंक में भी इज़रायल ने हमले बढ़ा दिये हैं। वहाँ अब तक 433 लोगों की हत्या हुई है जिसमें 116 बच्चे हैं और घायलों की संख्या 4,650 है।

युद्ध शुरू होने के बाद इज़रायली सेना ने गाज़ा की जनता को धकेलते-धकेलते पहले ख़ान यूनुस और अब रफ़ा शहर में क़ैद कर दिया है। लेकिन उत्तरी गाज़ा में फिलिस्तीन के मुक्तियोद्धा अभी भी इज़रायली सेना को लगातार धूल चटा रहे हैं। युद्ध के पहले रफ़ा की आबादी तीन लाख थी लेकिन अभी यहाँ 14 लाख लोग रह रहे हैं। ये लोग सड़कों पर टेंट या खुले में रहने को मजबूर हैं। आधी आबादी एक समय भोजन कर रही है और कइयों को वह भी नहीं मिल रहा। युद्ध के अलावा गाज़ा में भुखमरी मौत का मुख्य कारण बनती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार गाज़ा अकाल की कगार पर खड़ा है।

इज़रायल गाज़ा में भुखमरी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। चित्र में भोजन के लिए कतार लगाये हुए गाज़ा के लोग। ऐसे ही लोगों की एक भीड़ पर इज़रायल ने हमला करके 100 से ज़्यादा लोगों को मार डाला।

अब इज़रायल ने रफ़ा में भी ज़मीनी हमले का ऐलान कर दिया है। नस्लवादी इज़रायली राज्य गाज़ा की जनता को समाप्त करना चाहता है इसलिए मासूम बच्चों और औरतों को सीधा निशाना बनाने के अलावा गाज़ा में भोजन-पानी के लिए परेशान लोगों के साथ चूहे-बिल्ली का खेल खेल रहा है। नित नये-नये "सुरक्षित-ज़ोन" का ऐलान करता है। पर्चों में इन "ज़ोन" का नाम घोषित कर बँटवाता है और फिर ऑनलाइन "ज़ोन" बदल देता है। गाज़ा में न बिजली सही ढंग से आ रही है और न इंटरनेट ऐसे में कब कोई क्षेत्र असुरक्षित हो जाता है लोगों को पता नहीं चलता। कोई भी स्पष्ट सूचना नहीं होती। लेकिन इज़रायली सेना को सब पता होता है। अधिक से अधिक लोगों को निशाना बनाने के लिए मक्कार इज़रायली सेना जानबूझ कर सुरक्षा क्षेत्र बदल देती है। इसतरह का घृणित कुकृत्य उसके घोर मानवद्रोही और परपीड़क चरित्र को दर्शाता है।

फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण (पीएलओ) का विश्वासघात

जिस तरह विश्व के सामने अमेरिका, ब्रिटेन, फ़्रांस और जर्मनी के हुक्मरानों के मानवद्रोही और रक्तपिपासु चेहरे सामने आ रहे हैं उसी तरह पैलिस्टीनिअन अथॉरिटी फ़िलिस्तीनी (पीएलओ) जनता के सामने हर रोज़ और बेनक़ाब होती जा रही है। किस प्रकार वह न केवल वेस्ट बैंक में प्रतिरोध का दमन करने में इज़रायल की मदद कर रही है बल्कि गाज़ा में भी हमास के ख़िलाफ़ कार्रवाई में लिप्त है, इसे फिलिस्तीनी जनता नफ़रत के साथ देख और समझ रही है। समाचार चैनल अल जज़ीरा के अनुसार पीएलओ के खुफ़िया तंत्र प्रमुख माजीद फ़राज़ ने एक साक्षात्कार में खुले तौर पर इज़रायल के साथ मिल कर काम करने की बात कही है। फ़राज़ ने कहा कि उसके नेतृत्व वाले सुरक्षा तंत्र ने इज़रायल के ख़िलाफ़ होने वाले कम से कम 200 हिंसक हमलों को रोका है और इन हमलों को करने वाले 100 से अधिक फ़िलिस्तीनियों को गिरफ़्तार किया है। शायद महमूद अब्बास के बाद अगले राष्ट्रपति बनने की चाहत में फ़राज़ द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इज़रायल समर्थक देशों को खुश करने के मक़सद से कही गई है। लेकिन यह बात पीएलओ के इज़रायल समर्थक घृणित चरित्र को बेनक़ाब करती है। विज्ञान बताता है कोई भी चीज़ अपनी जगह रुकती नहीं है ओसलो एकॉर्ड के समझौते से शुरू हुआ विश्वासघात पीएलओ को पतन के गर्त में गहरे डुबोता जा रहा है और आज वह पूरी तरह इज़रायल की गोद में जा बैठा है। वेस्ट बैंक में भी हमास के तेज़ी से बढ़ते प्रभाव की वजह पीएलओ की बढ़ती ग़द्दारी है। साफ़ दिख रहा है कि 1980 तक सेक्युलर और प्रगतिशील पीएलओ अपनी ग़द्दारी की वजह से हमास के लिए जगह बना रहा है। वेस्ट बैंक में भी गाज़ा के समर्थन में हो रहे प्रतिरोध प्रदर्शनों में नौजवान हमास के झण्डे ले कर सड़कों पर उतर रहे हैं। ज़ाहिर है, मुक्ति के लिए तड़प रही जनता हमेशा उस ताक़त के साथ खड़ी होगी जो गुलाम बनाने वाली औपनिवेशिक

(पेज 22 पर जारी)

ऐतिहासिक अन्याय, विश्वासघात और षड्यंत्र के ख़िलाफ़ जारी है फ़िलिस्तीनी जनता का संघर्ष!

(पेज 21 से आगे)

ताक़त के ख़िलाफ़ हथियारबन्द तरीके से और समझौताविहीन तरीके से लड़ने को तैयार हो।

इज़रायल और हमास के बीच युद्ध विराम वार्ता

इज़रायल के ख़िलाफ़ प्रतिरोध युद्ध लड़ने वाले हिज़बुल्ला, हूती व अन्य ताकतों ने स्पष्ट कर दिया है कि गाज़ा में युद्ध विराम जब तक नहीं हो जाता उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उनकी तरफ़ से भी समझौता हमास ही करेगा। वहीं क़तर, मिस्र और अमेरिका युद्ध विराम वार्ता का प्रयास कर रहे हैं। अरब विश्व की जनता अपने हुक्मरानों पर गाज़ा के पक्ष में खड़े होने का सशक्त दवाब बना रही है। वहीं अमेरिका में हो रहे विशाल विरोध प्रदर्शन बाइडेन के दुबारा राष्ट्रपति चुने जाने की उम्मीद के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहे हैं। अपनी-अपनी मजबूरियों को देखते हुए इन्हें इज़रायल पर युद्ध विराम वार्ता के लिए दबाव बनाना पड़ रहा है। अमेरिका के युद्ध विराम वार्ता प्रयासों पर हम आगे लिखेंगे पहले इस वार्ता पर चर्चा कर लेते हैं। इज़रायल इस बात को समझता है कि उसका अस्तित्व मध्य-पूर्व के देशों में पश्चिमी साम्राज्यवाद के लिए ज़रूरी है। इसलिए इस समय वह अमेरिका साम्राज्यवादियों और यूरोपीय साम्राज्यवादियों की भी पूरी तरह से नहीं सुन रहा है। वह जानता है कि ये पश्चिमी साम्राज्यवादी इज़रायल को हथियारों की सप्लाई जारी रखेंगे क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प फिलहाल नहीं है। लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है। यदि पश्चिमी सामा्रज्यवाद को इज़रायल से होने वाले फ़ायदे की तुलना में इज़रायली ज़ायनवाद ज़्यादा नुकसान पहुँचाता दिखेगा, तो यह समर्थन कम भी होता जा सकता है।

फिलहाल, अमेरिका की मजबूरी और क़तर-मिस्र की सत्ताओं के उनके अपने कारणों से अमेरिकी साम्राज्यवाद का पिछलग्गू होने की सच्चाई को भाँपते हुए अभी इज़रायल अपनी शर्तों पर अड़ गया है। उसे लग रहा है कि अभी इन देशों के माध्यम से वह हमास पर इज़रायल की शर्तों को मनाने के लिए दबाव बना सकता है। इज़रायल शर्त रख रहा है कि वह छः सप्ताह तक युद्ध को विराम देगा बदले में हमास सारे इज़रायली बंधकों को रिहा करे। हमास इस शर्त से साफ़ इंकार कर रहा है। हमास का कहना है कि एक बार बंधकों के रिहा होने के बाद इज़रायल अपना हमला जारी कर देगा। नेतन्याहू के वर्तमान रवैये को देखते हुए इसी की सम्भावना है।

15 मार्च तक की हालिया जानकारी के अनुसार क़ाहिरा में हो रही वार्ता का हिस्सा इज़रायल नहीं बना लेकिन क़तर व मिस्र उसके संपर्क में हैं। हमास के अधिकारी वार्ता में शामिल हैं और उनका कहना है कि इज़रायल वार्ता में शामिल हो या नहीं उन्हें फ़र्क़ नहीं पड़ता वे अपनी अवस्थिति स्पष्ट करने आये हैं। हमास के नेता इस्माइल हानिये ने पहले भी शर्त रखी है कि हमास की माँग है स्थाई तौर पर पूर्ण युद्ध विराम और इज़रायली बंधकों के बदले जेल में क़ैद फ़िलिस्तीनियों को रिहा करे। उनकी यह भी शर्त है कि इज़रायल पूरे गाज़ा पट्टी से अपनी सेना वापस बुला ले ताकि उत्तर गाज़ा के सभी लोग घर वापस लौट सकें।

अभी इस समझौता वार्ता में कोई ठोस निर्णय होता नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन यह निश्चित है कि अमेरिका इज़रायल पर वार्ता के लिए दबाव बनाएगा।

गाज़ा नरसंहार और जो बाइडेन का चुनाव प्रचार

इज़रायल को पालने-पोसने का काम अमेरिका करता है। मध्य-पूर्व में अपनी भूराजनीतिक फ़ायदों को देखते हुए ब्रिटेन के नेतृत्व में पश्चिमी साम्राज्यवाद ने इज़रायल को अपने सैन्य चेक-पोस्ट की तरह विकसित किया है और द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के दौर में पश्चिमी साम्राज्यवाद का मुखिया बनने के बाद मुख्य तौर पर अमेरिका अपने साम्राज्यवादी मंसूबों के लिए उसका इस्तेमाल करता रहा है। आज यह अमेरिका का बिगड़ैल बच्चा तबाही मचा रहा है। अमेरिका और यूरोपीय देश इसके नख़रे उठाते हैं।

सात अक्टूबर गाज़ा में युद्ध की शुरुआत के बाद विश्व के कोने-कोने में फ़िलिस्तीन में हो रहे नरसंहार के ख़िलाफ़ हज़ारों-लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं। अमेरिका के अलग अलग शहरों में बड़े-बड़े विरोध प्रदर्शन आयोजित किये जा रहे हैं। अमेरिका की जनता जानती है कि हर साल 3.8 अरब डॉलर इज़रायल को सैन्य सहायता के तौर पर मिलता है और इस वर्ष बाइडेन सरकार ने 14.1 अरब डॉलर का अतिरिक्त सहयोग इज़रायल को देना तय किया है। स्पष्ट तौर पर गाज़ा में मर रहे मासूम बच्चों और असहाय नागरिकों के खून से अमेरिकी सरकार के हाथ रंगे हैं। नवम्बर महीने में हज़ारों-हज़ार की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने बाइडेन सरकार के विरोध में अमेरिका के "वाल स्ट्रीट" में नारे लगायें। एक नारा जो सबसे अधिक लगा है,"अमेरिका पैसे देता है, इज़रायल बम गिरता है, बताओ आज कितने

दुनियाभर में लाखों लोग हर रोज़ फ़िलिस्तीन के समर्थन और इज़रायल द्वारा जारी जनसंहार के विरोध में सड़कों पर उतर रहे हैं।

बच्चों की हत्या की तुमने"। आम जनता की शक्ति का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बाइडेन सरकार मजबूर है कि वह दिखाये कि वह गाज़ा के लिए भी कुछ कर रही है।

बाइडेन सरकार के ऊपर अमेरिकी सैनिक, आरोन बशनेल द्वारा 25 फ़रवरी को इज़रायली दूतावास के सामने फ़िलिस्तीन के समर्थन में आत्मदाह करने की वजह से दबाव और बढ़ गया है। बशनेल के आत्मदाह ने युद्ध का एक और पहलू उजागर किया है। बाइडेन सरकार अभी तक दावा कर रही थी कि अमेरिकी सैनिक गाज़ा युद्ध में शामिल नहीं है। लेकिन बशनेल के संदेश से साफ़ ज़ाहिर हो रहा है कि अमेरिकी सैनिक गाज़ा युद्ध में शामिल है। इससे बाइडेन सरकार अमेरिकी जनता के सामने और नंगी हो गई है। मतलब सिर्फ़ पैसों और हथियार नहीं बल्कि अमेरिकी सेना भी गाज़ा के मासूमों की हत्या में शामिल है।

इन आरोपों के बीच बाइडेन सरकार चुनावों के पहले अपनी छवि सुधारने के प्रयास में लगी है। युद्ध विराम वार्ता में शामिल होने के लिए इज़रायल पर दबाव बना रही है। साथ में गाज़ा में राहत समान पहुँचाने के लिए गाज़ा के तट पर गोदी बनाने की घोषणा भी की है। इसके लिए सामग्री ले कर अमेरिकी समुद्री जहाज़ निकल चुके हैं। लेकिन कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह गाज़ा में सैनिक उतारने और हथियार भेजने के मक़सद से बनायी गई योजना है।

राहत सामग्री के लिए बन्दरगाह बनाने की क्या ज़रूरत है? इसे बनाने में 60 दिन लगेंगे लेकिन गाज़ा में अकाल की स्थिति देखते हुए राहत सामग्री के लिए यह बहुत देर हो चुकी होगी। वहीं यदि राहत सामग्री पहुँचाना ही अमेरिका की मंशा है तो यह काम तो सड़क माध्यम से भी हो सकता है। जॉर्डन और मिस्र के बॉर्डर जिसे इज़रायल ने बन्द किया हुआ है उसे खोल कर राहत सामग्री आसानी से गाज़ा में पहुँचाई जा सकती है। अभी राहत सामग्री से भरे सैकड़ों ट्रक इन सीमा चेक पोस्ट पर खड़े हैं जिन्हें इज़रायल ने आने से रोका हुआ है। अगर सही में बाइडेन सरकार चाहती है राहत पहुँचाना तो ज़्यादा आसान है सड़क का रास्ता।

कह सकते हैं शायद यह योजना लाल सागर में हूती लड़ाकुओं को झाँसा देने के लिए हो कि अमेरिकी जहाज़ इज़रायल के लिए हथियार नहीं बल्कि गाज़ा के लिए राहत सामग्री ले जा रहे हैं, या हो सकता है कि यह महज़ अमेरिकी जनता के ग़ुस्से को शान्त करने के लिए एक फ़ैन्स योजना का ऐलान है। जो भी हो अगर राहत की तत्काल ज़रूरत है और उसे तत्काल पहुँचाने का आसान तरीक़ा और रास्ता भी मौजूद है तो पहले बन्दरगाह 60 दिनों में बनाना और फिर राहत पहुँचना किसी भी तरह से गाज़ा की जनता के पक्ष में लिया गया निर्णय नहीं लग रहा है।

हिज़बुल्ला, हूती व अन्य समूहों का इज़रायल के ख़िलाफ़ संघर्ष

गाज़ा में चल रहे इज़रायली नरसंहार ने विश्व की आम जनता के बीच फ़िलिस्तीन के प्रति एकजुटता और समर्थन को बढ़ाया है और साथ ही अरब विश्व की एकजुटता को बेहद ऊँचे स्तर तक पहुँचा दिया है। सऊदी अरब, क़तर, बहरेन और अरब लीग के देशों की जनता जम कर सड़कों पर है। जनता के दबाव में ही क़तर और मिस्र लगातार युद्ध विराम के प्रयासों में मध्यस्तता कर रहे हैं। वहीं हिज़बुल्ला और हूती जैसी अन्य इस्लामिक कट्टरपंथी लेकिन जनता में समायी हुई शक्तियाँ गाज़ा की जनता के समर्थन में और इज़रायल के ख़िलाफ़ जम कर लड़ रही हैं। कह सकते हैं कि ये शक्तियाँ जनता में समायी हुई हैं, तो उसका मुख्य कारण विचारधारात्मक नहीं है, यानी समूची जनता का इस्लामिक कट्टरपंथी होना नहीं है, बल्कि पश्चिमी साम्राज्यवाद के विरुद्ध अरब जनता की अथाह नफ़रत है। ऐसे में, जो भी उन्हें पश्चिमी साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ता दिखता है, वह उसके साथ खड़ी होती है। बहरहाल, हमास, हिज़बुल्ला व हूतियों की 'प्रतिरोध की धुरी' इज़रायली सेना के होश उड़ाये हुए है। हम पहले भी अपने लेखों में लिखते रहे हैं कि आज अरब विश्व में प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष और क्रान्तिकारी शक्तियों के बिखरे और कमज़ोर होने की स्थिति में जनता के सामने विकल्पहीनता की स्थिति है। लेकिन चाहे हिज़्बुल्लाह या हमास उनका चरित्र वही नहीं रह गया है जो इनकी स्थापना के दौरान अमेरिकी नियंत्रण में था। ये जनता के संघर्ष और जनता की महत्वाकांक्षाओं के साथ खड़े रहते हुए समय के साथ सीमित अर्थों में अपने को बदल भी रही हैं। आज इनके नेतृत्व में अरब देशों की जनता इज़रायल के ख़िलाफ़ लड़ रही है।

हिज़बुल्ला ने 2006 में इज़रायल को करारी शिकस्त दी थी। गाज़ा पर हमले के प्रतिरोध में हिज़बुल्ला इज़रायल पर हमले जारी रखे है। हिज़बुल्लाह स्रोतों के अनुसार गाज़ा युद्ध के शुरुआती 120 दिनों में हिज़बुल्लाह ने लगातार सैन्य कार्रवाही जारी रखी है और गाज़ा में बढ़ते जनसंहार देखते हुए आने वाले दिनों में हमले की तीव्रता बढ़ाने की बात भी कर रहा है। जैसा कि हमने ऊपर बताया, इज़रायल अपने घायल या मृत सैनिकों की पूरी जानकारी नहीं दे रहा है। इस तरह ही हमास के हाथों गाज़ा में घायल या मृत इज़रायली

(पेज 23 पर जारी)

‘ईवीएम हटाओ अभियान’ का हिस्सा बनो!

(पेज 20 से आगे)

ईवीएम के विरुद्ध व्यापक जनान्दोलन खड़ा करना क्यों ज़रूरी है?

साथियो, बेरोज़गारी, महँगाई, शिक्षा, चिकित्सा, आवास आदि बुनियादी सवालों पर मोदी सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हो चुकी है। इसी वजह से वह नये सिरे से साम्प्रदायिक आधार पर आम आबादी को बाँटने का काम कर रही है। लेकिन इसके बावजूद वह आने वाले चुनावों में जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है। साम्प्रदायिक फ़ासिस्ट भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरुद्ध देश के तेरह राज्यों में तीन महीने तक चलने वाली ***भगतसिंह जन अधिकार यात्रा*** के दौरान हम सभी ने शिद्दत के साथ यह बात महसूस की कि मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियाँ देश को विनाश के ज्वालामुखी की ओर धकेलती जा रही हैं। उसकी नीतियों के ख़िलाफ़ नब्बे प्रतिशत मेहनतकश जनता और बहुसंख्यक आम मध्यवर्गीय आबादी के बीच पूरे देश में सुलगती हुई आग एक विस्फोटक शक्ल अख़्तियार करने की ओर आगे बढ़ रही है। हाल में कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों ने चुनावों में ईवीएम द्वारा धाँधली के उस व्यापक सन्देह को और अधिक गहरा बना दिया है जो विशेषकर 2019के आम चुनावों के बाद से ही गोदी मीडिया और विराट भाजपाई प्रचारतंत्र की हरचन्द कोशिशों के बावजूद देशव्यापी चर्चा का एक विषय बन चुका था। **आज इस बात के स्पष्ट तथ्य और तर्क मौजूद हैं कि क्यों ईवीएम से होने वाले चुनाव कतई भरोसे के क़ाबिल नहीं हैं।**

आज ईवीएम के ज़रिये आम नागरिकों के सबसे बुनियादी जनवादी अधिकारों में से एक पर, यानी एक पारदर्शी चुनाव में वोट डालकर अपने प्रतिनिधि को चुनने के जनवादी अधिकार पर, एक अन्धेरगर्दी भरी डाकेज़नी की जा रही है। इसलिए ईवीएम के विरुद्ध संगठित जनसंघर्ष की अविराम मुहिम चलाना हमारी बेहद ज़रूरी फ़ौरी ज़िम्मेदारी है। यह हर उस ज़िम्मेदार नागरिक की ज़िम्मेदारी है जो हमारे रहे-सहे, अतिसीमित जनवादी अधिकारों की हिफ़ाज़त को लेकर चिन्तित है। **यह मुहिम तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक ईवीएम को हटाया नहीं जाता।**

बैलेट पेपर की प्रक्रिया में अधिक समय और अधिक धन लगाने का सरकारी और भाजपाई तर्क निहायत बेमानी है। किसी सरकार के चुनाव में पारदर्शिता और जनता का विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। **इस देश में अकेले नेताओं की ऐयाशी और सुरक्षा पर तथा विशाल नौकरशाही पर जितना बेहिसाब धन ख़र्च होता है, वहाँ चुनाव जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर कुछ अधिक धन और कुछ अधिक समय ख़र्च हो जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।**

वैसे तो ईवीएम से होने वाले चुनाव में भी कई बार नतीजे घोषित होने में काफ़ी देर होती है क्योंकि भाजपा अपने मनचाहे उम्मीदवार को जिताने के लिए नतीजे रोककर रखती है। जो सरकार सिर्फ़ मोदी के पागलपन में और उसकी चहेती कम्पनियों को अरबों-खरबों के ठेके दिलवाने के लिए सेण्ट्रल विस्टा जैसे निरर्थक प्रोजेक्ट पर हज़ारों करोड़ फूँक सकती है, उसे तो ईवीएम के ज़रिये पैसे बचाने की बात करने का वैसे भी कोई हक़ ही नहीं बनता!

आगामी चुनावों के नतीजे चाहे जो भी हों, इससे ईवीएम की विश्वसनीयता नहीं सिद्ध होती। सत्ता में चाहे फ़ासिस्टों का गठबन्धन आये या अन्य पूँजीवादी चुनावी पार्टियों का, जबतक ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर की व्यवस्था बहाल न की जाये तबतक चुनावों की पारदर्शिता पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जनता को ईवीएम हटाने के लिए संघर्ष चलाना होगा और इसे मज़बूत एवं व्यापक बनाते जाना होगा। अगर हम ऐसा करने से चूकते हैं तो यह एक बड़ी राजनीतिक भूल होगी। अगर नंगी धाँधलीभरे चुनावी नतीजों के बाद देशव्यापी उग्र जनउभार की सम्भावना से घबराकर भाजपा **इसबार** ईवीएम की धाँधलेबाज़ी न करके दूसरे हथकण्डों का इस्तेमाल करे और यहाँ तक कि किसी आपवादिक स्थिति में अपनी हार भी स्वीकार करने को बाध्य हो जाये, तो भी ईवीएम का इस्तेमाल सन्देह से परे नहीं माना जाना चाहिए। किसी सत्तारूढ़ दल को इसका इस्तेमाल करने का मौक़ा नहीं मिलना चाहिए। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि साम्प्रदायिक फ़ासिस्ट भाजपा अगर चुनाव हारती है, तो भी तृणमूल स्तर पर संघ की मशीनरी अपने जनविरोधी साम्प्रदायिक प्रचार को जारी रखेगी और असुरक्षा और अनिश्चितता से तंग आम जनता को साम्प्रदायिक उन्माद से बहकाकर फिर से सत्ता पर क़ब्ज़ा करने का प्रयास जारी रखेगी। उसको फ़ैसलाकुन शिकस्त देने की लड़ाई एक लम्बी लड़ाई है। लेकिन धोखाधड़ी और फ़रेब का कम से कम एक महत्वपूर्ण हथियार तो उसके हाथ से छीन ही लिया जाना चाहिए – यानी, ईवीएम के ज़रिये चुनाव।

साथियो! इसके लिए हम ईवीएम-विरोधी मुहिम में आपकी सक्रिय भागीदारी की और इसे देशव्यापी जुझारू आन्दोलन बनाने में आप सभी की प्रभावी भूमिका की उम्मीद करते हैं और इसके लिए आपका आह्वान करते हैं।

ऐतिहासिक अन्याय, विश्वासघात और षड्यंत्र के ख़िलाफ़ जारी है फ़िलिस्तीनी जनता का संघर्ष!

(पेज 22 से आगे)

सैनिकों की पूरी जानकारी भी इज़रायल नहीं देता है। वहाँ भी ज़मीनी लड़ाई में कई इज़रायली सैनिक घायल हो रहे हैं और मारे जा रहे हैं लेकिन इज़रायल की आधिकारिक संख्या मात्र 590 है। इज़रायली सेना बुरी तरह से चारों तरफ़ उलझ गई है। वेस्ट बैंक में भी प्रतिरोध जारी है। अल-अक्सा मस्जिद में प्रतिरोध के तौर पर नमाज़ अदा करने पहुँची 80,000 से अधिक फ़िलिस्तीनियों की भारी भीड़ इज़रायली नियंत्रण से बाहर जा रही है। उधर लेबनान सीमा पर हिज़बुल्ला के साथ लड़ाई जारी है। हर रोज़ हिज़बुल्ला के रॉकेट इज़रायल पर दागे जा रहें हैं जिससे हज़ारों इज़रायली उपनिवेशवादी सेटलर बेघर और विस्थापित हो रहे हैं कइयों की मौत हुई है। लेकिन सही आँकड़े इज़रायल जारी नहीं कर रहा। वहीं हूतियों ने इज़रायल से सम्बन्धित समुद्री जहाज़ों पर लगातार हमला जारी रखा है। जर्मनी, फ़्रांस से लेकर अमेरिका के यमन पर बढ़ते हमलों के बावजूद हूतियों ने अपने लड़ाकुओं का नुक़सान झेल कर भी लाल सागर से गुज़रने वाले इन देशों और अन्य इज़रायल समर्थक देशों के समुद्री यातायात को भयंकर रूप से प्रभावित किया हुआ है। पिछले कुछ दिनों से हूतियों की अक्रामकता भी बढ़ी है। हिज़बुल्ला ने चेतावनी दी है कि यदि इज़रायल रफ़ा में ज़मीनी युद्ध शुरू करेगा तो वह लेबनान सीमा पर युद्ध और तीव्र करेगा। इसतरह रुस, चीन और तुर्की के हस्तक्षेप को देखते हुए संभावना है कि इज़रायल पूरे मध्य-पूर्व को किसी बड़े युद्ध में घसीट सकता है।

वैसे इज़रायल अमेरिका और पश्चिमी देशों के बूते शेर बनता है वरना अपने पर आ बने तो मुँह से आग उगलने वाले नेतन्याहू और उसके मंत्री व इज़रायल के तमाम ज़ायनवादिओं की ज़ुबान से एक चूँ तक नहीं निकलेगी। अमेरिका के पैसे, और पश्चिमी देशों के हथियारों के दम पर कूदने वाले कायर ज़ायनवादी इज़रायली दो-दो पासपोर्ट रखते हैं। ख़तरे की घंटी बजती नहीं है कि इज़रायल छोड़ कर भाग निकलते है। फ़िलिस्तीनी जनता लड़ रही है अपने हक़, अधिकार, मिट्टी, ज़मीन और ज़ैतून के बागों के लिए। इज़रायलियों ने इनपर क़ब्ज़ जमाया हुआ है। उन्हें भी पता है कि वे उत्पीड़क हैं इसलिए ख़ौफ़ज़दा रहते हैं।

विश्व का मुख्य धारा मीडिया और जाँबाज़ फ़िलिस्तीनी पत्रकार

बीबीसी, रायटर जैसे बड़े मीडिया हाउस से लेकर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म खुल कर इज़रायल का पक्ष ले रहे हैं। फ़िलिस्तीन और गाज़ा से सम्बन्धित खबरें पूर्वाग्रहों से भरी व पक्षपातपूर्ण होती हैं। ब्रिटेन में एक सर्वे के किया गया जिसमें 7 मीडिया प्रसार हाउस और 28 मीडिया वेबसाइट के इज़रायल और फ़िलिस्तीन सम्बन्धी समाचारों, वीडियों और लेखों का विश्लेषण किया गया। विश्लेषण से पता चला कि इन सब में इज़रायल की बातों, अवस्थिति, राय, शिकायतों और तकलीफ़ों को तवज्जो दी गई जबकि फ़िलिस्तीन और गाज़ा के पक्ष को नज़रअंदाज़ किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे फ़ेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम आदि तो गाज़ा और फ़िलिस्तीन के कंटेंट ग़ायब कर दे रहे हैं या उनकी रीच नहीं बनने दे रहे हैं। यूरोप और अमेरिका के हुक्मरानों के साथ-साथ उनके मीडिया हाउस भी इज़रायल की भाषा बोल रहे हैं। अपने अनुभव से हम मज़दूरों को समझना होगा कि किस तरह पूँजीवादी शासक हक़, न्याय और अधिकार की आवाज़ कुचलते हैं। जब हम भी सड़कों पर अपने हक़ और अधिकार के लिए उतरते हैं तो हमें भी बदनाम किया जाता है। कहा जाता है कि हम शान्ति-व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। सरकारें हम पर पुलिस की लाठियों से हमले करवाती है और हमें थानों में भर देती है। अरब लीग के देशों, यूरोप और अमेरिका के शासक फ़िलिस्तीन की जनता की आवाज़ दबाना चाहते हैं इसलिए इनकी ख़बर पहुँचने नहीं देते या इज़रायल के नज़रिये से खबर जनता के सामने रखते हैं।

इतना ही नहीं इज़रायल गाज़ा और वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीन समर्थक पत्रकारों को ख़ास कर निशाना बनाया जा रहा है ताकि कोई ख़बर बाहर ना आ सके। अब तक 100 साहसी पत्रकारों को जिसमें अधिक फ़िलिस्तीनी पत्रकार है इज़रायली सेना ने मौत के घाट उतार दिये है।

गाज़ा में चल रहा युद्ध ऐतिहासिक अन्याय, विश्वासघात और षड्यंत्र के ख़िलाफ़ है। गाज़ा की जनता अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। हम मज़दूरों मेहनतकशों को इस युद्ध में गाज़ा और फ़िलिस्तीन की जनता का साथ देना चाहिए। मज़दूर वर्ग और आम मेहनतकश जनता हमेशा शोषकों-उत्पीड़कों के ख़िलाफ़ होती है और अन्याय और शोषण के विरुद्ध लड़ रहे मज़दूरों-मेहनतकशों के साथ खड़ी होती है, चाहे वे दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों न लड़ रहे हों। फिलिस्तीन का मसला आज हर न्यायप्रिय व्यक्ति का मसला है। इसलिए भी क्योंकि फिलिस्तीन का सवाल आज साम्राज्यवाद के सबसे प्रमुख अन्तरविरोधों में से एक बना हुआ है और इसका विकास साम्राज्यवाद के संकट को और भी बढ़ाने वाला है।

डाक पंजीयन : SSP/LW/NP-319/2023-2026
प्रेषण डाकघर : आर.एम.एस, चारबाग़, लखनऊ
प्रेषण तिथि : दिनांक 5, प्रत्येक माह

नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) को रद्द करो!

इस जन विरोधी फ़ैसले को लागू करने के ख़िलाफ़ एक बार फिर जनता की लामबन्दी ज़रूरी!

● वारुणी

चार साल पहले देशव्यापी विरोध के बावजूद संसद में पास हुए नागरिकता संशोधन क़ानून को केन्द्र सरकार ने नियमों सहित लागू करने की घोषणा कर दी है। नागरिकता संशोधन क़ानून 2019 (सीएए) के तहत अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान और बंगलादेश के हिन्दू, सिख, पारसी, जैन, ईसाई और बौद्ध धर्म को मानने वालों में से जो लोग 31 दिसम्बर, 2014 के पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं वे भारत की नागरिकता पाने के हक़दार हैं। इस संशोधन में इन तीन देशों के मुस्लिमों और भारत के अन्य पड़ोसी देशों के सभी लोगों को नागरिकता पाने के अधिकार से वंचित रखा गया है। सरकार की दलील यह है कि यह संशोधन धर्म के आधार पर प्रताड़ना के शिकार शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए किया गया है। हालाँकि अभी लागू हुए सीएए क़ानून के नियमों में कहीं भी इस बात के दस्तावेज़ प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है जो कि यह साबित करे कि आवेदनकर्ता धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हैं। सरकार का मक़सद यदि धार्मिक प्रताड़ना के शिकार शरणार्थियों को नागरिकता देना था तो सवाल उठता है कि म्याँमार के रोहिंग्या मुस्लिमों, श्रीलंका के तमिलों, चीन के उइगर व तिब्बती लोगों, पाकिस्तान के अहमदिया, बलूच और शिया लोगों एवं अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान से उत्पीड़ित हज़ारों लोगों को नागरिकता देने के प्रावधान इसमें क्यों नहीं किये गये हैं? **असलियत यह है कि सरकार आर.एस.एस. के हिन्दुत्व के एजेण्डे पर काम करते हुए साम्प्रदायिक आधार पर नागरिकता देकर मुस्लिम आबादी में ख़ौफ़ का माहौल पैदा करना चाहती है।** फ़ासीवादी सरकार द्वारा लगातार अल्पसंख्यक समुदाय को एक नकली दुश्मन के रूप में पेश किया जा रहा है। फ़ासीवादी प्रचार की यह विशिष्टता होती है कि वह हमेशा जनता के गुस्से को एक नकली दुश्मन प्रदान करता है। भारत में फ़ासीवादी संघ परिवार द्वारा दुश्मन की यह छवि मुसलमानों के रूप में पेश की जाती रही है। और नागरिकता क़ानून के ज़रिये मुसलमानों की यह छवि "घुसपैठियों" के रूप में स्थापित की जा रही है। 2019 में इस क़ानून के तहत उनपर निशाना साधा गया था। लेकिन 2019 में इस क़ानून के संसद में पारित होने के साथ ही पूरे देश भर में केन्द्र सरकार को एक मज़बूत जन आन्दोलन का सामना करना पड़ा था। दिल्ली के शाहीन बाग़ से शुरू हुए आन्दोलन ने जल्द ही देशभर की सैकड़ों जगहों पर नये शाहीन बाग़ पैदा कर दिये। यह एक ऐसा ताक़तवर आन्दोलन बन गया जिसने मोदी-शाह की रातों की नींद हराम कर दी। जिसके बाद सरकार ने इसपर चार साल तक कोई क़दम नहीं उठाया।

अब लोक सभा चुनावों की घोषणा होने से ठीक पहले मोदी सरकार द्वारा इसके नियमों की अधिसूचना जारी कर दी गयी है। असल में चुनावों से ठीक पहले सीएए क़ानून को लागू करना वोटों के ध्रुवीकरण करने का एक तरीक़ा है। देशभर में राम मन्दिर के नाम पर लोगों को धर्म की राजनीति में उलझाये रखने के लिए जब मोदी सरकार ने पूरी राज्य मशीनरी, नौकरशाही, मीडिया को और दूसरी तरफ संघ परिवार ने अपने कार्यकर्ताओं को झोंक दिया लेकिन फ़िर भी उससे उतनी बड़ी हवा बनती नहीं दिखी, तब हिन्दू-मुस्लिम ध्रुवीकरण करने के लिए सीएए क़ानून को फ़िर से सामने लाया गया। पिछली बार सीएए-एनआरसी विरोधी आन्दोलन के दौरान दिल्ली में दंगे कराने में संघ परिवार कामयाब हुआ था और मोदी सरकार अब इसी प्रकार से साम्प्रदायिक तनाव पैदा करके चुनाव में वोटों की मोटी फ़सल काटने की योजना बनाये हुए है।

इसके साथ ही भाजपा द्वारा मीडिया, सोशल मीडिया और सभाओं के ज़रिये लोगों के बीच यह बात प्रचारित किया जा रहा है कि सीएए नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता प्रदान करने का क़ानून है और इससे उन अल्पसंख्यक हिन्दुओं और अन्य धर्मों के लोगों को नागरिकता आसानी से मिलेगी जिन्हें इस्लाम बहुल देशों में धार्मिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, इस प्रकार मोदी की छवि एक हिन्दू हृदय सम्राट के रूप में बैठाने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकार हिन्दू पहचान के आधार पर लोगों को वोट करने के लिए बहकाया जा रहा है और दूसरी तरफ़ मुसलमानों की छवि 'घुसपैठिए' के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। यह मुद्दा ठीक ऐसे समय में उछाला गया जब लाखों की संख्या में नौजवान रोज़गार के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, जब आम मेहनतकश जनता महँगाई से त्रस्त है और जब जनता के सामने मोदी सरकार के हवाई वायदों और दावों की कलई खुल चुकी है। सीधे तौर पर इस क़ानून की नियमावली अभी इसलिए लायी गयी ताकि जनता दूसरे मुद्दों में उलझकर रह जाये और बुनियादी सवाल कहीं ग़ायब हो जायें।

"क्रोनोलॉजी" समझिए!

2019 में जब सीएए क़ानून संसद में पारित हुआ तब देशभर में शाहीन बाग़ की तर्ज़ पर हज़ारों जगहों पर जन आन्दोलन खड़े हो गये थे। और इसी का नतीजा था कि मोदी सरकार ने अपने क़दम पीछे कर लिये और कुछ समय तक क़ानून के कार्यान्वयन की कोई कोशिश नहीं की गयी। लेकिन मोदी सरकार ने इस क़ानून को वापस नहीं लिया बल्कि बड़े शातिराना तरीक़े से लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले सीएए के नियमों की अधिसूचना जारी कर दी। साफ़ तौर पर यह धर्म के आधार पर वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए लिया गया क़दम है। दूसरी तरफ़ **अमित शाह अपने भाषणों में बार बार यह बात साफ़ कह रहे हैं कि "घुसपैठियों" को देश से बाहर खदेड़ा जायेगा। ज़ाहिर है, नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) लाये बिना "घुसपैठियों" का पता लगाना मुश्किल होगा। अब हम जितनी जल्दी क्रोनोलॉजी समझ जायें, हमारे लिए उतना बेहतर होगा।** सीधी बात है कि चुनावों के बाद सीएए का अगला क़दम एनआरसी रजिस्टर तैयार करना होगा। और इसका सीधा मतलब है एक बड़ी आबादी नागरिकता के दायरे से बाहर हो जायेगी, जिसमें करोड़ों की संख्या में हर धर्म के आम लोग होंगे।

सीएए-एनआरसी केवल मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हर धर्म के ग़रीबों और मेहनतकशों के लिए ख़तरनाक है!

अभी सीएए के तहत नागरिकता हासिल करने की जो नियमावली प्रस्तुत की गयी है, उसमें कई नियमों को ढीला कर दिया गया है। उक्त नियम के तहत पासपोर्ट या वीज़ा के कागज़ात दिखाना अनिवार्य नहीं है बल्कि उसके बदले किसी भी प्रकार के स्कूल सर्टिफ़िकेट या लाइसेंस या अन्य कागज़ात प्रस्तुत कर दिये जायें, जिससे यह साबित हो सके कि आप भारत में 5 साल से ज़्यादा समय से रह रहे हैं और आप पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान या बंगलादेश से आये प्रवासी हैं, तो आपको नागरिकता दी जा सकती है। सरकार यह प्रचारित कर रही है कि चूँकि अब कई अनिवार्य कागज़ात नहीं दिखाने पड़ेंगे, तो लोग आसानी से नागरिकता हासिल कर सकते हैं। इस आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि यह नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का क़ानून है, लेकिन असल समस्या तब आयेगी जब सीएए का अगला क़दम यानी एनआरसी लागू किया जायेगा। एनआरसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति की नागरिकता उनके द्वारा दिये गये दस्तावेज़ों के आधार पर दी जायेगी। एनआरसी रजिस्टर में नाम दर्ज कराने के लिए सभी को अपने कागज़ात से साबित करना होगा कि वे भारत के नागरिक हैं। इस प्रक्रिया में किन कागज़ातों को अनिवार्य की श्रेणी में रखा जायेगा इसकी अभी किसी को जानकारी नहीं हैं। वैसे तो संघ परिवार द्वारा यह प्रचारित किया जा रहा है कि इससे सिर्फ़ "मुस्लिम घुसपैठियों" को चिन्ता करने की ज़रूरत है लेकिन असलियत कुछ और है।

एनआरसी के भयावह परिणामों को असम में लागू हुए एनआरसी के अनुभव से देखा जा सकता है। असम में लोगों को दस्तावेज़ों की तलाश में दर-दर भटकना पड़ा रहा था और रिश्वत भी देनी पड़ रही थी। इसके बावजूद पहली सूची से 40 लाख लोगों के नाम ग़ायब रहे। वहीं दूसरी सूची जब निकली तो क़रीब 19 लाख लोगों को नागरिकता के दायरे से बाहर कर दिया गया। ये वे भारतीय थे जो आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में असमर्थ थे। इनमें से बहुसंख्यक हिन्दू थे। कई लोगों के नाम तो लिस्ट से इसलिए हटा दिये गये क्योंकि उनके नाम में कुछ त्रुटियाँ रह गयी थीं। असम में एनआरसी से बाहर होने वाले 19 लाख लोगों में से लगभग 70 प्रतिशत महिलाएँ थीं। इसका सीधा मतलब था कि जिन महिलाओं के कागज़ात सही नहीं थे उन्हें नागरिकता से बाहर कर दिया गया। असल में महिलाओं के पास कागज़ात अक्सर नहीं होते है। ग़रीब और प्रवासी मज़दूर आबादी, एक बड़ी ख़ानाबदोश और आदिवासी आबादी के पास अक्सर कोई सरकारी काग़ज़ात नहीं होते हैं। करोड़ों की संख्या में ऐसी आबादी मौजूद है जिनके पास अपने माता-पिता तो क्या बल्कि खुद के जन्म प्रमाणपत्र मौजूद नहीं हैं और ना ही कोई ज़मीन-जायदाद के दस्तावेज़ ही होते हैं। ऐसे में इन तमाम लोगों का क्या होगा?

करोड़ों लोग सिर्फ़ इसलिए ग़ैर-नागरिक घोषित हो जायेंगे, क्योंकि उनके पास आवश्यक काग़ज़ नहीं होंगे। नागरिकता छीन लिये जाने का मतलब है कि या तो उन्हें डिटेंशन शिविरों में बन्द करके रखा जायेगा जिनके हालात बेहद अमानवीय होते हैं या फिर एक ऐसे ग़ैर-नागरिक के रूप में उन्हें रहने दिया जायेगा जिनके पास कोई मौलिक अधिकार नहीं होंगे यानी उन्हें वोट देने का, राशन पाने, मनरेगा जैसी योजनाओं का लाभ उठाने आदि का अधिकार नहीं होगा। वे गैस कनेक्शन, फ़ोन कनेक्शन नहीं ले पायेंगे, किसी सरकारी योजना का उनको लाभ नहीं मिलेगा, बैंक में खाता नहीं खुलेगा। वे पूरी तरह सरकारी एजेंसियों के रहमोकरम पर होंगे और उनकी ज़िन्दगी हमेशा डर के साये में गुज़रेगी। ऐसे में वे जीने के लिए कुछ भी करने को मजबूर हो जायेंगे और कौड़ियों के मोल पर उनसे मनमाना काम कराया जा सकेगा। अम्बानी-अडानी, टाटा-बिड़ला जैसे पूँजीपतियों को डिटेंशन सेंटरों में ग़ुलाम मज़दूर मुहैया कराये जायेंगे जिनमें हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों को ही खटना होगा। बेशक सरकार सीएए और एनआरसी के ज़रिये मुस्लिम आबादी को निशाना बनाना चाहती है लेकिन इसके अगले क़दम में यानी देशव्यापी एनआरसी के बाद ग़रीबों की बड़ी आबादी को नागरिकता से वंचित करने का लाभ पूँजीपतियों को बेहद सस्ती श्रमशक्ति के रूप में भी मिलेगा।

भारतीय मुसलमान सीएए-एनआरसी से बुरी तरह प्रभावित होंगे, क्योंकि देशभर में लागू एनआरसी में अपनी नागरिकता साबित करने के लिए जिन मुसलमानों के पास आवश्यक दस्तावेज़ नहीं होंगे, उन्हें अवैध प्रवासी घोषित किया जा सकता है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए वे सीएए का उस तरह उपयोग नहीं कर पायेंगे जैसाकि ग़ैर-मुस्लिम भारतीय झूठ बोलकर और यह दावा करके कर सकते हैं कि वे बंगलादेश, पाकिस्तान या अफ़ग़ानिस्तान से आने वाले अवैध प्रवासी हैं। एक बड़ी ग़ैर-मुस्लिम आबादी एनआरसी को लेकर इसलिए चिन्तित नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आवश्यक दस्तावेज़ न होने के कारण यदि उन्हें ग़ैर-नागरिक घोषित कर दिया जाता है तो वे सीएए के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। संघ-गिरोह द्वारा भी ऐसे ही तमाम झूठ प्रचारित किये जा रहे हैं। लेकिन अभी सीएए के नियमों के तहत जिन दस्तावेज़ों को जमा करना है, उनमें से एक अनिवार्य दस्तावेज़ वह है जिससे आपको यह साबित करना है कि आप बंगलादेश, पाकिस्तान या अफ़ग़ानिस्तान के नागरिक थे। ऐसे में एक बड़ी आबादी नागरिकता से सीधे वंचित हो जायेगी। धोखाधड़ी करके सीएए के ज़रिये नागरिकता पाना भी आसान नहीं होगा। और **इसकी मार हर धर्म के ग़रीबों पर पड़ेगी।** करोड़ों लोग नागरिकता के दायरे से बाहर कर दिये जायेंगे! दूसरी ज़रूरी बात यह है कि सीएए के ज़रिये नागरिकता देने के लिए अब केन्द्रीय स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया है। ज्ञात हो कि पहले नागरिकता देने का अधिकार ज़िला अधिकारी के अन्तर्गत था लेकिन अब केन्द्रीय स्तर पर निर्मित इस कमिटी को यह फ़ैसला लेने का अधिकार होगा कि किस व्यक्ति को नागरिकता दी जायेगी और किसको नहीं दी जायेगी। वह चाहे तो किसी भी आधार पर नागरिकता को रद्द कर सकती है। बात साफ़ और सीधी है, केन्द्र सरकार अपने विरोध में उठाने वाली किसी भी आवाज़ को कुचलने के लिए इस कमेटी का अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकती है और करेगी। असल में नागरिकता छीनने का यह कानून हमारे वजूद पर, हमारी स्वतन्त्रता पर और हमारे जनवादी अधिकारों पर

(पेज 2 पर जारी)

मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी कात्यायनी सिन्हा द्वारा 263, हरिभजन नगर, शहीद भगतसिंह वार्ड, तकरोही, इन्दिरानगर, लखनऊ- 226016 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा मल्टीमीडियम, 310, संजय गाँधी पुरम, फ़ैज़ाबाद रोड, लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक : अभिनव ● सम्पादकीय पता : 263, हरिभजन नगर, शहीद भगतसिंह वार्ड, तकरोही, इन्दिरानगर, लखनऊ- 226016